ARCHIVE

विषय सूची
CONTENTS

1. एक अवलोकन 1
   Overview
2. नीति और आयोजना 4
   Policy Strategies and Planning
3. मानक निर्धारण 8
   Standards Formulation
4. उत्पाद प्रमाणन 14
   Product Certification
5. गुणता पद्धति प्रमाणन 19
   Quality Systems Certification
6. प्रयोगशाला सेवाएँ 21
   Laboratory Services
7. मानक संवर्धन 25
   Standards Promotion
8. मानकों तथा अन्य प्रकाशनों की बिक्री 29
   Sale of Standards and other Publications
9. सूचना सेवाएँ 30
   Information Services
10. प्रशिक्षण सेवाएँ 33
    Training Services
11. कम्प्यूटीकरण तथा कार्यालय स्वचलन 34
    Computerization and Office Automation
12. पर्यावरण संरक्षण 37
    Enviornment Protection
13. ऊर्जा संरक्षण 38
    Energy Conservation
14. क्षेत्रीय, शाखा और निरीक्षण कार्यालय 40
    Regional, Branch and Inspection Offices
15. उपभोक्ता संबंधी गतिविधियाँ 41
    Consumer Related Activities
16. अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ 45
    International Activities
17. मानव संसाधन विकास 50
    Human Resource Development
18. वित्त, ऑडिट और लेखा 52
    Finance, Audit and Accounts

उपभोक्ता दिवस समारोह के दौरान "बिजली की इस्तरी" पर विवरणिका जारी करते हुए केन्द्रीय नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री बूटा सिंह

Sh. Buta Singh, Union Minister for Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution, releasing a brouchure 'Electric Iron' during the Consumer Day celebrations

ब्यूरो में अपने आगमन के दौरान, संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति के सदस्य

Members of the Second Sub-Committee on official languages during their visit to the Bureau

एक अवलोकन

1

OVERVIEW

वर्ष 1994-95 भारतीय मानक ब्यूरो के लिए परिवर्तित नीतियों के संदर्भ में सतत आत्म निरीक्षण का एक और वर्ष रहा। बाजार द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था से उद्भूत मांगों को पूरा करने के लिए भामाब्यूरो, ने स्वयं को तैयार करने के लिए पिछले वर्ष इसे आरंभ किया था। निःसंदेह, ब्यूरो के लिए चहुमुखी प्रगति का यह एक और वर्ष रहा। इस प्रगति का निदर्शन तुलन पत्र में भी हुआ है जिसके अनुसार इस वर्ष 3 819 लाख रू० के राजस्व की प्राप्ति हुई है जबकि वर्ष 1993-94 में 3 334 लाख रू० के राजस्व की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष राजस्व में 15% प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि, इस वर्ष किए गए मुख्य प्रयासों की दिशा वर्ष 1993-94 में निर्धारित व लागू नीतियों के परिणाम स्वरूप परिवर्तित स्थिति में प्राप्त लाभों को समेकित करना थी।

The year 1994-95 was a year of continuing introspection for the Bureau of Indian Standards (BIS) which was initiated the previous year to gear BIS up to meet the demands of the emerging market-driven economy. It was, no doubt, another year of all round progress reflected in the balance sheet as well which showed a revenue of Rs 381.9 million, a 15% increase over Rs 334.4 million earned in 1993-94. However, the major effort during the year was directed towards consolidating the gains accruing from the changes in policies and strategies set in motion in 1993-94.

वर्ष 1994-95 के दौरान भामाब्यूरो की मुख्य गतिविधियाँ इस प्रकार रहीं:

- आवश्यक सहायक प्रलेखों को तैयार करने सहित मानक विकास गतिविधि को पूरी तरह से मांग के आधार पर बनाने की प्रक्रिया पूरी की गयी।
- उत्पाद प्रमाणन योजना में समय संबंधी कड़े मापदण्ड लागू करने के साथ इस योजना की प्रभावशीलता में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण 31 मार्च 1994 को लंबित आवेदनों की संख्या 2995 से घटकर 31 मार्च 1995 को 1 450 ही रह गयी और साथ ही 31 मार्च 1994 को 300 शिकायतें लंबित थी जबकि 31 मार्च 1995 को लंबित शिकायतों की संख्या केवल 59 थी।
- नीदरलैंड के अन्तर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात रीड वूर डि सर्टिफिकेटी से हमारी गुणता पद्धति प्रमाणन योजना को प्रत्यायन मिलने के बाद लाइसेंसों की संख्या पिछले वर्ष के 42 से दुगने से भी अधिक होकर इस वर्ष 88 हो गयी है।
- प्रयोगशाला आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1993-94 में खर्च किए 65 लाख रू० के स्थान पर इस वर्ष व्यापक निवेश किया गया, और लगभग 144.2 लाख रू० इस कार्यक्रम पर खर्च किए गए।
- विश्व बैंक और योजनागत परियोजनाओं के निष्पादन में उल्लेखनीय तेजी आई। वर्ष 1993-94 के लिए डब्ल्यूबी परियोजना पर 27 लाख रू० और योजनागत परियोजना पर 269 लाख रू० के खर्च के प्रति इस वर्ष क्रमशः 168 लाख रू० और 273 लाख रू० उपर्युक्त परियोजनाओं पर खर्च किये गये।
- प्रवर्तन गतिविधि पर निर्णायक रूप से काफी बल दिया गया और इस गतिविधि पर मार्गदर्शन देने के लिए प्रवर्तन संबंधी स्थायी समिति गठित की गई और मानक मुहर के संदिग्ध दुरूपयोग तथा/अथवा गुणता नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के बारे में देश भर में कई छापे डाले गये। पिछले वर्ष 4 मामले दायर किये गये, जबकि इस वर्ष 9 मामले दायर किये गये हैं।

The highlights of the BIS activities in the year 1994-95 were:

- completion of process of making standards development an entirely demand-driven activity with the creation of necessary supporting documentation.
- upswing in efficiency of product certification scheme with introduction of strict time norms which led to dramatic reduction in number of pending applications from 2995 as on 31 March 1994 to 1450 as on 31 March 1995 and complaints from 300 as on 31 March 1994 to 59 as on 31 March 1995.
- award of accreditation from Raad Voor de Certificatie, an internationally respected body based in Netherlands, to our Quality systems Certification Scheme even as the number of licences more than doubled from 42 to 88 during the year.
- massive investment in Lab modernization programme to the tune of Rs 14.42 million as against Rs 6.5 million spent in 1993-94.
- significant acceleration in execution of World Bank and Plan Projects with expenditure of Rs 16.8 million on WB Projects and Rs 27.3 million on Plan Projects as against Rs 2.7 million and Rs 26.9 million respectively in 1993-94.
- decisive thrust to the Enforcement activity with the Standing Committee on Enforcement providing guidance and several raids being carried out around the country on suspected misuse of Standard Mark and/or violation of Quality Control Orders. 9 cases have been filed during the year as against 4 last year.

- स्कूल और कालिजों को शामिल करते हुए उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार किया गया और आईएसआई मुहर के दुरूपयोग और गुणता नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के बारे में सघन उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाया गया।

- सरकारी काम–काज में हिन्दी का उपयोग और अधिक बढ़ाने के लिए कर्मचारियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, कंप्यूटरों पर हिन्दी सॉफ्टवेयर लगाये गये, सितम्बर माह में हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें हिन्दी लेखन, भाषण तथा टंकण संबंधी प्रतियोगिताओं का आयोजन उल्लेखनीय रहा और इन प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया। भामाब्यूरो के विभिन्न शाखा कार्यालयों में हिन्दी में हो रहे कार्य का ऑडिट भी किया गया। इसके अलावा द्विभाषी रूप में 8 भारतीय मानक प्रकाशित किये गये, जिससे हिन्दी/द्विभाषी रूप में प्रकाशित कुल भारतीय मानकों की संख्या 222 हो गयी।

उभरते हुए राष्ट्रीय परिदृश्य की अपेक्षाओं और उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भामा ब्यूरो की गतिविधियों को पुनः संकेन्द्रित करना जारी रखने का अभिप्राय यह होगा कि भविष्य में भामा ब्यूरो की गतिविधियों में और अधिक प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करने के लिए प्रगामी परिवर्तन के दौर से गुजरना पड़ेगा और ग्राहक संतुष्टि पर और बल दिया जायेगा।

सांख्यिकीय लक्ष्यों से मुक्त हो चुकी और पूर्णतः आवश्यकता के अनुरूप संचालित की जा रही मानक विकास गतिविधि के परिणामस्वरूप जनशक्ति संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सकेगा और 16 हजार व लागू मानकों के रख–रखाव की ओर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा और समय से उनका पुनरीक्षण करने और प्रमुख प्रकाशन जैसे "राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता", "राष्ट्रीय वैद्युत संहिता" तथा "सादा और पुनः प्रबलित कंकरीट की रीति संहिता (आईएस 456)" का पुनरीक्षण समयबद्ध परियोजना के आधार पर किया जा सकेगा।

आईएसआई मुहर लगे उत्पादों में उपभोक्ताओं का विश्वास और अधिक स्थापित करने के उद्देश्य से उत्पाद प्रमाणन योजना, जो इस समय काफी व्यापक है, में आईएस/आईएसओ 9000 श्रृंखला के मानकों के अनुसार गुणता प्रबंध पद्धति के मुख्य अवयव शामिल करके इस गतिविधि को पुनर्गठित किया जा रहा है, ताकि भविष्य में भामा ब्यूरो की प्रमाणन मुहर योजना के लाइसेंसधारियों को इस योजना के अंतर्गत ही संस्थापित उपयुक्त गुणता प्रबन्ध पद्धति उपलब्ध हो।

गुणता पद्धति योजना के लिए वांछित आरवीसी प्रत्यायन प्राप्त करने के बाद भविष्य में हमारा प्रयास सफलता प्राप्ति की दिशा में बढ़ता जायेगा और इसके साथ–साथ सघन विपणन अभियान चलाने के माध्यम से व्यापक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बाजार में हमारी हिस्सेदारी महत्वपूर्ण हो, इसके लिए भी हम प्रयासरत होंगे।

प्रयोगशाला गतिविधियों को आधुनिक बनाने के लिए भविष्य में भी उन्हें पर्याप्त पूँजी देना जारी रखा जायेगा और आने वाले वर्षों में केन्द्रीय प्रयोगशाला के साथ–साथ हम अपनी चारों प्रयोगशालाओं के लिए एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेंगे। भामा ब्यूरो को केन्द्रीय प्रयोगशाला की अंशशोधन सेवाओं के लिए एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त करने के साथ–साथ हमारी यह भी योजना है कि हम आने वाले वर्षों में अपनी अंश शोधन सेवाओं को उद्योग के लिए भी खोल दें।

भारत में मानकों और गुणता संस्कृति को बढ़ावा देने की राष्ट्र के प्रति अपनी व्यापक प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रशिक्षण संस्थान बनाने जा रहे हैं, जो 1995-96 के मध्य में कार्य करना आरंभ कर देगा और दिल्ली के

- extension of consumer education programme to cover schools and colleges, and an intensive consumer awareness drive regarding misuse of ISI-mark and violation of Quality Control Orders.

- furtherance of use of Hindi in official work by way of workshops for employees, installation of Hindi Software on computers, observance of Hindi week in the month of September highlighted by competitions in Hindi writing, speaking and typing with prizes for winners and audit of Hindi work in various branches of BIS. Besides another 8 Indian Standards were brought out bilingually bringing the total of standards in Hindi / bilingual to 222.

The continuing refocusing of BIS activities keeping in view the demands of the emerging national scenario and needs of the industry would mean that the thrust of BIS activities in future would progressively undergo a shift towards achieving greater competitiveness as well as customer satisfaction.

The standards development activity, freed of numerical targets and driven entirely by need, would allow optimal utilization of manpower resources in that greater attention would be paid to maintenance of the 16 000 plus standards in force with emphasis on timely review, and revisions of such major publications like National Building Code, National Electrical Code and Code of Practice for Plain and Reinforced Concrete (IS 456) would be pursued on a time-bound project basis.

In order to instill greater customer confidence in ISI-marked products, the Product Certification Scheme, quite elaborate as it is, is being reoriented by integrating key elements of Quality Management Systems as per IS/ISO 9000 series of standards progressively so that in future the holders of BIS licence for Product Certification would have a proper quality management system installed within as well.

The future efforts in our Quality Systems Scheme will be increasingly directed towards building on the success of having obtained the coveted RvC accreditation as well as taking a significant market share in the face of fierce competition, by mounting a concerted marketing drive.

The laboratory activity will continue to be the recipient of substantial investment towards modernization and in the coming year, the Central Laboratory as well as the four regional laboratories would work towards obtaining NABL accreditation. We also plan to open our calibration services to the industry in the coming year as well as seek NABL accreditation for the calibration service of BIS Central Lab.

In keeping with our general commitment to the nation towards promoting standards and quality culture in India, we intend making a training institute functional by the middle of

आस–पास पुर्णतः सुसज्जित संस्थान स्थापित करने की परियोजना के रूप में इस दिशा में कार्य आरंभ किया जा चुका है। यह आशा की जाती है कि यह संस्थान शीघ्र ही बाजार में अपना स्थान बना लेगा, चूंकि बाजार में प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराने की मांग में बहुत अधिक बढ़ोतरी होने से प्रशिक्षण देना लाभदायक व्यवसाय बन गया है, किंतु अभी भी पर्याप्त विशेषज्ञता रखने वाली अथवा मान्य एजेंसियां इस क्षेत्र में बहुत कम ही हैं। हमें यह पूरी आशा है कि भामा ब्यूरो के द्वारा आरम्भ किए गए प्रयास के रूप में आईएसओ 9000 प्रमाणन के भारत में आगमन के परिणामस्वरूप, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योग द्वारा स्वागत किया जाएगा।

हम पर्यावरण प्रबन्ध पद्धति प्रमापन को, कुछ विकसित देशों द्वारा चलाये जा रहे इस प्रकार के प्रमाणन के मानदण्डों के अनुरूप आरंभ करने की संभावना भी तलाश रहे हैं। इसका आधार पहले से ही प्रकाशित भारतीय मानक होंगे। उक्त विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय मानक अभी निर्माणाधीन हैं और जैसे ही ये प्रकाशित होंगे तो इनके प्रकाशित होते ही इस प्रकार के प्रमाणन को विश्वव्यापी प्रोत्साहन मिलेगा।

पूर्वअनुमोदित परियोजनाओं की परिधि में रहकर ही हम क्षेत्र अभिज्ञात करने संबंधी विश्व बैंक की परियोजनाओं पर पुनः विचार करने की प्रक्रिया में भी है, ताकि उक्त निधि का उपयोग भामा ब्यूरो की बढ़ती हुई आवश्यकताओं–जैसे, प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, अपने गुणता पद्धति का आडिट करने वाले कार्मिकों का अंशशोधन, कंप्यूटरीकृत प्रबंध सूचना पद्धति, इत्यादि के रूप में और अधिक लाभ के लिए किया जा सके।

भामा ब्यूरो को एक ऐसा संगठन बनाने के लिए, जो न केवल उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो, अपितु इसके साथ–साथ व्यापक समाज के प्रति भी उत्तरदायी हो, किये जा रहे सतत प्रयास के अंतर्गत हम प्रवर्तन, उपभोक्ता शिक्षा तथा आधुनिकीकरण और कार्यालय स्वचलन जैसी गतिविधियों को उच्च प्राथमिकता देना जारी रखेंगे।

(नरेन्द्र सिंह चौधरी)
महानिदेशक

1995-96 even as the project for setting up a full-fledged institute near Delhi is being pursued. It is hoped that the Institute will quickly create a niche for itself in the market where demand for trained manpower has grown exponentially making training a profitable business but with few agencies with adequate expertise or standing. We are sure that the industry will welcome this initiative of BIS in responding to its needs in the wake of arrival of ISO 9000 Certification in India.

We are also looking at the possibility of introducing Environment Management Systems Certification, on the lines it has been introduced in some developed nations, based on an already published Indian standard even as an International standard on the subject is under preparation which, when it comes out, in any case would give impetus to such a certification world-wide.

We are also in the process of taking a fresh look at World Bank projects to identify areas within the ambit of already approved projects where the funds could be utilized more gainfully to serve growing BIS needs like establishment of Training Institute, calibration of our Quality Systems auditing personnel, development of a computerised management information system etc.

The activities of enforcement, consumer education and modernization and office automation will continue to receive high priority in our continuing effort to make BIS an organization which is responsive not merely to the needs of the industry but to those of the society at large at the same time.

(N.S. Choudhary)
Director General

नीति और आयोजना

2 POLICY STRATEGIES AND PLANNING

देश में बाजार से जुड़े, प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक वातावरण को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा आरम्भ किए गए आर्थिक सुधारों को दृष्टिगत रखते हुए गुणता का स्थान वस्तुतः बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और यह व्यवहार संबंधी नीतियों का अभिन्न अंग बन गयी है। औद्योगिक परिदृश्य में हुए इस परिवर्तन का परिणाम यह हुआ कि भारतीय मानक ब्यूरो (भामा ब्यूरो), जो राष्ट्रीय मानक निकाय है, को अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा और भारत के औद्योगिक विकास में मुख्य सहभागी की भूमिका निभाना जारी रखने के लिए व इस प्रकार की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए अपनी कार्यप्रणाली को पुनर्गठित करना पड़ा।

In the wake of the economic reforms initiated by the Union Government with a view to create market-driven, competitive industrial environment in the country, quality has assumed a prime role and in fact, become an integral component of business strategy. This change in industrial scenario means that the Bureau of Indian Standards (BIS), as the national standards body, has to reassess the needs of customers and reorient its functioning to meet their needs so that it can to continue to play the role of a key partner in India's industrial development.

केन्द्रीय नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री ऐ.के. एंटनी जो भारतीय मानक ब्यूरो के शीर्षस्थ निकाय "ब्यूरो" के अध्यक्ष हैं, के मार्गदर्शन में भामा ब्यूरो ने अपने परिचालन की दक्षता बढ़ाने और अपनी सेवाओं की गुणता को उन्नत करने के लिए कई प्रमुख उपाय किए। वर्ष 1994-95 आरम्भ होने के एकदम पहले ही "ब्यूरो" की 12वीं बैठक 24 मार्च 1994 को आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 1994-95 के दौरान भामा ब्यूरो की गतिविधियों की दिशा निर्धारित की गई। सेवाओं की गुणता में सुधार जारी रखने के अलावा ब्यूरो में प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण करने के कार्यक्रम, योजना निधि और विश्व बैंक निधि के अन्तर्गत प्रवर्तन तथा परियोजना को विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किया, जिन पर विशेष ध्यान दिया जाना था। प्रवर्तन संबंधी गतिविधि पर बल देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि प्रवर्तन पर एक 'स्थाई समिति' गठित की जाये, जो भा मा ब्यूरो को मानक मुहर के दुरूपयोग से निपटने और विभिन्न गुणता नियन्त्रण आदेशों के उल्लंघन को रोकने के उपायों के बारे में सलाह देगी।

Guided by the Bureau, the apex level body corporate with Shri A. K. Antony, Union Minister for Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution, as the President, BIS initiated several major steps towards enhancing the efficiency of its operations and upgrading the quality of its services. The tone for the activities of BIS during the year 1994-95 was set up in the 12th meeting of the Bureau held on 24 March 1994, just as the year 1994-95 was to be ushered in. Apart from continuing improvement in quality of services, the Bureau, in particular, identified the Laboratory Modernization Programme, Enforcement and projects under the Plan Funds and World Bank Funds as areas to be given special attention. In order to give a thrust to the enforcement activity, it was also decided to set up a Standing Committee on Enforcement to advise BIS on ways and means for dealing with misuse of Standard Mark as well as violation of various Quality Control Orders.

7 दिसम्बर 1994 को हुई ब्यूरो की 13वीं बैठक में भामा ब्यूरो द्वारा की गई प्रगति का "ब्यूरो" ने जायजा लिया। अपनी पिछली बैठक के आयोजन के बाद से किए गए उपायों की सराहना करने के साथ–साथ "ब्यूरो" ने उपभोक्ता संगठनों के समर्थन और भामा ब्यूरो की प्रयोगशालाओं की क्षमता को बढ़ाने के माध्यम से प्रवर्तन संबंधी गतिविधि को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। भामा ब्यूरो को अपने कार्यकलापों, विशेष रूप से उत्पाद प्रमाणन योजना को अधिक दक्षता के साथ व्यवस्थित करने में भामा ब्यूरो को समर्थ बनाने के लिए "ब्यूरो" ने धारा 10 (1) के अन्तर्गत महानिदेशक को वे शक्तियाँ सौंपी, जो पहले कार्यकारिणी समिति को सौंपी गई थीं। इनमें से कुछ शक्तियाँ शाखा कार्यालय और प्रयोगशालाओं की स्थापना और विदेशी निकायों के साथ करार करने के संबंध में है।

In the 13th meeting of the Bureau held on 7 December 1994, the Bureau took stock of the progress made by BIS. While appreciating the measures taken since its last meeting, the Bureau emphasized the need for further strengthening the enforcement activity with the support of consumer organizations and augmenting capacity of BIS laboratories. In order to enable BIS to manage its functions especially the operation of the Product Certification Scheme more efficiently, the Bureau also delegated powers under Section 10(1), which were earlier vested in the Executive Committee, to the Director General. Some of these relate to establishment of branches and laboratories, entering into agreements with overseas bodies, etc.

भामा ब्यूरो द्वारा वर्ष के दौरान अपनी सेवाओं की गुणता सुधारने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में उल्लेखनीय उपाय, निम्नलिखित हैं :

The notable among the several initiatives taken by BIS during the year towards improving the quality of its services are the following:

क) मानक निर्धारण के लिए संख्या के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने की दीर्घकालीन नीति बदल दी गई ताकि इसमें परिवर्तन करके इसे पूर्णतः माँग संचालित गतिविधि बना दिया जाए और मानकों के विकास की आवश्यकता स्थापित करने और मानक निर्धारित करने की गति बढ़ाकर प्राथमिकता वाले मानकों के लिए समयावधि अधिकतम 10 मास और अन्य मानकों के लिए 36 मास करने पर बल दिया गया।

a) The long held policy of numerical targets for standards formulation was discarded in order to make it an entirely demand-driven activity with accent on establishing need for development of standards and accelerating the pace of development to cut down the time to 20 months maximum for priority standards and 36 months for other standards.

ख) देश में फैले अपने बिक्री केन्द्रों पर ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं को सुधारने के उद्देश्य से माल सूची को न्यूनतम करने का कार्य किया गया ताकि स्टॉक को नियंत्रण योग्य अनुपात तक सीमित किया जाए और इन्वेन्टरी सहित बिक्री की पूरी गतिविधि को कम्प्यूटरीकृत किया गया।

ग) लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया को संशोधित किया गया और आवेदक–निर्माता का आवेदनपत्र स्वीकार करते हुए प्रमाणन योजना के प्रचालन के लिए उसकी तैयारी का मूल्यांकन करने पर बल दिया गया और भा मा ब्यूरो के भीतर आवेदन पर निर्णय लेने के लिए छह मास तक की अधिकतम समय सीमा निर्धारित की गई। इसके परिणामस्वरूप लम्बित आवेदनों की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से कमी आई और यह संख्या 2995 से घटकर 1450 रह गई और इसमें से भी केवल 546 आवेदन ऐसे हैं, जो 31 मार्च 1995 को छह मास से अधिक की अवधि के लिए लंबित है जबकि 31 मार्च 1994 को उपयुर्क्त आवदेनों की संख्या 1 931 थी।

घ) दक्षता लाने की दृष्टि से लाइसेंसों का नवीकरण करने की शक्तियाँ शाखा कार्यालयों के प्रमुखों को सौप दी गई और नवीकरण की अवधि एक बार में एक साल से बढ़ाकर अधिकतम 2 साल कर दी गई।

ड़) मानक मुहर के दुरूपयोग को रोकने के लिए उपयुर्क्त नियम बनाये गए ताकि भा मा ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत ही निहित तलाशी लेने और माल जब्त करने की शक्ति को उपयोग में लाने में भा मा ब्यूरो के अधिकारियों को समर्थ बनाया जा सके। इसके अलावा राज्य सरकारों को अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न गुणता नियंत्रण आदेशों को लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया है। इन उपायों के फलस्वरूप बेईमान निर्माताओं के साथ–साथ डीलरों पर भी देश भर में कई छापे डाले गए।

च) भा मा ब्यूरो की प्रयोगशालाओं द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से भामाब्यूरो प्रयोगशाला के लिए आवेदक–निर्माताओं के साथ–साथ लाइसेंसधारी निर्माताओं से प्राप्त नमूनों के परीक्षण के लिए समय संबंधी कड़े मानदण्ड निर्धारित किए गए और यह अनुदेश भी दिए गए कि जारी की जाने वाली सभी रिपोर्ट हर प्रकार से पूरी हों। इसके अतिरिक्त जहाँ आंशिक परीक्षण सुविधाएं हैं, वहाँ परीक्षण की पूरी सुविधा उपलब्ध कराने और बढ़ते हुए कार्यभार को पूरा करने के लिए परीक्षण सुविधाएं बढ़ाने का कार्य भी आरंभ किया गया।

छ) उपभोक्ता शिक्षा पर पुनः बल दिया गया है और इस बात पर भी बल दिया गया कि आईएसआई मुहर के दुरूपयोग को रोकने के लिए भामाब्यूरो की सहायता करने में उनकी भूमिका के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित किया जाए। वर्ष के दौरान स्कूलों और कालिजों में उपभोक्ता जागरूकता पर कार्यक्रम आयोजित करना भी आरंग किया गया।

ज) भामाब्यूरो की संपूर्ण गतिविधियों को शामिल करते हुए कार्पोरेट ऑडिट कराने की पद्धति औपचारिक रूप से आरंभ की गई और निर्धारित पद्धति की पर्याप्तता और उसके अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए आंतरिक ऑडिट किए गए।

इसके अलावा श्री नरेन्द्र सिंह चौधरी महानिदेशक, भामाब्यूरो की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति की बैठक वर्ष में तीन बार आयोजित की गई।

योजनागत परियोजनाएँ

भामाब्यूरो की भौतिक सुविधाएं, जो प्रकृतित ग्रहन पूँजी की अपेक्षा रखती है, को राष्ट्रीय योजना व्यय के भाग के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रदन्त वित्त से निर्मित की जाती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के अन्तर्गत अनुमोदित भामाब्यूरो योजनागत परियोजना के लिए 1500 लाख रूपये का व्यय प्रदान किया गया है। वर्ष 1994-95 के दौरान 252.55 लाख रूपये विभिन्न योजनागत परियोजनाओं पर खर्च किये गये।

b) In order to improve the service to the customers at its sales counters across the country, an exercise of inventory reduction to bring down stocks to manageable proportion and computerization of entire sales activity including inventory were taken up.

c) The procedure for grant of licence was modified with emphasis on assessing preparedness of the applicant manufacturer for operating the Certification Scheme while accepting the application and stipulating a maximum time frame of six months for taking a decision on the applications within BIS. This led to drastic reduction in number of pending applications from 2995 to 1450 with only 546 applications pending for more than six months as on 31 March 1995 against 1931, on 31 March 1994.

d) In the interest of efficiency, the powers to renew the licences were delegated to the heads of branch offices and the period of renewal increased from one year to maximum two years at a time.

e) In order to deal with the misuse of Standard Mark, suitable rules were framed to enable BIS officers to exercise powers of search and seizure vested in them under the BIS Act. Besides, the State Governments were sensitized to take on an active role in enforcing the various Quality Control Orders under the Essential Commodities Act. These measures led to several raids being conducted across the country on unscrupulous manufacturers as well as dealers.

f) In order to improve the service given by BIS laboratories, strict time norms were laid down for testing of samples drawn from applicant manufacturers as well as licensed manufacturers with instructions to issue test reports complete in all respect. Besides, a programme for completing testing facilities, wherever partial testing facilities are in existence, as well as augmenting testing capacity to meet the work load has been initiated.

g) Consumer education was given a renewed thrust with emphasis on educating the consumers regarding the evil of misuse of ISI Mark and their role in helping BIS in dealing with such misuse. A programme of consumer awareness amongst schools and colleges was also launched during the year.

h) A system of corporate audit covering all activities of BIS was formally introduced and internal audits carried out with a view to assess the adequacy of laid down systems as well as compliance to them.

Besides, the Executive Committee under the Chairmanship of Shri N. S. Choudhary, Director General, BIS met thrice during the year.

PLAN PROJECTS

The infrastructural facilities of BIS which are capital intensive in nature, are built through finances provided by the Government of India as part of the National Plan outlay. The BIS Plan Projects, as approved under the VIII Five Year Plan (1992-97), envisage an outlay of Rs. 150 million. During 1994-95, Rs. 25.255 million were spent on various plan projects. The progress/position of various plan projects is given below:

प्रयोगशाला उपस्कर

किसी भी प्रयोगशाला के लिए परीक्षण उपस्कर सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपस्करण है। भामाब्यूरो प्रयोगशालाओं में परीक्षण उपस्करों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिए उनका लगातार उन्नयन किया जा रहा है, ताकि विश्व बाजार में भामाब्यूरो की प्रयोगशालाओं की परीक्षण रिपोर्टें स्वीकार्य हो सकें। नई प्रोद्योगिकि से बने परिष्कृत उपस्करों के कारण परिक्षणों में लगने वाला समय भी कम हुआ है। भामा ब्यूरो की प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए गैस क्रोमोटोग्राफ, स्टोमेकर, दो उच्चकार्यकारिता वाले द्रव क्रोमोटोग्राफ तथा अन्य प्रयोगशाला संबंधी उपस्कर खरीदे गए।

कम्प्यूटर और अन्य संबद्ध उपस्कर

मानकीकरण के लिए सूचना संसाधन की काफी मात्रा में आवश्यकता होती है। भामाब्यूरो ने अपनी विभिन्न गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण करने की विस्तृत योजना बनाई है। इस संबंध में कम्प्यूटर और अन्य संबद्ध उपस्कर, जैसे अधिक गति वाले मुद्रक तथा फोटोकॉपियर की पहचान मानकों के तेजी से निर्धारण और ग्राहकों को दक्ष सेवा देने के लिए की गई।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर एक्सपलेनेटरी हैंडबुक तैयार करने की दो परियोजनाएं आरंभ की गई। वर्ष 1994-95 के दौरान बिल्डिंग कन्सट्रक्शन प्रैक्टिसेज पर हैंडबुक और आई एस 875 (भाग III) कोड ऑफ प्रेक्टिसेज फॉर डिज़ाइन लोडस फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर पर एक्सपलेनेटरी हैंडबुक तैयार करने का कार्य अंतिम स्थिति में है और यह आशा है कि 1995-96 की पहली तिमाही में यह हैंडबुक पूरी हो जाएगी। इन हैंडबुकों को तेयार करने पर 8.22 लाख रूपये खर्च हुए।

गैट स्टैण्डर्डस कोड के अन्तर्गत राष्ट्रीय पूछताछ केन्द्र

भारत सरकार ने भामाब्यूरो को तटकर और व्यापार पर सामान्य करार (गैट) मानक संहिता के अंतर्गत केन्द्रीय पूछताछ केंद्र के रूप में नामित किया है। पूछताछ केन्द्र के कार्यकलाप को प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि शक्तिशाली सूचना तंत्र और दक्ष नेटवर्क बनाया जाए ताकि सूचना का वितरण शीघ्र किया जा सके। लेजट प्रिंटर, डेस्क टॉप पब्लिशिंग तंत्र, कंम्प्यूटर, फैक्स मशीन तथा माइक्रोग्राफी उपस्करों के लिए स्पेयर पुर्जो की खरीद पर 11.30 लाख रूपये खर्च किए गए।

स्टाफ के लिए आवास की व्यवस्था

स्थानान्तरित होने वाले अधिकारियों के लिए आवास की गंभीर कमी की समस्या के समाधान के लिए ब्यूरो 1976-80 से आवासीय फलैट प्राप्त कर रहा है। वर्ष 1994-95 के दौरान भामाब्यूरो के चंडीगढ़ में 10 फलैट और अहमदाबाद में 12 फलैट खरीदे और भोपाल में 12 फलैटों की खरीद के लिए आंशिक भुगतान भी कर दिया है। इस वर्ष इस परियोजना पर 109.77 लाख रूपये खर्च हुए।

विश्व बैंक परियोजना

भामाब्यूरो ने प्रौद्योगिकी सेवा आवर्ती निधि के अन्तर्गत विश्व बैंक के साथ 954 लाख रूपये का ऋण सात परियोजनाओं के लिए प्राप्त किया जो 4 वर्ष के विलम्बन काल सहित 15 वर्षों में वापिस किया जाना है।

Laboratory Equipments

The most important constituent of a laboratory is the testing equipment. BIS laboratories are continuously upgrading the testing equipment to bring them to international level to enable acceptance of BIS laboratory test reports in global market. The use of sophisticated equipment with latest technology would also reduce the time taken for testing. For modernisation of BIS Laboratories, gas chromatograph, stomacher, two high performance liquid chromatographs and other laboratory equipments were procured.

Computer and Other Associated Equipment

Standardisation requires a considerable amount of information processing. BIS has drawn detailed plans for computerization of its various activities. In this regard, computers and other associated equipments like high speed printers and photocopiers were identified for speedier formulation of standards and for providing efficient service to customers.

Science and Technology

On the recommendations of the National Committee for Science and Technology, two projects for the preparation of Explanatory handbooks were initiated. During 1994-95, handbooks on Building Construction Practices and Explanatory Handbook on IS 875 (Part III), Code of Practice for Design Loads for Building and Structures were at advanced stage of preparation and expected to be completed during 1995-96. An expenditure of Rs. 0.822 million was incurred on the preparation of these handbooks.

Central Enquiry Point Under the GATT Standards Code

The Government of India has nominated BIS as the Central Enquiry Point under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Standards Code. In order that the Enquiry Point functions effectively, it is necessary to build a strong information system and an efficient network for quicker dissemination of information. An expenditure of Rs. 1.13 million was incurred on purchase of laser printer, desk top publishing system, computer, fax machines and spares for micrography equipment.

Staff Housing

To resolve the problem of acute shortage of housing for transferable officers, BIS has been acquiring residential flats since 1979-80. During 1994-95, BIS purchased 10 flats at Chandigarh and 12 flats at Ahmedabad and made partial payment towards purchase of 12 flats at Bhopal. An expenditure of Rs. 10.977 million was made on this project during the year.

WORLD BANK PROJECTS

BIS had obtained in 1991-92 a loan of Rs. 95.4 million for seven projects from the World Bank under the Technology Services Revolving Fund, repayable in 15 years with a moratorium of four years.

ब्यूरो की तेरहवीं बैठक
Thirteenth Bureau meeting in progress

प्रबन्ध और पद्धति विभागीय परिषद की बैठक
Management and Systems Division Council meeting in progress

भामा ब्यूरो मुख्यालय नई दिल्ली में आईएसओ टीसी/113/एससी 2 की बैठक
'ISO TC 113 SC2' meeting held at BIS Head Quarters, New Delhi, in progress

वर्ष 1994-95 के दौरान सतत मानीटरी और संघनित प्रयासों के फलस्वरूप, भामा ब्यूरो मानकीकरण प्रबंध तथा मानक विकास निर्यात के लिए भामा ब्यूरो की सहायता को बढ़ाया, मानक सूचना केन्द्र, उत्पादों की गुणता बढ़ाना, भामा ब्यूरो की प्रशिक्षण गतिविधियों को और अधिक समर्थ बनाना, आदि, परियोजनाओं के अन्तर्गत 166.51 लाख रूपयों का उपयोग कर सका।

भारतीय मानकों के पुनरीक्षण और उन्हें अद्यतन बनाने की गति तीव्र करने के लिए और (संशोधन सहित) प्रकाशित मानकों को देशभर में फैले ग्राहकों को न्यूनतम अवधि में उपलब्ध कराने के लिए विश्व बैंक की निधि से एक परियोजना मानकों के पूरे पाठ की इलैक्ट्रोनिक इमेज बनाने, भंडारन, पुनः प्राप्ति तथा मुद्रण के लिए आरंभ की गई है। इस परियोजना में भारतीय मानकों की वर्तमान सभी हार्ड कापियों का प्रकाशिक डिस्क चुम्बकीय माध्यम और सीडी–आर ओ एम पर आधारित पूरे पाठ को डाटाबेस में परिवर्तित करने की सुविधाओं का सृजन करने के लिए आरंभ की गई है ताकि संशोधन सहित मानक के अद्यतन संस्करण की मुद्रित प्रतियाँ माँग पर उपलब्ध कराई जा सकें। आरंभ में यह सुविधा मुख्यालय में होगी तथा बाद में क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में 16 500 से अधिक भारतीय मानकों के भंडारण के लिए संपेक्षित–बहु मूल्य भंडारण स्थान की बचत भी हेा सकेगी।

विशिष्ट परियोजनाएँ

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के भाग के रूप में ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय में 1988 में भा मा ब्यूरों को जलपूर्ति मिशन पर गुणता आश्वासन (क्वासम) का कार्य 119 लाख रूपये की लागत पर सौंपा और इस परियोजना में मिशन का समर्थन ग्रामीण जलपूर्ति (आर डब्लयू एस) योजनाओं से संबद्ध गतिविधियों और मदों पर मानक और मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करना, उन मदों का प्रमाणन तथा भामा ब्यूरो में इन मदों के लिए परीक्षण सुविधाओं का सृजन उन्नयन है।

नल / वेधकूप की अवस्थिति, प्रचालन और रखरखाव, पाइप और फिटिंग तथा "पम्प" पर तीन विशिष्टि प्रकाशनों (हैंड बुकों) के प्रकाशन सहित तथा आर डब्ल्यू एस योजना में लगे राज्य स्तरीय इंजीनियरों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के साथ यह परियोजना 31 मार्च 1995 को पूरी हो गई।

As a result of constant monitoring and concerted efforts, BIS was able to utilize Rs. 16.651 million during 1994-95 under the projects on Standardization Management and Standards Development, Upgrading BIS Assistance to Exporters, Standards Information Centre, Upgrading Quality of Products, Strengthening BIS Training Activities.

In order to quicken the pace of revising and updating Indian Standards and to make published standards (with amendments) available to the customers country wide with minimum waiting time, a project to be funded by World Bank has been initiated to create facilities for electronic imaging, storage, retrieval and printing system for full text of standards. The project includes conversion of all the existing hard copies of Indian Standards to optical disk/magnetic media and prepare CD-ROM based full text database so that printed copies of updated versions incorporating the amendments can be provided on demand. This facility would be available at Headquarters to begin with and subsequently at Regional and Branch Offices. This would also result in the saving of valuable storage space of over 16 500 Indian Standards at Headquarters, Regional and Branch Offices.

SPECIAL PROJECTS

As a part of the Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission, the Department of Rural Development, Ministry of Agriculture had in 1988 assigned the Quality Assurance for Water Supply Mission (QAWSM) project to BIS with an outlay of Rs. 11.9 million. The project envisaged support to the Mission in the form of preparation of standards and guidelines for activities and items related to rural water supply (RWS) schemes, certification of such items and creation/upgradation of testing facilities in BIS laboratories for these items.

With the publication of three special publications (handbooks) on 'Location, Operation and Maintenance of Tube/Borewells, 'Pipes and fitting' and 'Pumps', and one awareness programme for state level engineers engaged in RWS schemes during the year, the project was completed on 31 March 1995.

मानक निर्धारण

3 STANDARDS FORMULATION

मानक निर्धारण गतिविधि के बारे में जानने के लिए सिविल इंजीनियरी, विद्युत तकनीकी, खाद्य एवं कृषि, प्रबन्ध एवं पद्धति, धातुकर्म इंजीनियरी, उत्पादन इंजीनियरी, नदी घाटी, वस्त्रादि एवं परिवहन इंजनियरी की विभागीय परिषद की वर्ष में बैठकें हुई। मानकों के मसौदों और उनसे संबंधित तकनीकी प्रलेखों पर विस्तार से विचार करने के लिए 152 विषय समिति की बैठकें भी आयोजित की गयीं।

वर्ष के दौरान 338 मानक (नये तथा पुनरीक्षित) ब्यूरो द्वारा निर्धारित किये गये, जिससे 31 मार्च 1995 को (देखें आकृति 3.1) लागू मानकों की कुल संख्या 16 631 हो गयी। इसके अलावा वर्तमान भारतीय मानकों के 255 संशोधन भी जारी किये गये। मानक निर्धारण गतिविधि का विभागवार विवरण सारणी 3.1 में दिया गया है।

महत्वपूर्ण मानक

कुछ महत्वपूर्ण विषय, जिन पर नये तथा पुनरीक्षित मानक बने, की सूची नीचे दी जा रही है :

रसायन

– पर्यावरण संबंधी नमूनों में रेडियोन्यूक्लाइड – सकल बीटा सक्रियता मापन की पद्धतियों

To take stock of standards formulation activity, Division Councils of Civil Engineering, Electrotechnical, Food and Agriculture, Management and Systems, Metallurgical Engineering, Production Engineering, River Valley, Textiles and Transport Engineering met during the year. The meetings of 152 Sectional Committees were also held to consider drafts of standards and related technical documents in detail.

During the year, the Bureau formulated 338 standards (new and revised), bringing the total number of standards in force to 16 631 as on 31 March 1995 (*see Fig. 3.1*). In addition 255 amendments to existing Indian Standards were issued. Departmentwise details of standard formulation activity is given in Table 3.1.

IMPORTANT STANDARDS

Some of the important subjects on which new or revised Indian Standards were formulated are listed below:

Chemical

- Radionuclides in environmental samples — Methods of gross beta activity measurement

सारणी 3.1 1994-95 के दौरान मानक निर्धारण गतिविधि
Table 3.1 Standards Formulation Activity During 1994-95

क्षेत्र Field	निर्धारित मानक Standards Formulated	जारी किए गए संशोधन Amendments Issued
(1)	(2)	(3)
रसायन Chemical	25	30
सिविल इंजीनियरी Civil Engineering	21	20
इलैक्ट्रानिकी एवं दूरसंचार Electronics and Telecommunications	22	1
विद्युत तकनीकी Electrotechnical	32	31
खाद्य एवं कृषि Food and Agriculture	29	49
भारी यांत्रिक इंजीनियरी Heavy Mechanical Engineering	16	26
हल्की यांत्रिक इंजीनियरी Light Mechanical Engineering	23	3
प्रबन्ध एवं पद्धति Management and Systems	19	5
चिकित्सा उपस्कर एवं अस्पताल आयोजन Medical Equipment and Hospital Planning	16	24
धातुकर्म इंजीनियरी Metallurgical Engineering	24	35
पेट्रोरसायन Petrochemicals	19	9
उत्पादन इंजीनियरी Production Engineering	25	5
नदी घाटी River Valley	13	Nil
वस्त्रादि Textiles	20	5
परिवहन इंजीनियरी Transport Engineering	34	12
योग TOTAL	**338**	**255**

– पर्यावरण संबंधी नमूनों में रेडियोन्यूक्लाइड – सकल एल्फा सक्रियता मापन की पद्धतियां

– पर्यावरण संबंधी नमूनों में रेडियोन्यूक्लाइड – यूरेनियम के आकलन को पद्धतियां

सिविल इंजीनियरी

– छत और फर्श बनाने के लिए पूर्वढलित पूर्वप्रबलित कंकरीट प्लांक तथा जोड़ – विशिष्ट

– पूर्व दलित पूर्व प्रचलित कंकरीट प्लांक और जोड़ सहित फर्श तथा छत की डिजाइन और संरचना – रीति संहिता

– फर्श तथा छत बनाने के लिए पूर्व संविरचित ईटों के पेनल तथा आंशिक पूर्व ढले कंकरीट जोइस्ट – विशिष्टि

– पूर्व संविरचित ईटों के पैनल सहित फर्श और छत के डिजाइन तथा संरचना – रीति संहिता

इलैक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार

– केबलकृत वितरण प्रणाली – मुख्य रूप से 30 मेगाहर्टज तथा 1 मेगाहर्टज के बीच के ध्वनि तथा दूरदर्शन संकेत प्रचालन के लिए बना (पहला पुनरीक्षण)

– रेडियो आवर्ती केबल, केबलकृत वितरण प्रणाली में प्रयुक्त एकल यूनिट समाक्ष केबल की सामान्य अपेक्षाएं तथा परीक्षण

– डिश एंटीना – विशिष्टि

– सक्रिय और निष्क्रिय समाक्ष वाइड बैंड वितरण संघटक

– सेटलाइट रिसीवर – विशिष्टि

विद्युत तकनीकी

– ए.सी. पावर प्रणाली के लिए 1 000 वो. से अधिक की रेटित वोल्टता के शंट संधारित्रों में सहायता परीक्षण

– 1 000 वो. तक की कार्यकारी वोल्टता के लिए एरियल बंचकृत केबल

– प्रोग्राम योग्य नियंत्रक : सामान्य सूचना

खाद्य एवं कृषि

– मसाला संसाधन इकाइयों के लिये स्वास्थ्यकर रीति संहिता

भारी यांत्रिक इंजीनियरी

– वाष्पशील एयर कूलर (डेजर्ट कूलर) (पहला पुनरीक्षण)

– कृषि प्रयोजनों के लिए अनुशंसित प्रणाली (दूसरा पुनरीक्षण)

– पैकेजबंद बायलरों की दक्षता के परिकलन की पद्धति

- Radionuclides in environmental samples - Methods of gross alpha activity measurement
- Radionuclides in environmental samples - Methods of estimation of uranium

Civil Engineering

- Precast reinforced concrete planks and joists for roofing and flooring - Specification
- Design and construction of floor and roof with precast reinforced concrete planks and joists - Code of practice
- Prefabricated brick panel and partially precast concrete joist for flooring and roofing - Specification
- Design and construction of floors and roofs with prefabricated brick panel - Code of practice

Electronics and Telecommunication

- Cabled distribution system, primarily intended for sound and television signals operating between 30 MHz and 1 GHz *(first revision)*
- Radio frequency cables, general requirements and tests for single unit coaxial cable for use in cabled distribution system
- Dish antenna — Specification
- Active and passive co-axial wide band distribution components
- Satellite receivers — Specification

Electrotechnical

- Endurance testing of shunt capacitors for AC power systems having a rated voltage above 1 000 V
- Aerial bunched cables for working voltages up to and including 1 000 V
- Programmable controller : General information

Food and Agriculture

- Code for hygienic practice for spices and condiments processing units

Heavy Mechanical Engineering

Evaporative air coolers (desert coolers) *(first revision)*

Recommended pumping system for agricultural purposes *(second revision)*

Method of calculation of efficiency of packaged boilers

आकृति 3.1 लागू मानक

Fig. 3.1 Standards in force

(31 मार्च को) (As on 31st March)

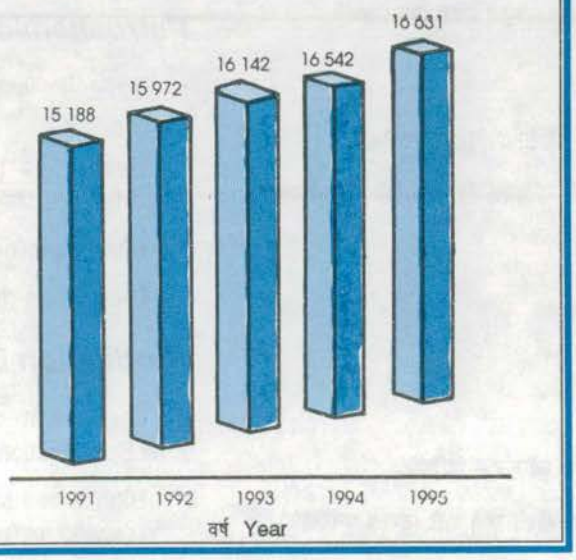

हल्की यांत्रिक इंजीनियरी

– फास्टनर्स – षटकोणीय सॉकेट सहित काउंटरशक एवं शीर्श पेंच वाले – विशिष्टि

– वस्त्रादि पूर्व प्रबलित रबड़ के प्लाई युक्त वाहक पट्टों के लिए स्थानिक गैर यांत्रिक जोड़ – रीति संहिता

– पैकेजबंदी – यूनिट भार साइज – आयाम

प्रबंध एवं पद्धति

– एस आई यूनिटें और उनके और कुछ अन्य यूनिटों के बहुगणक उपयोग की सिफारिशें (दूसरा पुनरीक्षण)

– प्रलेखन और सूचना – प्रलेखों तथा आँकड़ों का अभिग्रहण उनकी पहचान और विश्लेषण की पारिभाषिक शब्दावली

– वार्ड, नर्सिंग सेवाओं तथा आपरेशन थियेटर सहित अस्पताल (30 बिस्तर वाले अस्पतालों के लिए) की सेवाओं का गुणता प्रबंध

चिकित्सा उपस्कर एवं अस्पताल योजना

– ठोस नली वाला डाक्टरी थर्मामीटर (दूसरा पुनरीक्षण)

– एक बार उपयोग में आने वाली निर्जर्म अधस्त्वक् सिरिंजें (पहला पुनरीक्षण)

– विकलांगों के लिए कृत्रिम अंगों पर सूचनांकन पैकिंग करने और लेबल लगाने संबंधी सामान्य अपेक्षाएं

धातुकर्म इंजीनियरी

– चुम्बकीय परिपथ के गैर उन्मुखी वैद्युत इस्पात की चददरें और पट्टियाँ – विशिष्टि (चौथा पुनरीक्षण)

– संसाधित लौह–छीज़न के वर्गीकरण की संहिता (पहला पुनरीक्षण)

– लोहे–ऑक्साइड के लिए तापीय अपचयन सूचकांक (टीडीआई) और लघुकरण अपचयन सूचनांक (आरडीआई) ज्ञात करने की पद्धति

– इस्पात बनाने के लिए गर्म–इष्टिकाकृत स्पंज लौह (एचबीआई)

पैट्रोरसायन

– फेनोली लेमिनेट की गई चददरें – विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)

– सजावटी तापस्थापन संशिलष्ट रॅजिन बद्ध लेमिनेट की गई चददरें (दूसरा पुनरीक्षण)

– मोटर गेसोलिन (दूसरा पुनरीक्षण)

– डीज़ल ईंधन (तीसरा पुनरीक्षण)

उत्पादन इंजीनियरी

– कई नौंक वाले हीरा संसेचित ड्रेसिंग औजार – विशिष्टि

– उच्च गति वाले इस्पात रीमर – तकनीकी पूर्ति शर्तें (दूसरा पुनरीक्षण)

Light Mechanical Engineering

- Fasteners - Countersunk head screws with hexagon socket - Specification
- On-site non-mechanical jointing of plied textile reinforced rubber conveyor belting - Code of practice
- Packaging - Unit load sizes - Dimensions

Management and Systems

- SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units *(second revision)*
- Documentation and information - Vocabulary on acquisition, identification and analysis of documents and data
- Quality management for hospital services covering wards, nursing services and operation theatre (up to 30-bedded hospitals)

Medical Equipment and Hospital Planning

- Solid stem type clinical thermometers *(second revision)*
- Sterile hypodermic syringes for single use *(first revision)*
- General requirements for marking, packaging and labelling of orthopaedic implants

Metallurgical Engineering

- Non-oriented electrical steel sheets and strips of magnetic circuits - Specification *(fourth revision)*
- Code for classification of processed ferrous scrap *(first revision)*
- Methods for determination of thermal degradation index (TDI) and reduction degradation index (RDI) of iron oxides *(first revision)*
- Hot briquetted sponge iron (HBI) for steel making

Petrochemicals

- Phenolic laminated sheets - Specification *(second revision)*
- Decorative thermosetting synthetic resin bonded laminated sheets *(second revision)*
- Motor gasoline *(second revision)*
- Diesel fuels *(third revision)*

Production Engineering

- Multi-point diamond impregnated dressing tools - Specification
- High speed steel reamers -Technical supply conditions *(second revision)*

– कार्बाइड टिप वाले तथा ठोस कार्बाइड रीमर – तकनीकी पूर्ति शर्तें (पहला पुनरीक्षण)

नदी घाटी

– जलाशय प्रचालन – मार्गदर्शी सिद्धांत (पहला पुनरीक्षण)
– नदी घाटी परियोजनाओं की संरचना, प्रचालन तथा रखरखाव की सुरक्षा संहिता – खुला खनन
– बैराज तथा वियर के मापयंत्रण के मार्गदर्शी सिद्धांत

वस्त्रादि

– मनीला रस्से – विशिष्टि (चौथा पुनरीक्षण)
– वस्त्रादि सहायक उपकरण – यूरिया फोर्मलडिहाइड रेजिन – विशिष्टि
– वस्त्रादि सहायक उपकरण–डाइमिथाइलोल, इथाइलिन यूरिया अभिकारक – विशिष्टि

परिवहन इंजीनियरी

– मोटर वाहन ब्रेक लाइनिंग
– मोटर वाहन – ब्रेकिंग प्रणाली – दुपहिया और तिपहिया वाहनों की परीक्षण प्रक्रिया
– आंतरिक दहन इंजन – विकिरक – ऊष्मा क्षति कार्यकारिता – परीक्षण पद्धति
– मोटर वाहन – वाह्य प्रक्षेपण – कार्यकारिता संबंधी अपेक्षाएं
– पोतनिर्माण – समुद्री सुवाह्य अग्निशमन साधित्रों का परीक्षण, संस्थापन तथा रखरखाव – रीति संहिता (पहला पुनरीक्षण)
– पोत निर्माण – जहाज में मुख्य इंजन में ताजे जल के प्रशीतन की प्रणाली – रीति संहिता

केबल टी.वी. संबंधी मानक

भारत सरकार ने 1994 में केबल टीवी अध्यादेश जारी किया। इस अध्यादेश के अन्तर्गत केबल टीवी नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाले केबल टीवी के सभी उपस्करों का सम्बद्ध भारतीय मानकों के अनुरूप होना अपेक्षित है। इस अध्यादेश के जारी होने से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए भामा ब्यूरो ने अपनी रेडियो सम्प्रेषण विषय समिति के माध्यम से केबल टीवी के क्षेत्र से संबंधित मानकों को तैयार करने का कार्य युद्धस्तर पर करना आरंभ कर दिया। वर्ष के दौरान केबल टीवी नेटवर्क के लिए 12 मानकों को अंतिम रूप दिया गया। इन मानकों में डिश ऐन्टीना, हैडएंड (इसमें ऐन्टीना एम्पलीफायर, फ्रीक्यवेंसी कन्वरटर्स, कम्बाइनर्स, सैपरेटर्स एंड जनरेटर शामिल है), सक्रिय तथा निष्क्रिय संघटक, (पद्धति आउटलेट, स्पिलटर्स, सब्स्क्राइबर टेप, फिल्टर, तनुकारक, आइसोलेटर, इत्यादि) समाक्ष केबल से संबंधित केबल टीवी उपस्कर है। इन मानकों में उपरोक्त उपकरणों के लिए कार्यकारिता संबंधी अपेक्षाओं का अनुकूलतम स्तर और एक समान परीक्षण पद्धतियाँ शामिल है। इन मानकों के प्रकाशन से निजी निर्माताओं द्वारा निर्मित केबल टीवी उपस्करों में गुणता के लिए न्यूनतम स्तर सुनिश्चित होगा।

मानकों की पुनरीक्षा और उन्हें अद्यतन बनाना

मानकों की पुनरीक्षा अपवश्यकता होने पर, किन्तु 5 वर्ष में एक बार की जाती है। इस वर्ष 1884 मानकों की पुनरीक्षा की गयी, 1762 मानकों को

- Carbide tipped and solid carbide reamers - Technical supply conditions *(first revision)*

River Valley

- Operation of reservoirs - Guidelines *(first revision)*
- Safety code for construction, operation and maintenance of river valley projects — Open excavation
- Guidelines for instrumentation of barrages and weirs

Textiles

- Manila ropes - Specification *(fourth revision)*
- Textile auxiliaries - Urea formaldehyde resins - Specification
- Textile auxiliaries - Dimethylol, dihydroxy ethylene urea reactant - Specification

Transport Engineering

- Automotive brake lining
- Automotive vehicles - Braking systems - Test procedure for two and three wheelers
- Internal combustion engines - Radiators - Heat dissipation performance - Method of test
- Automotive vehicles - External projection - Performance requirements
- Shipbuilding -Testing, installation and maintenance of marine portable fire appliances - Code of practice *(first revision)*
- Shipbuilding - Ships' main engine fresh water cooling system - Code of practice

CABLE TV STANDARDS

The Government of India in 1994 had promulgated Cable TV Ordinance. Under this ordinance, all the cable TV equipment to be used in the Cable TV Network are required to conform to the relevant Indian Standards. Arising out of promulgation of this ordinance, BIS through its Radio Communication Sectional Committee, had taken up the preparation of standards in the Cable TV area on war-footing basis. During the year, 12 standards have been finalized for cable TV network. These standards cover cable TV equipment relating to dish antenna, headend (covering antenna amplifiers, frequency convertors, combiners, separators and generators), active and passive components, (system outlets, splitters, subscriber's taps, filters, attenuators, isolators, etc) and coaxial cable. These standards cover optimum level of performance requirement and uniform testing methods for such equipment. Publication of these standards will ensure certain minimum level of quality of cable TV equipment by individual manufacturers.

REVIEW AND UPDATING OF STANDARDS

Standards are reviewed as considered necessary, but at least once in five years. During the year, 1884 standards

पुनर्पुष्ट किया गया और 210 को पुनरीक्षित किया गया तथा 403 मानक वापस ले लिये गये। इसके अलावा वर्तमान मानकों में 255 संशोधन किये गये।

आईएसओ/टीसी 113 "हाइड्रोमीट्रिक डिटरमिनेशन" की बैठकें

हाइड्रोमीट्रिक डिटरमिनेशन के क्षेत्र में भारत की रूचि और विशेषता को देखते हुए आईएसओ/टीसी 113 तथा इसकी 2 उप समितियों अर्थात, आईएसओ/टीसी 113/एससी 1 "वेलोसिटी एरिया मैथड" और आईएसओ/टीसी 113/एससी 6 'सेडीमेंट ट्रांसपोर्ट' का सचिवालय ब्यूरो के पास है। आईएसओ/टीसी 113 के अध्यक्ष भारतीय होते हैं और इस समय इसके अध्यक्ष श्री एन. सूर्यनारायन, आयुक्त (पीपी), जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार हैं। आईएसओ/टीसी 113 तथा इसकी उप समितियां अपनी सामूहित बैठकें अपने सदस्यों देशों में बारी-बारी से आयोजित करती हैं। इसी प्रकार की सामूहिक बैठकों की मेजबानी ब्यूरो ने नई दिल्ली में 3 से 8 अक्तूबर 1994 के दौरान की। इन बैठकों में भारत, यू.के., यूएसए., जापान, वर्ल्ड मैटीयोरोलोजिकल ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूएमओ) तथा इन्टरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज (आईसीआईडी) के सदस्यों ने भी भाग लिया।

जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय जल तथा पावर अनुसंधान स्टेशन, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, नेशनल इन्स्टीट्यट आफ टाइड्रोलोजी, रूड़की यूनिवर्सिटी, उ.प्र. सिंचाई अनुसंधान संस्थान इत्यादि से लिये गये सदस्यों से बने भारत के समृद्ध शिष्टमंडल के सदस्यों ने इन बैठकों में भाग लिया। कई महत्वपूर्ण तकनीकी दस्तावेजों पर विचार–विमर्श हुआ और भारत के संघनित प्रयासों के फलस्वरूप उल्लेखनीय प्रगति हुई।

प्रौद्योगिकी संबंधी मिशन

महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समयबद्ध परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने साक्षरता, ग्रामीण क्षेत्रों में जल पूर्ति, टीकाकरण, दूरसंचार, तेल देने वाले पौधों के बीज, डेयरी विकास के क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किये हैं। ब्यूरो ने मिशनों के लिए अभिज्ञात क्षेत्रों में मानक तैयार करके अपनी प्रमाणन योजना के अंतर्गत सम्बद्ध उत्पादों को शामिल करने की गति को बढ़ाकर तथा इस प्रकार के उत्पादों के लिए अपनी प्रयोगशालाओं में परीक्षण सुविधाओं में वृद्धि करके सभी सहायता प्रदान की।

क्वासम प्रोजेक्ट

ब्यूरो ने 1988 में सौंपे गये राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत जल पूर्ति मिशन (क्वासम) की गुणता आश्वासन संबंधी परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह कार्य 1988 में आरंभ हुआ था। इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के फील्ड इंजीनियरों में, इस क्षेत्र में उपलब्ध भारतीय मानकों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने में, जल पूर्ति योजना में भामा ब्यूरों द्वारा प्रमाणित उत्पादों का उपयोग करने के लाभ और लिये गये उत्पादों की गुणता की जाँच के लिए उपलब्ध परीक्षण प्रक्रियाओं पर विशेष रूप से बल दिया गया। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के कुल 26 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये। इन उत्पादों के निर्माताओं को अपनी प्रमाणन योजना के अन्तर्गत लाने के लिए विशेष बल दिया गया तथा निर्माताओं और राज्यों की खरीद एजेन्सियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों पर विशेष हैंडबुकों को अंतिम रूप दिया गया :

were reviewed, 1726 standards were reaffirmed, 210 were taken up for revision and 403 were withdrawn. In addition 255 amendments were issued to the existing standards.

MEETINGS OF ISO/TC 113 HYDROMETRIC DETERMINATIONS

Considering India's interest and expertise in the field of hydrometric determinations, BIS is holding the Secretariat of ISO/TC 113 and two of its subcommittees namely ISO/TC 113/SC 1 Velocity Area Methods and ISO/TC 113/SC 6 Sediment Transport. India has provided the Chairman for ISO/TC 113 and the current Chairman is Shri N. Suryanarayana, Commissioner (PP), Ministry of Water Resources, Govt. of India. ISO/TC 113 and its subcommittees hold their group meetings by rotation in the member countries. Such group meetings were hosted by the Bureau at New Delhi during 3-8 October 1994. The meetings were attended by delegates from India, UK, USA, Japan, World Meteorological Organization (WMO) and International Commission on Irrigation and Drainage (ICID).

From India a strong delegation drawn from Ministry of Water Resources, Central Water Commission, Central Water and Power Research Station, Central Ground Water Board, National Institute of Hydrology, University of Roorkee, UP Irrigation Research Institute, etc, participated in these meetings. A number of important technical documents were discussed and considerable progress was achieved in processing the same through concerted inputs by India.

TECHNOLOGY MISSIONS

In order to achieve time bound results in crucial sectors, Government of India has set up Technology Missions in the areas of literacy, rural water supply, immunization, tele-communication, oil seeds and dairy development. Bureau provided support to these missions through preparation of standards in identified areas, increased coverage of relevant products under its certification scheme and enhanced testing facilities in its laboratories for such products.

QAWSM Project

Bureau successfully completed the Quality Assurance for Water Supply Mission (QAWSM) Project started in 1988 assigned by Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission. Under the project special emphasis was laid on generating awareness in field engineers of State Governments about the available Indian Standards in this sector, benefits of using BIS certified products in water supply schemes and available test procedures for checking quality of products procured. A total of 26 such awareness programmes were organized in different parts of the country. Special thrust was given to bring manufacturers of these products under our certification scheme and training programmes were organized for manufacturers and State purchase agencies. Under the project, special Handbooks on the following subjects were finalized:

लाइसेंसों, आवदेकों का मूल्यांकन

नये लाइसेंस प्रदान करने के लिए किये गये आरंभिक निरीक्षणों की संख्या, वर्तमान लाइसेंसों का पर्यवेक्षण करने के लिए किये गये आवधिक और अन्य निरीक्षणों की संख्या तालिका 4.2 में दी गई है।

गतावधि/रद्द किये गये लाइसेंस

वर्ष के दौरान 1292 लाइसेंस गतावधि/रद्द लाइसेंसों के गतावधि होने अथवा रद्द होने के कारण लाइसेंसधारी की असंतोषजनक कार्यकारिता, लाइसेंसधारी की फैक्ट्री का बंद होना, निर्माता द्वारा लाइसेंस में शामिल उत्पाद के निर्माण में रूचि न होना इत्यादि थे।

आकृति 4.3 31 मार्च को लागू लाइसेंसों की संख्या

Fig. 4.3 Number of Operative licences as on 31st March

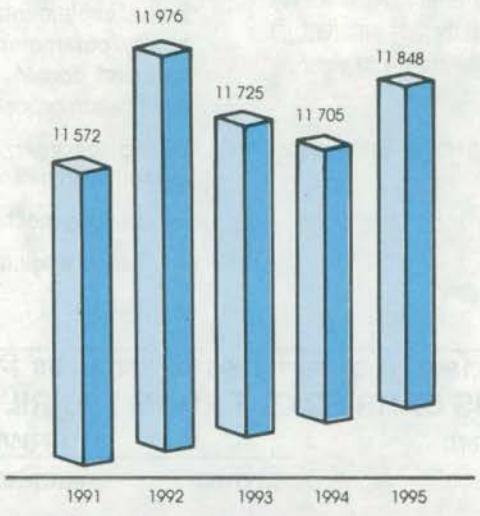

Assessment of Licenses/Applicants

The number of preliminary inspections for grant of new licenses and periodic and other inspections carried out for supervision of existing licenses is given in Table 4.2.

Expired/Cancelled Licenses

During the year, 1 292 licences were expired/cancelled. The reasons for expiry/cancellation of licenses include unsatisfactory performance by the licensees, closure of the licensee's factory, lack of interest on the part of the licenseesto continue manufacture of the product covered by the license, etc.

सारणी 2 प्रमाणन मुहर लाइसेंसों का क्षेत्रवार वितरण

(31 मार्च 1995 को)

TABLE 4.1 REGION-WISE DISTRIBUTION OF PRODUCT CERTIFICATION (ISI MARK) LICENSES (AS ON 31 MARCH 1995)

क्रम सं. SL. NO.	क्षेत्र REGION	शाखा कार्यालय BRANCH OFFICE	चालू लाइसेंस की संख्या NO. OF LICENSES IN OPERATION
1.	मध्य CENTRAL	क a) दिल्ली Delhi	1 266
		ख b) भोपाल Bhopal	590
		ग c) गाजियाबाद Ghaziabad	474
		घ d) जयपुर Jaipur	496
		योग TOTAL	**2 826**
2.	पूर्वी EASTERN	क a) कलकत्ता (गुवाहाटी सहित) Calcutta (including Guwahati)	1 243
		ख b) भुवनेश्वर Bhubaneshwar	202
		ग c) पटना Patna	320
		योग TOTAL	**1 765**
3.	उत्तरी NORTHERN	क a) चंडीगढ़ Chandigarh	1 461
		ख b) फरीदाबाद Faridabad	333
		ग c) कानपुर Kanpur	248
		घ d) लखनऊ Lucknow	242
		योग TOTAL	**2 284**
4.	दक्षिणी SOUTHERN	क a) मद्रास Madras	672
		ख b) बंगलौर Bangalore	443
		ग c) कोयम्बत्तूर Coimbatore	447
		घ d) हैदराबाद Hyderabad	576
		ण e) तिरवनंतपुरम Thiruvananthapuram	159
		योग TOTAL	**2 297**
5.	पश्चिमी WESTERN	क a) बम्बई Bombay	1 656
		ख b) अहमदाबाद Ahmedabad	1 020
		योग TOTAL	**2 676**
		कुल योग GRAND TOTAL	**11 848**

प्रचालन की समीक्षा

भामा ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना के प्रचालन, मानकों के कार्यान्वयनों में आने वाली तकनीकी समस्याओं, किसी उत्पाद के गुणता संबंधी मानदण्डोंको से उपयोगकर्ता को दी जाने जाने वाली वरीयता के बारे में फीडबैक प्राप्त करने के उद्देश्य से भामा ब्यूरो लाइसेंसधारियों तथा सम्बद्ध उपभोक्ताओं से सरोकार वालों के साथ विशिष्ट क्षेत्रों में पुनरीक्षा बैठकें तथा कार्यशालाएं आयोजित की गई। फीडबैक से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग मानकों और प्रमाणन प्रक्रियाओं के पुनरीक्षण के लिए किया गया।

वर्ष के दौरान लाइसेंसधारियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 18 पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की गई। इसमें से कुछ क्षेत्र हैं :

* सिलाई की मशीनें
* डीजल इंजन
* रबड़

Review of Operation

Review meetings and workshops with the BIS licensees and the concerned consumer interests in specified fields were organized to obtain feedback on the operation of the BIS Certification Marks Scheme, technical difficulties encountered in the implementation of standards, users preferences for quality parameters of a product, etc. The feedback data received comes handy for reviewing the standards and certification procedures.

During the year, 18 review meetings with licensees were organized in different product areas. Some of these include :

* Sewing machines
* Diesel engines
* Rubber

सारणी 31 अप्रैल 1994 से 31 मार्च 1995 के दौरान किए निरीक्षणों की तालिका

TABLE 4.2 INSPECTIONS CARRIED OUT FROM 1 APRIL 1994 TO 31 MARCH 1995

क्रम सं. SL.	क्षेत्र REGION	शाखा कार्यालय BRANCH OFFICE	निरीक्षण INSPECTION			योग TOTAL NO.
			प्रारंभिक PRELIMINARY	आवधिक PERIODIC	अन्य OTHERS	
1.	मध्य CENTRAL	क) दिल्ली a) Delhi	296	993	1 030	2 319
		ख) भोपाल b) Bhopal	130	1 052	155	1 337
		ग) गाजियाबाद c) Ghaziabad	110	646	1 063	1 819
		घ) जयपुर d) Jaipur	149	302	2 438	2 889
		योग TOTAL	**685**	**2 993**	**4 686**	**8 364**
2.	पूर्वी EASTERN	क) कलकत्ता (गुवाहाटी सहित) a) Calcutta (including Guwahati)	243	1 501	694	2 438
		ख) भुवनेश्वर b) Bhubaneshwar	36	695	729	1 460
		ग) पटना c) Patna	26	609	110	745
		योग TOTAL	**305**	**2 805**	**1 533**	**4 643**
3.	उत्तरी NORTHERN	क) चंडीगढ़ a) Chandigarh	184	1 455	1 024	2 663
		ख) फरीदाबाद b) Faridabad	70	361	8 327	8 758
		ग) कानपुर c) Kanpur	32	299	131	462
		घ) लखनऊ d) Lucknow	96	557	33	686
		योग TOTAL	**382**	**2 672**	**9 515**	**12 569**
4.	दक्षिणी SOUTHERN	क) मद्रास a) Madras	114	1 107	1 198	2 419
		ख) बंगलौर b) Bangalore	54	489	1 890	2 433
		ग) कोयम्बत्तूर c) Coimbatore	73	494	93	660
		घ) हैदराबाद d) Hyderabad	103	731	659	1 493
		ड़) तिरूवनंतपुरम e) Thiruvananthapuram	41	310	158	509
		योग TOTAL	**385**	**3 131**	**3 998**	**7 514**
5.	पश्चिमी WESTERN	क) बम्बई a) Bombay	502	1 692	2 921	5 115
		ख) अहमदाबाद b) Ahmedabad	248	955	2 369	3 572
		योग TOTAL	**750**	**2 647**	**5 290**	**8 687**
		कुल योग GRAND TOTAL	**2 507**	**14 248**	**25 022**	**41 777**

प्रवर्तन सम्बन्धी स्थायी समिति की पहली बैठक
The first meeting of Standing Committee on enforcement in progress

परीक्षणाधीन बिजली की इस्तरी
Electric Irons under testing

फरीदाबाद में आयोजित प्रदर्शनी में प्रदर्शित ISI मुहर लगे उत्पाद
ISI Marked products on display at an exhibition organized at Faridabad

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली में भामा ब्यूरो के स्टॉल का दृश्य
A view of BIS stall at the India International Trade Fair, New Delhi.

* वनस्पति के लिए 15 किग्रा चौकोर टीन
* यू पी वी सी पाइप
* अपकेन्द्रीय गहराई से पानी निकालने वाले हैंड पम्प
* सीमेंट
* हौजरी के उत्पाद

प्रवर्तन

"ब्यूरो" ने अपने 24 मार्च 1994 को हुई मीटिंग में प्रवर्तन पर एक स्थायी समिति गठित की, जिसे सरकार द्वारा जारी गुणता नियंत्रण आदेशों के उल्लघंन और भामा ब्यूरो अधिनियम 1986 के उल्लघंन करने वालों के साथ अपनायी जाने वाली नीति पर सुझाव देना था। वर्ष के दौरान इस समिति की 2 बैठकें 4 मई और 6 दिसम्बर 1994 को आयोजित की गई। इस बैठक में समिति ने प्रवर्तन संबंधी गतिविधियों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और आगे के लिए निम्नलिखित कार्यवाही करने का निर्णय लिया :

- वर्तमान सांविधिक प्रावधानों को अधिक प्रभावी और बलशाली बनाने के संबंध में समीक्षा करना।
- उपभोक्ता संगठनों को उपयुक्त कानून के माध्यम से प्रवर्तन संबंधी गतिविधियां चलाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- भामा ब्यूरो, राज्य सरकारों और उपभोक्ता संगठनों में भामा ब्यूरो अधिनियम विभिन्न गुणता नियंत्रण आदेशों के प्रावधानों के बारे में जनसाधारण को शिक्षित करने का कार्य हाथ में लेना।

ब्यूरो में की गई तैयारियां

बेईमान व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे आईएसआई मुहर के दुरूपयोग को रोकने तथा ऐसे व्यक्तियों पर भामा ब्यूरो 1986 के अन्तर्गत अभियान चलाने के लिए ब्यूरो में निम्नलिखित उपाय किये गये :–

क) अधिकारियों को मार्गदर्शन देने के लिए और पूरे भारतवर्ष में एकसमान दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रवर्तन मैनुअल तैयार किया गया।

ख) भामा ब्यूरो नियमों में संशोधन किये गये, ताकि भामा ब्यूरो अधिनियम के अन्तर्गत अपराधियों के विरूद्ध साक्ष्यों को इकट्ठा करने के लिए निरीक्षण अधिकारियों को मिली जाँच – पड़ताल और जब्त करने की शक्ति उपयोग में लाना सुविधाजनक हो जाये।

ग) प्रत्येक शाखा से एक व्यक्ति को प्रवर्तन नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया, ताकि पृथक्–पृथक शाखाओं के प्रतर्तन संबंधी कार्यों में सामान्य स्थापित किया जा सके।

घ) भामा ब्यूरो अधिनियम से सम्बद्ध प्रवर्तन संबंधी प्रावधानों और जाँचकर्ताओं द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं से भामा ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों के अधिकारियों को परिचित कराने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गयी।

केन्द्रीय/राज्य सरकारों के साथ परस्पर सम्पर्क

भामा ब्यूरो ने मानकीकरण और गुणता पद्धति के लिए राज्य स्तरीय समितियों की व्यवस्था के माध्यम से विभिन्न गुणता नियंत्रण आदेशों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के प्राधिकरणों से घनिष्ठ संबंध बनाये रखे। राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए भामा ब्यूरो द्वारा 5 कार्यशालाएं आयोजित की गई, ताकि उन्हें भामा ब्यूरो अधिनियम की जानकारी दी जा सके और लागू विभिन्न गुणता नियंत्रण आदेशों की मुख्य विशेषताओं के बारे में भी बताया जा सके। कई राज्य सरकारों द्वारा अपने

* 15 kg square tins for vanaspati
* UPVC pipes
* Centrifugal and deep well hand pumps
* Cement
* Hosiery products

ENFORCEMENT

The Bureau, in its meeting held on 24 March 1994, had set up a Standing Committee on Enforcement with the responsibility to suggest the strategy for dealing with violation of quality control orders issued by the Government as also for dealing with violation of *BIS Act*, 1986. During the year two meetings of the Committee were held on 4 May and 6 December 1994. During these meetings, the Committee took stock of the current status of enforcement activities and decided for further action on the following:

- To review the existing statutory provisions for making them more effective and forcefull.
- To encourage consumer organizations for taking up enforcement activities through appropriate laws.
- BIS, State Governments and Consumer Organizations to take up public education on the provisions of *BIS Act* and various quality control orders.

In-House Preparation

With a view to check the misuse of ISI Mark by unscruplous persons and for launching prosecution against such persons under *BIS Act* 1986, following steps were taken in-house :

a) An Enforcement Manual was prepared for guidance of the officers and to have uniform approach all over India,

b) BIS Rules were got amended to facilitate exercise of power of Search and Seizure available to the Inspecting Officers under *BIS Act* for collection of evidence against offenders,

c) An officer from each branch was nominated as Enforcement Nodal Officer to coordinate the enforcement function in the respective branches, and

d) Workshops were organized to familiarize the officers in ROs/BOs with the enforcement related provisions of *BIS Act* and on the procedures to be followed for investigations.

Interaction with Central/State Governments

BIS closely interacted with State Government authorities for implementation of various quality control orders through the mechanism of State Level Committees for Standardization and Quality Systems. Five workshops for State Government officials were also organized by BIS for acquainting them with the provisions of *BIS Act*, as well as about the features of various quality control orders in force. Several State Governments appointed Nodal Officers to review and monitor

राज्यों में गुणता नियंत्रण आदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और उसकी मॉनीटरी के लिए नोडल अधिकारी को नियुक्त किया।

मृदु इस्पात की नलियों, सीमेंट तथा अन्य उपभोक्ता मदों के लिए बने वर्तमान गुणता नियंत्रण आदेशों में इस समय विशेष रूप से यह सूचना नहीं दी गई है कि इन आदेशों के प्रवर्तन को लागू करने के लिए राज्य सरकारों का कौन सा उपयुक्त प्राधिकरण अथवा विभाग इन्हें लागू करने की शक्तियां रखता है। भामा ब्यूरो केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ में नियंत्रण आदेशों के इन प्रावधानों में ही उपयुक्त संशोधन कराने का प्रयास कर रहा है, ताकि राज्य सरकार द्वारा इन्हें प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

वर्ष के दौरान विभिन्न गुणता नियंत्रण आदेशों और भामा ब्यूरो अधिनियम के प्रावधानों का प्रचार उचित प्राथमिकता के आधार पर किया गया। मुद्रण के प्रचार के माध्यम से कई विज्ञापन देने के अलावा लगभग 30 सैकेन्ड के अंतराल की 3 क्षणिकाएं (विडियो फिल्म) बनायी गयी। ये क्षणिकाएं दूरदर्शन पर ही समाचारों के दौरान विज्ञापन के लिए दिये जाने वाले प्राइम टाइम में दिखायी जा रही हैं। आईएसआई मुहर के दुरूपयोग पर प्रकाश डालते हुए एक 12 मिनट की शिक्षाप्रद फिल्म भी बनाई गई।

जागरूकता

भामा ब्यूरो अधिनियम के प्रावधान और गुणता नियंत्रण आदेशों के बारे में उपभोक्ता और व्यापारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए देश भर के महत्वपूर्ण बाजारों में 50 अभियान चलाये गये। भामा ब्यूरो के पांचों क्षेत्रीय कार्यालयों में भामा ब्यूरो के अधिकारियों को भामा ब्यूरो अधिनियम और गुणता नियंत्रण आदेशों की जानकारी देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गयी।

छापे

वर्ष के दौरान आम उपभोक्ता को घटिया और असुरक्षित सामग्री को खरीदने से हुए धोखे से बचाने के लिए भामा ब्यूरो मुहर के दुरूपयोग पर नियंत्रण रखने के लिए प्रवर्तन संबंधी कार्य किया गया है। भामा ब्यूरो नियमों में जारी किये गये संशोधनों के कारण जाँच–पड़ताल और जब्त करने संबंधी प्रचालनों से यह कार्य सुविधाजनक हो गया और इसके परिणामस्वरूप इस गतिविधि में वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान कुल 21 छापे मारे गये। इसके अतिरिक्त विभिन्न अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भामा ब्यूरो अधिकारियों के सक्रिय सहभागिता सहित कुल 11 छापे भी डाले गये। इसमें शामिल उत्पाद बिजली के स्विच, प्लग, जी.एल.एस लेम्प, बिजली की इस्तरी, बिजली के डुबाऊ वाटर हीटर, गीजर, मोनोब्लाक पम्प, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक रेडियेटर, हीट कन्वेक्टर, सीमेंट, सी.आई. पाइप और फिटिंग, स्लूइसवाल्व, फौल वाली टट्टियां, रबर की मैटरेस, लेटैक्स फोम के उत्पाद, एल.पी.जी. की नलियां, कीट नाशी रंग रोगन, च्यूंगम हैं।

अभियोजन

इस अवधि के दौरान ब्यूरो ने आईएसआई मुहर के दुरूपयोग की दोषी पायी गई 9 पार्टियों के विरूद्ध मुकदमे संबंधी कार्यवाही आरंभ की । 3 मामलों में न्यायलय ने आरोपियों को दोषी पाया। अधिनियम में अर्थ दण्ड बढ़ाने और अधिनियम के अंतर्गत अपराध को संज्ञेय अपराध बनाने के भामा ब्यूरो के प्रस्तावों पर सरकार द्वारा विचार–विमर्श किया जा रहा है।

the implementation of quality control orders in their respective states.

The quality control orders for mild steel tubes, cement and other consumer items in present form do not specifically indicate the appropriate authority or the department of the State Government which is empowered to carry out the enforcement of these orders. BIS is persuing with the respective ministries of the Union Government to amend the orders suitably to incorporate these provisions in the control orders for their effective enforcement by the State Governments.

During the year publicity of the provisions of various quality control orders and *BIS Act* was accorded higher priority. In addition to number of advertisements in the print media, three quickies (video films) of about 30 seconds duration were got made, which are being shown on Doordarshan in prime time in the break during Hindi Samachar. A 12 minute educative film highlighting the use and misuse of ISI Mark was also prepared.

Awareness

Over 50 drives were carried out in important market places all over the country to create awareness among consumers and traders about the provisions of *BIS Act* as well as various quality control orders. Workshops were held in all the five regional offices of BIS for acquainting BIS officers with the provisions of *BIS Act* and various quality control orders.

Raids

The enforcement work for checking the misuse of ISI Mark in order to protect the common consumer from being cheated through sub-standard and unsafe goods was continued during the year. The amendment issued to the BIS Rules facilitated search and seizure operations resulting in increased activity. A total of 21 raids were organized during the year. In addition, 11 raids were carried out by various State Government agencies under various Acts with the active participation of BIS officials. These covered products, such as electrical switches, plugs, GLS lamps, electric irons, immersion water heaters, geysers, monoblock pumps, electric motors, electric radiators, heat convectors, cement, CI pipes and fittings, sluice valves, flushing cisterns, rubberized coir mattresses, latex foam products, LPG tubings, pesticides, paints and chewing gum.

Prosecution

During the period, the Bureau launched prosecution proceedings against nine parties those were found misusing ISI Mark. In three cases, the courts convicted the accused parties. The proposals of the Bureau for amendments to the Act with a view to enhancing the penalties and making the offences under the Act cognizable are under consideration of the Government.

गुणता पद्धति प्रमाणन 5 QUALITY SYSTEMS CERTIFICATION

भामा ब्यूरो की गुणता पद्धति प्रमाणन योजना (क्यू एस सी एस) सितम्बर 1991 से चलाई जा रही है। इसके लिए नियम, विनियम तथा प्रक्रियाएँ और प्रलेखन रीतियाँ तथा योजना आई एस ओ, आई ई सी गाइड 40–जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्सेप्टेन्स ऑफ सर्टिफिकेशन बोडीज और यूरोपीयन स्टैन्डर्ड ई एन 45012 "जनरल क्राइटेरिया फॉर सर्टिफिकेशन बोडीज ऑपरेटिंग क्वालिटी सिस्ट्म्स सर्टिफिकेशन" के अनुरूप है। भामा ब्यूरो की गुणता पद्धति योजना आई एस ओ 9000 मानकों की श्रृंखला के अनुसार चलाई जाती है। आई एस 14000/आई एस ओ 9000 मानकों की श्रृंखला को आई एस आई एस ओ 9000 श्रृंखला के रूप में नई संख्या दी गई है। भामा ब्यूरो की गुणता पद्धति योजना का प्रचालन प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में हो रहा है। इस योजना में कई गुणा वृद्धि हुई है और वर्ष के दौरान प्राप्त उपलब्धियों में प्रमुख इस प्रकार हैं :–

BIS Quality Systems Certification Scheme (QSCS) has been operating since September 1991. The rules, regulations and procedures, and documentation practices and scheme are in line with ISO/IEC Guide 40 — General requirements for acceptance of certification bodies and European Standard EN 45012 — General criteria for certification bodies operating Quality Systems Certification. To explicitly indicate that the BIS QSC Scheme is operated as per ISO 9000 series of standards, IS 14000/ ISO 9000 series of standards has been renumbered as IS/ ISO 9000 series. The Quality Systems Certification Scheme is being operated by BIS in a competitive environment. There has been a multifold growth of the Scheme and the salient features of the achievements during the year are listed as under :

प्रमाणन

इस अवधि के दौरान कुल 88 गुणता पद्धति प्रमाणन लाइसेंस प्रदान किए गए, इनमें से 13 लाइसेंस आई एस/आई एस ओ 9001 तथा 75 लाइसेंस आई एस/आई एस ओ 9002 के अनुसार दिए गए हैं। प्रदत्त लाइसेंसों में वस्त्रादि, सीमेंट, औषध, आयुध, नृत्तिका की टाइलें, कांच के धारक, केबल, ढलाईखानों, हवाई जहाज, वायुयान के रखरखाव, चाय, फ्रोजन खाद्य पदार्थों, मसालों, रिफेक्टरी इत्यादि से संबद्ध औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। 31 मार्च, 1994 तक भा मा ब्यूरो की गुणता पद्धति प्रमाणन योजना के प्रचालन के 2 वर्ष में केवल 44 लाइसेंस ही दिए गए थे, जबकि अकेले इस वित्तीय वर्ष (देखें आकृति 5.1) में दिए गए लाइसेंसों की संख्या दुगुनी (88) हो गई।

Certification

During the period a total of 88 Quality Systems Certification Licenses have been granted out of which 13 as per IS/ISO 9001 and 75 licenses as per IS/ISO 9002. The licenses granted in this year include industrial sectors of textiles, cement, pharmaceutical, ammunition, ceramic tiles, glass containers, cables, foundries, avionics, aircraft maintenance, tea, frozen foods, spices, refractories , etc. Till 31 March 1994, only 44 licences were granted in over two years operation of BIS QSCS. As compared to these, double the number of licences (88) have been granted in the current financial year alone (see Fig. 5.1).

अन्तर्राष्ट्रीय प्रत्यायन से समर्पित भामा ब्यूरो की सेवाओं के ऊँचे स्तर की गुणता के कारण कई औद्योगिक क्षेत्रों ने भामा ब्यूरो की गुणता पद्धति प्रमाणन योजना में गहरी रूचि प्रदर्शित की। बैंक आदि, वित्तीय सेवाओं, परीक्षण प्रयोगशालाओं, वायुयान के लिए ईंधन वितरण, जैसे सेवा क्षेत्रों द्वारा प्रदर्शित रूचि भी उल्लेखनीय घटना है। भारत में परीक्षण प्रयोगशाला को गुणता पद्धति प्रमाणन लाईसेंस जारी करने में भामा ब्यूरो प्रथम रहा। एक वित्तीय संस्थान को भी लाइसेंस प्रदान किया गया। भामा ब्यूरो ने वस्त्रादि के क्षेत्र में 36 लाइसेंस प्रदान किये हैं। इस प्रकार के वस्त्रादि प्रमाणन के क्षेत्र में ब्यूरो अग्रणी रहा है।

आकृति 5.1 गुणता पद्धति प्रमाणन के अन्तर्गत दिये गये लाइसेंस

Fig. 5.1 Number of Licences Granted Under Quality System Certification

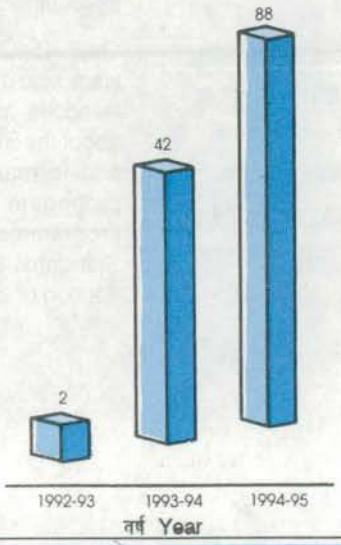

The high quality of BIS service backed by international recognition has led to a number of industrialsectors showing keen interest In BIS QSCS. A noteworthy feature is the interest shown by the service sectors like banking, financial services, testing laboratories and aviation fuel distribution. BIS was the first in India to grant a QS Certification licence to a testing laboratory. The licences has also been granted to a financial institution. BIS has granted over 36 licenses in the textile sector and is one of the leaders in the certification of this field.

प्रशिक्षण

भा मा ब्यूरो के पास अर्हता प्राप्त लीड आडिटर/आडिटर काफी बड़ी संख्या में हैं। 99 आडिटरों के अलावा 1994-95 में भामा ब्यूरो के 36 अधिकारियों ने

Training

BIS has a large force of qualified lead auditors/auditors. In addition to 99 auditors, a total of 36 BIS officers have qualified as

लीड असेसर के रूप में अर्हता प्राप्त की। इतनी बड़ी संख्या में सक्षम अधिकारी उपलब्ध होने के कारण यह आशा की जाती है कि भामा ब्यूरो अपने ग्राहकों को समय पर दक्ष और व्यावसायिक सेवाएँ देने में सफल होगा। भामा ब्यूरो के गुणता पद्धति आडिटरों की जानकारी अद्यतन करने के लिए आई एस ओ 9000 के मानकों के क्षेत्र में तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

परस्पर मान्यता देने की योजना

वर्ष के दौरान डोइष गेसेलशोलट व्सूर क्वालीतातमानाजमैंटसिस्टेमेन एमबीएच जो जर्मनी की प्रमुख प्रमाणनकर्ता एजेंसी है, के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए तथा अन्य प्रमाणन निकायों के साथ समझौता ज्ञापन करने के भी प्रयास अंतिम दौर में हैं।

भामा ब्यूरो की गुणता पद्धति प्रमाणन योजना का प्रत्यायन

भामा ब्यूरो को राड वूर डी सर्टिफिकेटी, नीदरलैंड से दस संभावना वाले क्षेत्र, जिनके लिए प्रत्यापन कराया गया था, के लिए प्रत्यायन प्राप्त होने से अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो गई है।

इन प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों की सूची इस प्रकार है :–

1. वस्त्रादि तथा वस्त्रादि उत्पाद
2. रसायन, रासायनिक उत्पाद तथा फाइवर
3. रबड़ तथा प्लास्टिक के उत्पाद
4. अधात्विक खनिज उत्पाद
5. कंकरीट, सीमेंट, चूना, प्लास्टर, इत्यादि
6. मौलिक धातुएँ तथा फब्रिकेटिड धातुएँ
7. मशीनरी तथा उपस्कर
8. बिजली के तथा प्रकाशिक उपस्कर
9. अन्य परिवहन संबंधी उपस्कर
10. थोक तथा खुदरा व्यापार

इसके कारण भा मा ब्यूरो की गुणता पद्धति प्रमाणन योजना की छवि में वृद्धि हुई।

पूर्व प्रमाणन सेवाएँ

वर्ष के दौरान 52 गुणता पद्धति परिचय कार्यक्रम आयोजित किये गए जिनमें विभिन्न उद्योगों, सेवा संगठनों, औद्योगिक संस्थाओं तथा निर्यात गृहों के 1000 से अधिक कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

45 गुणता पद्धति सर्वेक्षण तथा प्रायोगिक मूल्यांकन भी आयोजित किये गए। इन पूर्व प्रमाणन सेवाओं का लक्ष्य उद्योग और व्यापर की गुणता पद्धति के क्षेत्र में मानकों की उपलब्धता से परिचित कराना तथा गुणता की अवधारणा समझाना और उनकी कार्यप्रणाली में गुणता संस्कृति का प्रचार करना है। आई एस/आई एस ओ 9000 परिवार के मानकों के पुनरीक्षित संस्करण से उद्योग को परिचित कराने के लिए भा मा ब्यूरो ने मानक इंजीनियर्स संस्थान के साथ संयुक्त रूप से तीन कार्यक्रम आयोजित किए।

lead assessors in 1994-95. With such a large competent force, it is expected that BIS would be able to provide timely, efficient and professional service to its clients. To update the knowledge of BIS QS auditors, three training programmes were organized in the area of revision of ISO 9000 family of standards.

Mutual Recognition of Scheme

During the year MoU has been signed with Deutche Gesellscholt Zur Zertifizierung Von Qualitatsmanagement systemen mbH, a prime certifying agency in Germany. MoUs with other certifying bodies are also in the offing.

Accreditation of BIS QSCS

BIS QSCS received international recognition on being accredited by Raad voor de Certificatie, Netherlands for ten scope sectors for which the accreditation was sought. The list of technology areas is given as under :

1. Textiles and textile products
2. Chemicals, chemical products and fibres
3. Rubber and plastic products
4. Non-metallic mineral products
5. Concrete, cement, lime, plaster, etc.
6. Basic Metals and fabricated metals
7. Machinery and equipment
8. Electrical and optical equipment
9. Other transport equipment
10. Wholesale and retail trade

This has enhanced the image of BIS QSCS.

Pre-Certification Services

During the year over 52 Quality Systems Appreciation Programmes were conducted in which over 1000 personnel from various industries, service organizations, industrial associations and export houses were trained.

Over 45 Quality Systems Surveys and Trial Assessments were also conducted during the year. These Pre-Certification Services are aimed at acquainting the industry and trade about the availability of standards in the field of Quality System and to make them understand the concept of quality and propagate the quality culture in their systems. Three programmes were jointly organized with the Institute of Standards Engineers to acquaint the industry with the revised version of IS/ISO 9000 family of standards.

प्रयोगशाला सेवाएं

भामा ब्यूरो ने देश में फैली अपनी आठ प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से सम्बद्ध भारतीय मानकों के प्रति प्रमाणित उत्पादों की अनुरूपता की जाँच के लिए परीक्षण गतिविधियां तथा परीक्षण सेवाएं जारी रखी।

नमूना परीक्षण

वर्ष के दौरान, विभिन्न प्रकार के व्यापक उत्पादों के लिए 28 272 परीक्षण रिपोर्ट भा मा ब्यूरो प्रयोगशाला द्वारा जारी की गई। परीक्षण रिपोर्टों का क्षेत्रवार विभाजन निम्न प्रकार है :

भामा ब्यूरो की प्रयोगशालाओं द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्टों की संख्या

केन्द्रीय प्रयोगशाला (साहिबाबाद, दिल्ली के पास)	:	9 177
पूर्वी क्षेत्र (कलकत्ता, गुवाहाटी और पटना)	:	4 641
उत्तरी क्षेत्र (चंडीगढ़)	:	4 867
दक्षिणी क्षेत्र (बंगलोर और मद्रास)	:	5 281
पश्चिमी क्षेत्र (बम्बई)	:	4 306
योग		28 272

प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण

उन्नयन परीक्षण उपस्करों में वृद्धि

वर्ष 1994-95 प्रयोगशाला उपस्करों की उपलब्धि दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। वर्ष के दौरान 144.2 लाख रूपये के प्रयोगशाला से उपस्कर खरीदे गए।

भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईयू) सहयोग

I स्वचालित क्षेत्र

टर्न – की आधार पर क्षेत्र उपस्करों की पूर्ति के लिए ठेका दिया गया :

अपेक्षित सुरक्षा हेल्मेटों, सुरक्षा शीशों का, ईसी विनियमों और सम्बद्ध भारतीय मानक के अनुरूप परीक्षण। उपरोक्त परियोजनाओं की पहचान भारत–ईसीसी/(इयू), तकनीकी और औद्योगिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई और विश्व बैंक निधि–आवंटन के अन्तर्गत इन्हें शामिल किया गया इन पर 100 लाख रूपये से अधिक की लागत का अनुमान है।

यूटीएसी, पेरिस में 2 कार्मिकों को सुरक्षा हेल्मेटों और सुरक्षा शीशों के परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया।

II खाद्य क्षेत्र

साहिबाबाद में केन्द्रीय प्रयोगशाला और कलकत्ता में पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की आधुनिकीकरण के लिए पहचान की गई। वर्ष के दौरान, आधुनिकीकरण

6 LABORATORY SERVICES

The network of eight BIS Laboratories spread throughout the country, continued to provide testing services and testing related activities to test conformity of BIS certified products against relevant Indian Standards.

SAMPLE TESTING

During the year, 28 272 test reports were issued by BIS Laboratories, covering vide range of products. The regionwise output of test reports is given below :

BIS LaboratoriesNo. of Test Reports Issued

Central Laboratory (Sahibabad near Delhi)	:	9 177
Eastern Region (Calcutta, Guwahati and Patna)	:	4 641
Northern Region (Chandigarh)	:	4 867
Southern Region (Bangalore and Madras)	:	5 281
Western Region (Bombay)	:	4 306
Total		28 272

MODERNIZATION/UPGRADATION OF LABORATORIES

Addition of Test Equipment

The year 1994-95 has been very eventful as far as the procurement of laboratory equipment was concerned. During the year, laboratory equipments worth 14.42 millions were procured.

INDO-EEC(EU) CooperationI

I Auto Sector

Contracts were awarded for supply of the required equipment on turnkey basis :

Testing of safety helmets, safety glass as per the EC Rogulations as well as related Indian Standards. The above projects were identified under Indo-EEC Technical and Industrial Cooperation Programme and covered under the World Bank Fund allocation. The total cost is expected to exceed over Rs 10 million.

Two personnel were trained at UTAC, Paris in the testing of safety helmets and safety glass.

II Food Sector

The Central Laboratory at Sahibabad and Eastern Region Laboratory at Calcutta have been identified for modernisation.

कार्यक्रम के अन्तर्गत 140 लाख रूपये की राशि के क्रय आदेश दिए गए। इनमें से मुख्य उपस्कर परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उच्च कार्यकारिता वाले तरल क्रोमीटोग्राफ, गैस क्रोमेटोग्राफ और इन्डक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा स्पक्ट्रोमीटर शामिल है।

प्रयोगशाला में खाद्य संबंधी मदों और गुणता पद्धति के लिए परीक्षण हेतु 12 कार्मिकों को केम्पडन फूड एंड ड्रिंक रिसर्च एसोशिएशन, यू.के. में प्रशिक्षित किया गया।

III विद्युत क्षेत्र

विद्युत प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण के अंतर्गत घरेलू बिजली के उपकरणों के क्षेत्र में 6 लाख रूपये की राशि के क्रय आदेश दिए गए और उपस्करों की सुपुर्दगी और संस्थापन का कार्य किया जा रहा है।

आधुनिकीकरण कार्यक्रम के एक – भाग के रूप में, पर्यावरण स्थितियों, विशेषकर तापमान और आर्द्रता के संदर्भ में, सुधार पर कार्य हो रहा है।

केबल और तार सहायकों के परीक्षण में 9 कार्मिकों को डेमको, डेनमार्क में प्रशिक्षित किया गया और विद्युत उपकरणों के परीक्षण में 3 कार्मिकों को सीईबीईसी, बेल्जियम में प्रशिक्षित किया गया।

गुणता आश्वासन

केन्द्रीय प्रयोगशाला और क्षेत्रीय प्रयोगशाला में परीक्षण सेवाओं की गुणता के मूल्यांकन के लिए कारपोरेट ऑडिट किया गया और इसमें सुधार के लिए उपाय किए गए।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय प्रयोगशाला में गुणता पद्धति (अशंशोधन और अनुरेखणीयता) के कुछ तत्वों पर आन्तरिक सम्परीक्षा (आडिट) भी किया गया।

परीक्षण की गुणता को मॉनीटर करने और गुणता पद्यति में सुधार लाने के लिए गुणता आश्वासन कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 353 नमूनों का परीक्षण किया गया।

बाहर की प्रयोगशालाओं को मान्यता देने की योजना

भामा ब्यूरो उत्पाद प्रमाणन योजना के प्रचालन के लिए नमूनों के परीक्षण के उद्देश्य से बाहर की प्रयोगशालाओं को मान्यता देने की योजना बनाई गई है। वर्ष 1994-95 के दौरान, सम्बद्ध भारतीय मानक विशिष्टि के अनुरूप विभिन्न उत्पादों के परीक्षण के लिए भा मा ब्यूरो द्वारा प्रयोगशाला को मान्यता देने की योजना के अन्तर्गत छः नई प्रयोगशालाओं को मान्यता दी गई, इस प्रकार मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 295 हो गई। भामा ब्यूरो प्रयोगशाला प्रत्यायन योजना को आईएसओ/आईईसी मार्गदर्शिका 25 सहित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा प्रचालित राष्ट्रीय परीक्षण एवं असंशोधन प्रत्यायन परिषद (एनएबीएल), के साथ एक रूप करने के लिए इसका पुनरीक्षण भी किया गया है।

मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की कार्यकारिता और क्षमता की मानीटरी के लिए इस वर्ष 25 प्रयोगशालाओं को ऑडिट किया गया और उक्त ऑडिट के निष्कर्ष के आधार पर आवश्यक कार्यवाई भी की गई है। गुणता पद्धति के घटकों को शामिल करने के लिए आवेदनकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन प्रपत्र तथा मूल्यांकन दल द्वारा दी जाने वाली आवधिक दौरे की रिपोर्ट में परिवर्तन किया गया।

तकनीकी स्टाफ को प्रशिक्षण

भारतीय मानक ब्यूरो ने नए क्षेत्रों के साथ–साथ वर्तमान क्षेत्रों में कौशल

During the year, order worth Rs 14 million were placed under modernization programme. The major equipment include atomic absorption spectrophotometer, high performance liquid chromatograph, gas chromatograph and inductively coupled plasma spectrometer.

Twelve personnel were trained at CAMPDEN Food & Drink Research Association, UK in the testing of food items and quality systems in laboratory.

III Electrical Sector

Under the modernization of Electrical Laboratory in the field of domestic electrical appliances, orders worth Rs 0.6 million were placed, and delivery and installation of the equipment is in progress.

As a part of modernization programme, necessary improvement in environmental conditions particularly in respect of temperature and humidity is in progress.

Nine personnel were trained at DEMCO, Denmark in the testing of cables and wiring accessories and three personnel were trained at CEBEC, Belgium in the testing of electrical appliances.

QUALITY ASSURANCE

Corporate Audit was carried out in Central Laboratory and the Regional Laboratories to assess the quality of testing services and steps were taken to improve the same.

In addition, internal audit was also organized in Central Laboratory on few elements of Quality System (calibration and traceability).

In order to monitor the quality of testing and also to improve the quality system, around 353 samples were tested in quality assurance programme during the year in Central Laboratory.

RECOGNITION SCHEME FOR OUTSIDE LABORATORIES

This scheme is meant for recognition of outside laboratories for the purpose of testing of samples for the operation of BIS Product Certification Scheme. During 1994-95, six new laboratories have been recognized under the BIS Laboratory Recognition Scheme for testing different products as per relevant ISS bringing the total number of recognized laboratories to 295. BIS Laboratory Recognition Scheme has been revised to align the criteria with ISO/IEC Guide 25 as well as National Accreditation Board for Testing and Calibration (NABL), operated by Department of Science & Technology, Govt. of India.

In order to monitor the performance and competence of the recognized laboratories, 25 laboratories have been audited this year and depending on the observations, necessary actions have been taken. The application proforma to be submitted by the applicant laboratory and the periodic visit report to be submitted by the assessment team have been modified to include the elements of quality systems.

TRAINING FOR TECHNICAL STAFF

The Bureau of Indian Standards continued to provide training

परीक्षणाधीन माचिस की तीलियाँ
Matchsticks under testing

बिजली के विकिरको का परीक्षण
Electric Radiator tooting

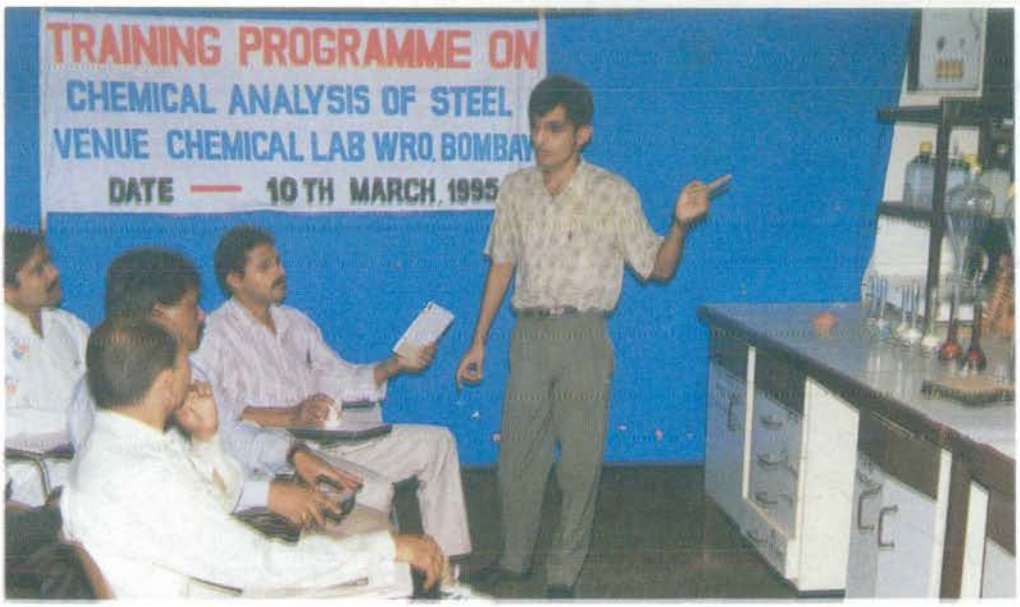

भामा ब्यूरो द्वारा बम्बई में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम
Training Programme Organized by BIS at Bombay

सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक परीक्षण
Microbiological Testing

केबल परीक्षण
Cable Testing

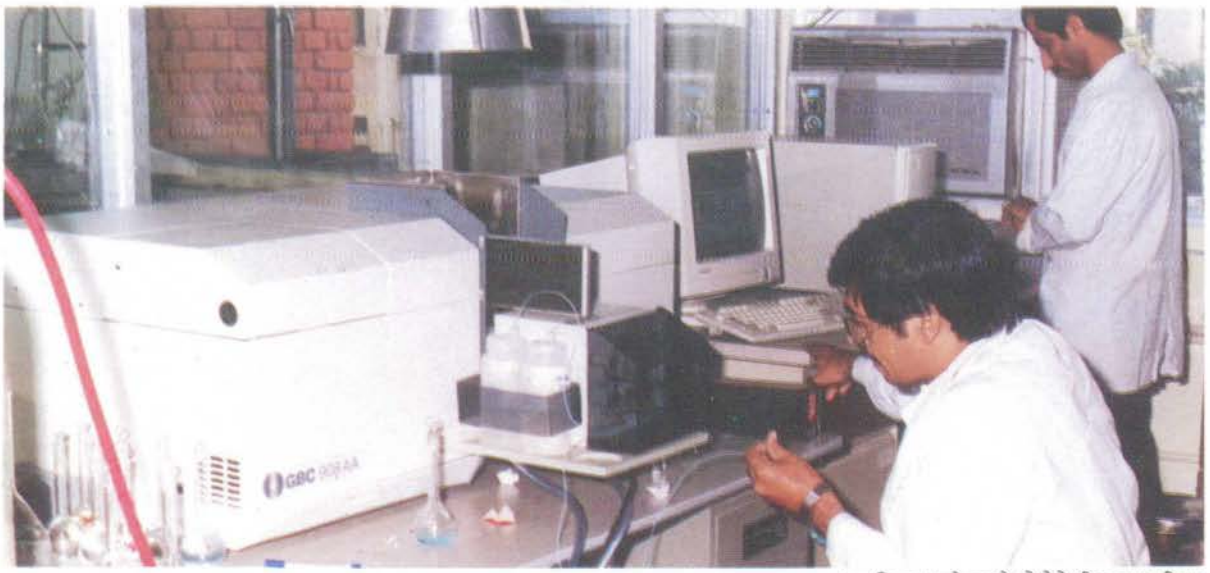

परमाण्विक अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटो मीटर द्वारा परीक्षण
Testing by atomic absorption spectrophotometer

और दक्षता में सुधार के लिए सभी सवर्गों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना जारी रखा।

प्रशिक्षण का ब्यौरा इस प्रकार है :

to all categories of its employees for improving skill and competency in new areas as well as in the existing areas.

The details of training are given as under :

प्रशिक्षण का क्षेत्र **Field of Traning**	प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या **Number of Personnel Trained**	प्रशिक्षण केन्द्र **Training Centre**
सूक्ष्म जीव–विज्ञान सैद्धान्तिक Microbiology - both theoretical and practical और व्यावहारिक दोनों पहलू (आन्तरिक और aspects. (involving both internal बाह्य दोनों संकाय सदस्य शामिल) and external faculty members)	10	केन्द्रीय प्रयोगशाला (साहिबाबाद) Central Laboratory (Sahibabad)
खाद्य मदों में अफलाटाकिस्न की अपेक्षाएं Aflatoxin requirements food items	01	एनडीडीबी, आनंद NDDB, Anand
डेयरी उत्पाद से सम्बन्धित परीक्षण Testing relateing to dairy products	08	एनडीआरआई, करनाल NDRI, Kamal
अंशशोधन के क्षेत्र में प्रशिक्षणTraining in the field of calibration	10	एनपीएल, दिल्ली NPL, Delhi

बाह्य संगठनों के लिए प्रशिक्षण TRAINING FOR EXTERNAL ORGANISATION

बाह्य संगठनों का नाम **Name of External Organisation**	प्रशिक्षका का क्षेत्र **Field of Training**	व्यक्तियों की संख्या **Number of Persons**
टेस्टिंग ओर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च इन केमिकल हेजर्ड्स (टीओआरसीएच) अहमदाबाद Testing Organisation for Research in Chemical and Health Hazards (TORCH) Ahmedabad	विद्युत सामग्रियों का परीक्षण Testing of electrical items	02
उत्पाद–शुल्क विभाग सिक्कम सरकार Excise Department, Government of Sikkim	द्रव का विश्लेषण Analysis of liquor	01
पूर्वी, दक्षिणी एवं मध्य क्षेत्र के लाइसंसधारी Licensees from Eastern, Southern and Central regions	पैराफीन मोम का परीक्षण Testing of paraffin wax	40
दक्षिणी क्षेत्र के लाइसेंसधारी एवं आवेदनकर्ता Licensees and applicants from Southern Region	घरेलू प्रेशर कुकर का परीक्षण Testing of domestic pressure cooker	10
पश्चिमी क्षेत्र के लाइसेंसधारी एवं आवेदनकर्ता Licensees and applicants from Western Region	तेल दाब स्टोव और दाब हीटर के लिए बर्नर पर प्रशिक्षण Training in Burner for oil pressure stoves and oil pressure heater	33
पश्चिमी क्षेत्र के लाइसेंसधारी Licensees and applicants एवं आवेदनकर्ता from Western Region	इस्पात और इस्पात उत्पादों के रासायनिक संघटकों का परीक्षण Testing of chemical composition of steel and Steel products	16

प्रयोगशाला सूचना प्रबन्ध पद्धति

नमूना कक्ष में परीक्षण के दौरान नमूनों की प्राप्ति और नमूनों के संचालन का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। परीक्षणाधीन नमूनों की स्थिति को दिखाते हुए कम्प्यूटर विभाग ने नियमित रूप से विवरण तैयार किये और बाहरी प्रयोगशालाओं में परीक्षण के अंतर फीडनेक सूचना के रूप में सम्बन्धित शाखा कार्यालयों को भेजा।

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

Receipt of the samples and movement of the samples during the testing have been computerised in Sample Cell. On a regular basis Computer Section generated statements indicating position of the samples undergoing testing, diversion to outside laboratories to concerned branch offices as a feed back information.

नई परीक्षण सुविधाओं का सृजन

वर्ष के दौरान भा मा ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में निम्नलिखित अतिरिक्त परीक्षण सुविधाओं का सृजन किया गया :

संख्या	उत्पाद का नाम
IS 555:1979	बिजली के टेबल पंखे और रेग्युलेटर
IS 9656:1980	ट्रीडेमोरफ पायसनीय सांद्र
IS 10228:1982	स्कूल के बस्ते
IS 12236:1978	एडिंग मशीनों/केल्कुलेटरों में लगाने के लिए पेपर पृष्ठों पेज रोल
IS 12776:1989	भू – सम्पर्कन के लिए जस्तीकृत लड़
IS 12912:1990	ब्रोमाडियोलीन, आर बी
IS 12914:1990	ब्रोमाडियोलीन, तकनीकी
IS 12915:1990	एसीफेट, तकनीकी

अंशशोधन गतिविधियां

केन्द्रीय प्रयोगशाला और क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं, दोनों की अंशशोधन प्रयोगशालाओं ने परीक्षण प्रयोगशालाओं को आंतरिक सेवा प्रदान करना जारी रखा। यह निर्णय लिया गया कि भामा ब्यूरो केन्द्रीय प्रयोगशाला ने प्रेशर गेज, वेक्यूम गेज, माइक्रोमीटर, वेरिन्यर/डायल कैलीपर्स और अन्य मापन उपस्कर, जैसे डायल गेज के क्षेत्र में दिल्ली और दिल्ली के आस – पास के लाइसेंसधारियों और आवेदनकर्ताओं के लिए अंशशोधन सुविधाओं का विस्तार करेगी। यह भी योजना बनाई गई कि अगले वर्ष के आरंभ में लाइसेंस धारियों और आवेदनकर्ताओं के लिए कुछ बिजली संबंधी मानदण्डों के लिए अंशशोधन के लिये प्रयोगशालाओं को काम में आने वाले अंशशोधन के वैद्युत और यांत्रिक अंशशोधन सुविधाओं को सेकेन्डरी स्तर तक बढ़ाने के लिए प्रयास पहले ही किए जा रहे है।

गुणता पद्धति की स्थापना

केन्द्रीय प्रयोगशाला और क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं ने आईएसओ/आईईसी गाइड 25/एनएबीएल सामान्य मापदण्ड 1994 में दिए मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार क्वालिटी मेन्यूल को तैयार करने की दिशा में भी कार्य किया। गुणता पद्धति से सम्बन्धित प्रलेखों को तैयार करने के लिए पहले ही कार्य किया जा चुका है।

अन्य गतिविधियां

राष्ट्रीय प्रत्यापन परिषद् (परीक्षण एवं अंशशोधन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यापन परिषद) को दी जाने वाली सेवा के रूप में भामा ब्यूरो के कुछ अधिकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चुने गए, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से प्रयोगशाला मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य करेंगे।

केन्द्रीय प्रयोगशाला के अधिकारियों ने राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली द्वारा आयोजित कॉमनवेल्थ इण्डिया मेट्रोलोजी ग्रुप प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वालों के लिए विश्लेषणात्मक माप–विज्ञान पर रेफरेंस मेटीरियल के उपयोग पर व्याख्यान दिए।

CREATION OF NEW TEST FACILITIES

Following additional test facilities were created during the year in BIS Laboratories :

IS NUMBER	*PRODUCT NAME*
IS 555 : 1979	Electric table type fans and regulators
IS 9656 : 1980	Tridemorph emulsifiable concentrates
IS 10228 : 1982	School bag
IS 12236 : 1987	Paper page rolls for adding machines/calculators
IS 12776 : 1989	Galvanized strand for earthing
IS 12912 : 1990	Bromadiolone, RB
IS 12914 : 1990	Bromadiolone, Technical
IS 12915 : 1990	Acephate, technical

CALIBRATION ACTIVITIES

Calibration laboratory of both Central Laboratory and Regional Laboratories continued to provide internal services to the testing laboratories. It was decided that BIS Central Laboratory will be extending calibration facilities to the licensees and the applicants in the field of pressure gauges, vacuum gauges, micrometer, vernier/dial calipers, and other measuring instruments like dial gauges. It is also planned to offer calibration facilities in a few electrical parameters to the licensees and applicants from the beginning of next year. Steps have been taken to upgrade both the electrical and mechanical calibration facilities to the secondary level so that all the working level calibrators can be calibrated in house.

SETTING UP OF QUALITY SYSTEM

Central Laboratory and Regional Laboratories have taken steps in preparing the Quality Manual as per the guidelines given in ISO/IEC Guide 25/NABL General Criteria 1994. Steps have already been taken for preparation of associated documents pertaining to Quality System.

OTHER ACTIVITIES

As a service to (National Accreditation Board for Testing and Calibration), some officers from BIS were selected by Department of Science & Technology to act as laboratory assessors on their behalf.

Officers from Central Laboratory delivered lectures on usage of reference materials in Analytical Metrology to participants of Commonwealth India Metrology Group Training Programme conducted by National Physical Laboratory, New Delhi.

मानक संवर्धन 7 STANDARDS PROMOTION

क्षेत्रीय समन्वय

ऐतिहासिक कारणों से भारत में कई संगठनों ने मानक विकसित किये और प्रमाणन अथवा निरीक्षण संबंधी योजनाएँ चलायी, ताकि सरकार द्वारा की जा रही खरीद को नियंत्रित किया जा सके अथवा उपभोक्ता संरक्षण, सुरक्षा, स्वास्थ्य अथवा पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रवर्तन संबंधी गतिविधियां चलायी जा सके। उपर्युक्त संगठनों द्वारा विकसित किये गये मानकों में कई बार अतिव्याप्ति दोष होता था और इन मानकों में विभिन्न मानदंडों के लिए अलग-अलग सीमाएं दी गयी होती थी और प्रकाशन पद्धतियां और नमूने लेने की पद्धति भी अनिर्दिष्ट होती थी। मानकों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, उत्पादों के उपयोगकर्ताओं को भ्रमित करती है और वस्तुओं के उत्पादों के लिए समस्याएं पैदा करती है और अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारतीय सामग्री की गुणता के बारे में अनुपयुक्त छवि दर्शाती है।

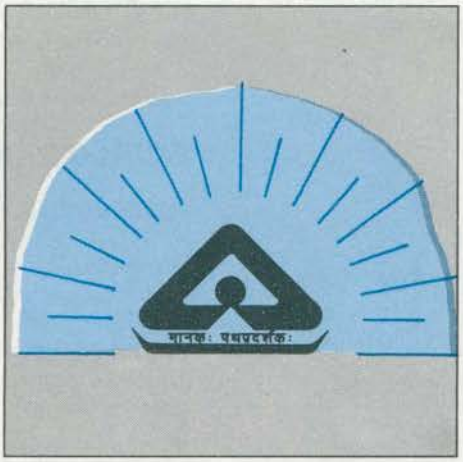

मानकीकरण और गुणता के लिए समन्वित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से और मानक निर्धारण गतिविधि को राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुरूप आकार देने के लिए नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने संसाधित खाद्य पदार्थ, पावर, इस्पात, मोटरगाड़ी वाहन, वस्त्रादि तथा संचना प्रौद्योगिकी इन 6 क्षेत्रों में राष्ट्रीय मानक के निर्धारण के लिए एकीकृत हेतु "एकल मानक" की समन्वित व्यवस्था की पहचान की, ताकि घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर राष्ट्रीय मानकों में सामंजस्य और समरूपता सुनिश्चित की जा सके। इस दृष्टिकोण संबंधी प्रलेख कामेटी ऑफ सेक्रेटरीज (सचिवों की समिति) की नीति संबंधी निर्देशों के लिए भेजा गया। इस समिति ने प्रस्ताव पर विचार किया और इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया और यह इच्छा व्यक्त की कि नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को इन क्षेत्रीय समितियों के कार्य का समन्वय करना चाहिए।

तदानुसार मंत्रालय ने भामा ब्यूरो के साथ विचार-विमर्श करके उपरोलिखित 6 क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय समन्वय समितियां (एससीसी) स्थापित की और स्वचालित वाहनों के क्षेत्र छोड़कर सम्बद्ध मंत्रालय के सचिव उपर्युक्त समितियों के अध्यक्ष बनाये गये। स्वचालित वाहन क्षेत्र के अध्यक्ष उप महानिदेशक (इंजीनियरी उद्योग मंत्रालय है) इन समितियों के सचिव भामा ब्यूरो के सम्बद्ध तकनीकी विभाग के प्रमुख हैं।

वर्ष 1994-95 के दौरान ससाधित खाद्य पदार्थ पर गठित क्षेत्रीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी। अपनी बैठक में अन्य बातों के अलावा समिति ने यह भी सिफारिश की कि देश में राष्ट्रीय मानकों का केवल एक ही सेट होना चाहिए और भारतीय मानक ब्यूरो को खाद्य के क्षेत्र में सभी उत्पादों और प्रक्रियाओं पर राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने चाहिए। रागिति की अंतिम सिफारिश केबिनेट सचिवालय के पास इस मामले को ले जाने और उस पर अंतिम निर्णय लेने के लिए नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को भेज दी गई है।

मानकीकरण और गुणता पद्धति के लिए राज्यस्तरीय समितियां (एसएलसीएस)

मानकीकरण और गुणता पद्धति का संदेश देश में फैलाने के लिए २३ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मानकीकरण और गुणता पद्धति के लिए राज्यस्तरीय समितियां गठित की गयी हैं। वर्ष 1994-95 के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश,

SECTORAL COORDINATION

Due to historical reasons, several organizations in India developed standards and operated certification or inspection schemes for regulating Government purchases or for enforcement towards consumer protection, safety, health or protection of environment. The standards developed by these organizations, sometimes, overlap and provide varying limits for different parameters with undefined methods of test and sampling. Proliferation of standards confuse the users of products, create problems for producers of goods and also result in improper projection of Indian quality in international fora.

In order to ensure a coordinated mechanism for standardization and quality, and shaping the standards formulation activity in line with the national priorities, the Ministry of Civil Supplies had identified a co-ordination mechanism for unified 'Single Standards' approach for national standards in six sectors, namely, processed foods, power, steel, automotives, textile and information technology so as to ensure harmonized and homogenous national standards at the domestic as well as international level. This approach document was referred to the Committee of Secretaries for policy directives, who considered and endorsed the proposal and also desired that the Ministry of Civil Supplies should co-ordinate the work of these Sectoral Committees.

Accordingly, the Ministry in consultation with BIS has set up Sectoral Coordination Committees (SCCs) for the six sectors mentioned above under the chairmanship of the Secretary of the concerned ministries except for automotive sector which is chaired by DDG (Engg), Ministry of Industry and with the Departmental Head of the relevant technical department in BIS as Secretary.

During 1994-95, the meeting of Sectoral Coordination Committee on Processed Food was held. In this meeting, inter-alia it was recommended that there should be only one set of national standards in the country and Bureau of Indian Standards should formulate national standards for all the products and processes in the food area. Final recommendations have been sent to the Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution for taking up the matter with cabinet secretariat for final decisions.

State Level Committees for Standardization and Quality Systems (SLCS)

To further propagate the message of standardization and quality systems in the country, the State Level Committees for Standardization and Quality Systems (SLC) have been set up in 23 states/union territories. During 1994-95,

मणीपुर, कर्नाटक और केरल में राज्यस्तरीय समितियों की बैठके हुई। इन बैठकों के दौरान भामा ब्यूरो की मुहर लगी सामग्री की राज्य सरकारों द्वारा खरीद, कार्मिकों को प्रशिक्षण, गुणता नियंत्रण आदेशों के प्रवर्तन, उपभोक्ता शिक्षा और राज्य सरकारों द्वारा उत्पाद प्रमाणन और गुणता पद्धति लाइसेंसधारी यूनिटों के लिए अधिक प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया।

विश्व बैंक परियोजना

जागरूकता कार्यक्रम

जागरूकता कार्यक्रमों का मौलिक उद्देश्य लघु क्षेत्र के उद्योगों में मानकीकरण की अवधारणना का प्रचार करना है। इस प्रकार के कार्यक्रम कलकत्ता, कोयम्बत्तूर, कटक, पुणे, लुधियाना, सिलीगुड़ी तथा इंदौर में आयोजित किये गये। इन कार्यक्रमों के साथ स्थानीय उद्योग संस्थाएं, छोटे उद्योग, सेवा संस्थान भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे।

"बेसिक कॉनसप्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन" पर एक वीडियो फिल्म बनायी गयी। इस फिल्म का उपयोग प्रशिक्षण कार्यक्रगों, शैक्षिक उपयोगिता कार्यक्रमों और जागरूकता कार्यक्रमों में प्रदर्शनी के लिए किया जायेगा।

कम्पनी मानकीकरण

ब्यूरो कम्पनी मानकीकरण के क्षेत्र में विभिन्न संगठनों के मध्य स्तर के कार्मिकों को परामर्श तथा प्रशिक्षण देता है।

क) प्रशिक्षण – वर्ष के दौरान एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बंगलौर में आयोजित किया गया, जिसमें भारत इलैक्ट्रोनिकी लिमि., इलैक्ट्रोनिक ऑटोमेशन प्रा. लिमि. तथा भामा ब्यूरो उत्पाद प्रमाणन योजना का प्रचालन करने वाले कुछ युनिटों के कार्यपालकों ने भाग लिया।

ख) कम्पनी मानकीकरण गतिविधि की समीक्षा – प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ब्यूरों उद्योगों की समीक्षा करता है। इस प्रकार की समीक्षाएं मैसर्ज एनाइकर शू कम्पनी लिमि. मद्रास के लिए 27-28 अक्तूबर 1994 में की गई। उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जनवरी 1994 में आयोजित किया गया था।

ग) पायलेट अध्ययन – पायलेट अध्ययन कम्पनी मानकीकरण गतिविधि के स्तर के मूल्यांकन और अलग-अलग यूनिटों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को जानने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का अध्ययन मैसर्ज जयंत लिमि., कलकत्ता के लिए किया गया। कार्यक्रम के द्वितीय चरण के रूप में 1995-96 में फर्म के कार्यपालकों के लिए कम्पनी मानकीकरण प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा।

भारतीय मानकों की शैक्षिक उपयोगिता (ईयूएस)

मानकीकरण का संदेश फैलाने और तकनीकी संस्थानों के फैकल्टी सदस्यों और वरिष्ठ विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों के अद्यतन भारतीय मानकों की जानकारी देने के लिए भामा ब्यूरो की भारतीय मानकों की शैक्षिक उपयोगिता पर कार्यशालाएं आयोजित करता है। इस वर्ष इन्स्टीट्यूट ऑफ होम इकोनोमिक्स; दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, मनीपाल इन्सटीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मनीपाल, कर्नाटक और टीकेएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरी, कोल्लाम, तिरूवनन्तपुरम में इस प्रकार के शैक्षिक उपयोगिता कार्यक्रम आयोजित किये गये।

संगठित क्रेताओं के साथ पारस्परिक सहयोग

ब्यूरो ने 14 फरवरी 1995 को हुई डीजीएस एंड डी की जोनल परचेज

meetings of SLCs of Delhi, Uttar Pradesh, Manipur, Karnataka and Kerala were held. During these meetings emphasis was laid on purchase of BIS marked material by the State Governments, training of personnel, enforcement of quality control orders, consumers education and more incentives by State Governments to units holding product certification and quality system licences.

WORLD BANK PROJECT

Awareness Programme

The basic aim of the awareness programmes is to propagate the concepts of standardization among small scale industries. Such Programmes were organized at Calcutta, Coimbatore, Cuttack, Pune, Ludhiana, Siliguri and Indore. Local industries, associations and Small Industries Service Institutes were actively associated with these programmes.

A video film on 'Basic Concepts of Standardization' was produced. The film would be utilized for exhibiting at training programmes, educational utilization programmes and awareness programmes.

Company Standardization

The Bureau is organizing consultancy and training for middle level personnel of various organizations in the field of Company Standardization.

a) **Training** — During the year, one training programme was organized at Bangalore. Executives from Bharat Electronics Ltd, Electronic Automation Pvt. Ltd, and some units operating BIS Product Certification Scheme participated.

b) **Review on Company Standardization Activity** — The Bureau is conducting review of industries after the completion of the training programme. Such review was conducted for M/s Anaikar Shoe Company Ltd, Madras during 27-28 October 1994. The training programme was organized for them during January 1994.

c) **Pilot Study** — Pilot study is conducted to assess the level of company standardization activity and the training needs of individual units. Such a study was conducted for M/s Jayanta Lamps Ltd, Calcutta. Phase II programme comprising company standardization training for the executives of the firm will be taken up during 1995-96.

EDUCATIONAL UTILIZATION OF INDIAN STANDARDS (EUS)

In order to propagate the message of standardization and to make the faculty members and senior students of technical institutions aware of the latest Indian Standards in the various fields, BIS has been organizing workshops on educational utilization of Indian Standards. During the year, EUS were organized at Institute of Home Economics, Delhi University, Delhi, Manipal Institute of Technology, Manipal, Karnataka, and TKM College of Engineering, Kollam, Thiruvananthapuram.

INTERACTION WITH ORGANIZED BUYERS

The Bureau attended the Zonal Purchase Advisory

एडवाइजरी समिति की बैठक में भाग लिया। इस बैठक के अध्यक्ष श्री पी. रोहमिंगाथंगा, सचिव (पूर्ति) थे। विचार–विमर्श के दौरान भामा ब्यूरो द्वारा आईएसआई मुहर लगे उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। अन्य प्रख्यात संगठित क्रेताओं जैसे, रेलवे, डिफेन्स, ब्यूरो ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज़, राज्य सरकारों इत्यादि के साथ पारस्परिक संबंध और अधिक सुदृढ़ बनाने के प्रयास केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित मानकीकरण और गुणता पद्धति पर समन्वय समितियों और मानकीकरण तथा गुणता पद्धति पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गठित राज्यस्तरीय समितियों के निर्णयों के शीघ्र कार्यान्वयन पर बल दिए जाने के माध्यम से किये जा रहे हैं।

विश्व मानक दिवस

अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) की स्थापना को महत्त्व देने के उद्देश्य से 19 अक्तूबर, 1994 को विश्व मानक दिवस 1994 आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय, क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों में संगोष्ठियाँ, प्रदर्शनियाँ, व्याख्यान, बैठकें तथा खुली परिचर्चाएं आयोजित की गई। नई दिल्ली में "मानक और उपभोक्ता – बेहतर विश्व के साझेदार" विषय पर भा मा ब्यूरो ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसका उदघाटन केन्द्रीय नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री ए. के. एंटोनी ने किया। प्रोफेसर आर. एस. निगम (दिल्ली विश्वविद्यालय), प्रोफेसर मनुभाई शाह (उपभोक्ता शिक्षा तथा अनुसंधान केन्द्र) तथा प्रोफेसर ए. के. घोष (उपभोक्ता शिक्षा से सरोकार रखने वाला स्वैच्छिक संगठन) जैसे प्रख्यात वक्ताओं द्वारा तीन तकनीकी पर्चे प्रस्तुत किए गए।

प्रचार

भामा ब्यूरो ने अपनी मानक निर्धारण, भामा ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना तथा गुणता पद्धति प्रमाणन जैसी गतिविधियों के बारे में जनता के बीच और अधिक जागरूकता उत्पन्न करने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रचार संबंधी प्रयास जारी रखे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समाचार पत्रों, प्रकाशनों, इलैक्ट्रॉनी तथा बाहरी प्रचार माध्यमों का प्रभावी रूप से उपयोग किया गया। भामा ब्यूरो ने लगभग 28 प्रदर्शनियों, 14 दूरदर्शन कार्यक्रमों, 21 रेडियो कार्यक्रमों इत्यादि में भाग लिया। 30 सैकेन्ड की तीन लघुक्षाणिकाएं हिन्दी में तैयार की गई और इन्हें मुख्य कार्यक्रमों के समय बिना लागत के प्रसारित करने के लिए दूरदर्शन को भेजा गया। आकाशवाणी के सभी व्यवसायिक प्रसारण स्टेशनों से रेडियो स्पॉट प्रसारित किए गए। ब्यूरो की मुख्य घटनाओं को दूरदर्शन, आकाशवाणी और मुद्रण संबंधी प्रचार माध्यमों द्वारा कवर किया गया। दिल्ली तथा अन्य स्थानों में महत्वपूर्ण ट्रेफिक अंतः खंडों पर होर्डिंग लगाए गए। आईएसआई मुहर लगे उत्पादों की खरीद के लाभ बताते हुए बैनर बसों पर प्रदर्शित किए गए।

मानक इंजीनियर्स संस्थान

मानक इंजीनियर्स संस्थान (एसईआई) मानक इंजीनियरों का व्यावसायिक निकाय है, इनके सदस्यों की संख्या 3500 से अधिक हैं। एसईआई का लक्ष्य मानकीकरण की अवधारणा और राष्ट्रीय मानकों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना है। ब्यूरो ने सचिवालय संबंधी सुविधाएँ एसईआई के केन्द्रीय निकाय और इसके विभिन्न अनुभागों को देना जारी रखा। ब्यूरो इस निकाय से प्रकाशित भारतीय मानकों के बने फीडबैक और राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण करने के लिए भामा ब्यूरो द्वारा सतत प्रयास की अपेक्षा रखने वाले क्षेत्रों के बारे में सूचनाएँ निरन्तर प्राप्त करता है। एसईआई के अनुभागों ने स्वतन्त्र रूप से अथवा भामा ब्यूरो और अन्य व्यावसायिक निकायों के सहयोग से देश में मानकीकरण और गुणता चेतना बढ़ाने के लिए कई संगोष्ठियों, सम्मेलनों, व्याख्यान बैठकों, कार्यशालाओं इत्यादि का आयोजन किया। उद्योग के लाभ के

Committee Meeting of DGS&D held on 14 February 1995. The meeting was chaired by Shri P. Rohmingthanga, Secretary (Supplies). During the discussion, emphasis was laid by BIS to encourage purchase of ISI marked products. Efforts are afoot to strengthen the interaction with other prominent organized buyers like Railways, Defence, Bureau of Public Enterprises, State Governments, etc, through expeditious implementation of the decisions taken by the Coordinating Committees for Standardization and Quality Systems set up by the Central Government and the State Level Committees for Standardization and Quality Systems set up by the respective State Governments.

WORLD STANDARDS DAY

World Standards Day, 1994 was celebrated on 19 October 1994 to commemorate the establishment of International Organization for Standardization (ISO). To mark this occasion, seminars, exhibitions, lecture meetings and open houses were organized at Headquarters, Regional and Branch Offices. In New Delhi, BIS organized a seminar on 'Standards and Consumer - Partners for a Better World' which was inaugurated by Hon'ble Minister for Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution, Shri A.K. Antony. Three technical papers were presented by eminent speakers, like Prof R.S. Nigam (Delhi University), Prof Manubhai Shah (Consumer Education and Research Centre), and Prof. A. K. Ghosh (voluntary organization in Interest of Consumer Education). The technical session was chaired by Shri H.R.D. Shourie, Director, Common Cause.

PUBLICITY

BIS continued its publicity efforts to promote a larger awareness about its activities like Standards Formulation, BIS Certification Marks Scheme and Quality Systems Certification amongst the masses. To achieve this purpose, effective use was made of newspapers, publications, electronic and outdoor media. BIS participated in about 28 exhibitions; 14 TV programmes, 21 radio programmes, etc. Three short quickies of 30 seconds duration were produced in Hindi and sent to Doordarshan for free telecast with prime programmes. Radio spots were broadcast from all commercial broadcasting stations of All India Radio. Major events were covered by Doordarshan, All India Radio and the print media. Hoardings have been put up on important traffic intersections in Delhi and other places. Banners on buses were displayed giving advantages of buying ISI marked products.

INSTITUTE OF STANDARDS ENGINEERS

The Institute of Standards Engineers (SEI) is a professional body of practising standards engineers with a membership of over 3500. The activities of the SEI are aimed at promoting the concept of standardization and application of national standards. BIS continued to provide secretarial facilities to the Central Body of SEI and its various sections. The Bureau is getting continuous feedback from this body on published Indian Standards as well as information on the areas requiring sustained efforts by BIS for formulating national standards. SEI sections, independently or in collaboration with BIS and other professional bodies, organized several seminars, conferences, lecture meetings, workshops, etc, to promote standardization and quality consciousness in the country.

लिए एस. ई. आई. के कई अनुभागों द्वारा कम्पनी मानकीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा गुणता पद्धति जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाए।

संस्थान की वार्षिक आम बैठक 28 मई 1994 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। एसईआई ने मानकीकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन (नेकोस्टान) का भी आयोजन बंगलौर में 16 - 17 सितम्बर 1994 को किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन कर्नाटक के राज्यपाल माननीय श्री खुर्शीद आलम खान द्वारा किया गया, उन्होंने कम्पनी मानकीकरण पुरस्कार भी दिए। इस समारोह में 500 सदस्यों ने भाग लिया।

Company standardization training programmes and quality systems awareness programmes were also organized by many sections of SEI for the benefit of the industry.

The Annual General Meeting of the Institute was held on 28 May 1994 in New Delhi. SEI also organized the National Conference on Standardization (NACOSTAN) at Bangalore during 16-17 September 1994. The Conference was inaugurated by His Excellency, Shri Khursheed Alam Khan, Governor of Karnataka, who also gave away Company Standardization Awards. The function was attended by over 500 delegates.

मानकों तथा अन्य प्रकाशनों की बिक्री

8 SALE OF STANDARDS AND OTHER PUBLICATIONS

ब्यूरो देश भर में फैले अपने क्षेत्रीय, शाखा, निरीक्षण कार्यालयों तथा अपने मुख्यालय में स्थित बिक्री केन्द्रों के माध्यम से भारतीय मानकों और अन्य प्रकाशनों की बिक्री करता है। इसके अलावा बिक्री की गतिविधि 125 पंजीकृत पुस्तक विक्रताओं के माध्यम से भी चलायी जाती है। वर्ष 1994-95 के दौरान बिक्री का लक्ष्य 250 लाख रू० निर्धारित किया गया था और वार्षिक बिक्री 257 लाख मूल्य की हुई। इस बिक्री के अलावा विदेशी मानकों की बिक्री पर 24 लाख रू० का कमीशन भी प्राप्त हुआ।

ब्यूरो ने विश्व पुस्तक मेलों, व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों, उपभोक्ता दिवस तथा विभिन्न सम्मेलनों और संगोष्ठियों में भामा ब्यूरो के प्रकाशनों की बिक्री के लिए प्रदर्शनियाँ व बिक्री केन्द्र स्थापित किये।

उन सदस्यों को, जो 25 000 रू का वार्षिक चंदा देकर वर्ष के दौरान प्रकाशित मानकों और अन्य पुनरीक्षित मानकों की एक प्रति प्राप्त करने के अधिकारी है, के लिए 'मानक अद्यतन योजना' जारी की गयी। उर्पयुक्त मानकों के अलावा स्टैंडर्डस इंडिया, स्टैंडर्डस मन्थली एडीशन्स, स्टैंडर्डस वर्ल्डओवर मंथली एडीशन्स, करेन्ट पब्लिशड इन्फोरमेशन ऑन स्टैंडर्डजिशन, सेक्शनललिस्टस का एक सेट और भामा ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां भी उन्हें मुफ्त दी जाती है। वे मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय में स्थित ब्यूरो के पुस्तकालय में भी जा सकते है।

विशिष्ट क्षेत्रों में "मानक अद्यतन योजना", जिसमें प्रत्येक क्षेत्र के लिए 4 000 रू का वार्षिक चन्दा है, किन्तु 'प्रबन्ध एवं पद्धति' के लिय यह चन्दा 1 500 रू है, सदस्यों के लिए जारी की गयी। वर्ष 1994-95 के दौरान दोनों योजनाओं में 52 सदस्य थे।

ग्राहकों को दी जाने वाली बिक्री, इन्वेंट्री नियंत्रण संबंधी सेवाएं, कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से और अधिक प्रभावी बनायी गयी।

The Bureau operates sale of Indian Standards and other publications through 17 sales points at Headquarters, Regional, Branch and Inspection Offices spread throughout the country, besides sale through 125 registered booksellers. The sales during 1994-95 was Rs 25.7 million against a target of Rs 25.0 million besides the commission earned from sale of overseas standards amounted to Rs 2.4 million.

The Bureau put up display-cum-sales counter of BIS publications in World Book fair, trade fairs, exhibitions, Consumers' Day and various conferences and symposia.

Standards Update Scheme, with an annual subscription of Rs 25 000 continued to operate for the enrolled members, who are entitled to receive one copy each of all the new and revised standards published during the year. Besides, they are also entitled to get free copies of Standards India, Standards Monthly Additions, Standards Worldover Monthly Additions, Current Published Information on Standardization, BIS Handbook a set of sectional lists and BIS Annual Report. They are also allowed access to the Library at Headquarters and regional offices.

The Standards Update Scheme in Specific Fields with an annual subscription of Rs 4 000 for each field except for Management and Systems for which it is Rs 1 500, continued to operate for members. During 1994-95, the membership in the two schemes was 52.

Sale, inventory control and service to customers was made more effective through computerization.

सूचना सेवाएँ

9 INFORMATION SERVICES

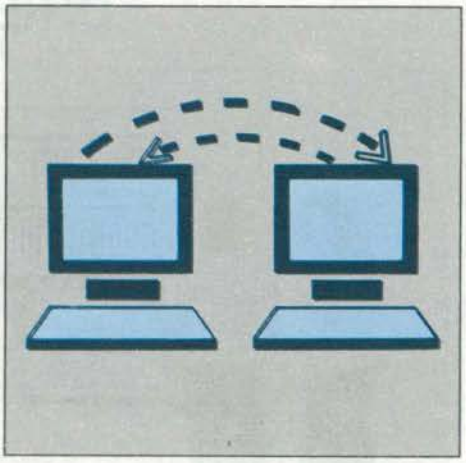

भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय और देश भर में फैले अपने क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के माध्यम से सूचना सेवाएं प्रदान करता है। सम्प्रेषण और सूचना भंडारण में अपेक्षाकृत नई प्रौद्योगिकी के आरंभ होने के साथ – साथ भामा ब्यूरो ने अपने बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़ तथा मद्रास स्थित क्षेत्रीय केन्द्र को और अधिक समृद्ध बनाने का कार्य अपने हाथ में लिया है। उपर्युक्त सभी केन्द्रों को मोडेम और फैसीमिले ट्रांसीवर्स (फैक्स मशीनों) द्वारा जोड़ा जा रहा है, ताकि सूचना का सम्प्रेषण और अधिक तेजी से हो सके और सभी केन्द्रों को माइक्रोफोर्म पर सूचना उपलब्ध करायी जा रही है, ताकि और अधिक सूचना का भंडारण उपर्युक्त केन्द्रों में संभव हो और इसके अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता न हो। भामा ब्यूरो मुख्यालय में ये सेवाएँ गैट/डब्ल्यूटीओ पूछताछ केन्द्र, आइसोनेट सेन्टर और भारत में राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में हम प्रदान कर रहे हैं।

The Bureau of Indian Standards provides information services from its Headquarters at New Delhi, and Regional and Branch Offices spread throughout the country. With the advent of newer technology for communication and information storage, BIS also undertook the task of strengthening its regional centres at Bombay, Calcutta, Chandigarh and Madras. All the centres are linked by modems and fascimile transceivers (fax machines) for faster communication of information and are also being provided information on microform so that greater information storage is possible at these centres without additional space requirement. The services at Headquarters are being provided in our capacity as the GATT/WTO Enquiry Point, ISONET Centre and the National Standards Body of India.

तकनीकी सूचना सेवाएँ

तकनीकी सूचना सेवाएं उद्योग, निर्यातकों तथा अन्य उपयोगकर्ताओं को उनकी पूछताछों के उत्तर में और उन्हें मानकों तथा गुणता पद्धति पर उपलब्ध अद्यतन सूचना प्रदान करने के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है। विश्व मानक डाटाबेस "मानक संदर्भिका" व बायर्स गाइड – भामा ब्यूरो की प्रमाणन मुहर योजना के अन्तर्गत शामिल उत्पादों का डाटाबेस से उपयोगकर्ताओं को उनके द्वारा मांगने पर कई संदर्भ ग्रंथ देना जारी रहा और इनकी मांग काफी रही।

TECHNICAL INFORMATION SERVICES

Technical information services are provided to industry, exporters and other users in response to their enquiries and also to keep them updated on latest information on standards and quality systems. A number of bibliographies were provided to the users from the database of world standards 'MANAKSANDARBHIKA'. Buyers' Guide — Database of products covered under the Certification Marks Scheme of BIS continued to be in great demand by the users.

गैट/डब्ल्यूटीओ पूछताछ केन्द्र

भामा ब्यूरो को भारत सरकार ने व्यापार संबंधी तकनीकी अवरोधों पर सामान्य करार (गैट) के अन्तर्गत भारत में केन्द्रीय पूछताछ केन्द्र के रूप में पद नामित किया है। इसके माध्यम से भामा ब्यूरो गैट/डब्ल्यूटीओ सदस्यों और निर्यातकों को मानकों/विनियमों और प्रमाणन पद्धति के बारे में सूचना प्रदान करता है। यह पूछताछ केन्द्र भारतीय मानकों, तकनीकी विनियमों और प्रमाणन पद्धति के बारे में बाहरी देशों से प्राप्त पूछताछों का भी उत्तर देता है। भारतीय उद्योग की सहायता करने की दृष्टि से इस पूछताछ केन्द्र ने मानकों, तकनीकी विनियमों और प्रमाणन पद्धतियों के बारे में भारत और विदेशों के निजी व्यक्तियों से प्राप्त 4000 से अधिक पूछताछों का उत्तर दिया।

GATT/WTO Enquiry Point

The Government of India has designated BIS as the Central Enquiry Point for India under the General Agreement on Technical Barriers to Trade. Through this, BIS provides information on standards, regulations and certification systems to GATT/WTO members and exporters. The Enquiry Point also receives enquiries from abroad about Indian Standards, technical regulations and certification systems. To help the Indian industry, the Enquiry Point answered over 4 000 Indian and overseas individuals, industry and Government agencies about standards, technical regulations and certification systems.

सूचना बुलेटिन

उद्योग तथा उपयोगकर्ताओं को मानकीकरण और गुणता पद्धति के बारे में अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के लिए भामा ब्यूरो ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित सूचना बुलेटिनों का नियमित रूप से प्रमाणन किया:

1) मानकदूत (त्रैमासिक, हिन्दी पत्रिका);
2) स्टैंडर्डस इंडिया (मासिक, अंग्रेजी पत्रिका);
3) स्टैंडर्डस वर्ल्डओवर–मन्थली एडीशन्स;
4) करेंट पब्लिशड इन्फोरमेशन ऑन स्टैंडर्डाइजेशन (मासिक);
5) ईसी नोर्म – स्केन (यूरोप में तकनीकी नियमों, मानकीकरण और प्रमाणन में हुए विकास के बारे में त्रैमासिक न्यूजलेटर); तथा

Information Bulletin

To keep the industry and users abreast with the latest developments in standardization and quality systems, BIS brought out following information bulletins regularly during the year :

i) Manakdoot (quarterly, Hindi Journal);
ii) Standards India (monthly, English Journal);
iii) Standards Worldover — Monthly Additions;
iv) Current Published Information on Standardization (monthly);
v) EC Norm-Scan (quarterly newsletter on developments in Europe in technical legislation, standardization and

6) स्टैंडर्डस मन्थली एडीशन्स।

इसके अलावा भामा ब्यूरो ने कई सूचनात्मक प्रकाशन जैसे, भामा ब्यूरो हैंडबुक और सैक्शनल लिस्ट प्रकाशित की।

आइसोनेट की गतिविधियां

भामा ब्यूरो ने अन्तर्राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क (आइसोनेट), जो आईएसओ सूचना समिति (इनफको) के अन्तर्गत कार्य करता है, में सक्रिय रूप से भाग लिया। यह एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली हैं, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक सूचना केन्द्र, इसमें भाग लेने वाले देश के मानकों और मानकों से सम्बद्ध ऐसे ही प्रलेखों के बारे में सूचना का संग्रह करने, उसकी विषय रूप से सूची बनाने और सूचना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तरदायी होता है। आइसोनेट मैनुअल के अनुसार उद्योग और निर्यातकों की तकनीकी सहायता देने के लिए भारतीय मानकों पर डाटाबेस बनाने के कार्य में तीव्र प्रगति हुई। डाटाबेस लगभग पूरा होने वाला है और इस डाटाबेस पर उपयोगकर्ताओं को सूचना देना पहले से ही आरंभ किया जा चुका है।

इलेक्ट्रॉनिकी प्रचार माध्यमों के द्वारा सूचना उपलब्ध कराना

वर्तमान सभी भारतीय मानकों पर डाटाबेस विकसित किया गया है और इस डाटाबेस में संकलित सूचना उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूल सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की जा सकती है। इसमें ग्रंथ संदर्भिका तथा चालू भारतीय मानकों और उनके संशोधनों के बारे में और विषय के विवरण संकलित हैं।

इस डाटाबेस में अन्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों, आईसीएस और एचएस संहिता सहित आधारभूत सूचनाएं जैसे शीर्षक, सारांश, विवरणात्मक परस्पर सम्बद्धता उपलब्ध की गयी।

भारतीय मानकों, तकनीकी सूचना सेवाओं पर सूचना के अलावा "बायर्स गाइड" डाटाबेस के माध्यम से भामा ब्यूरो प्रमाणन के अन्तर्गत लाइसेंसधारियों के माध्यम से सूचना भी उपलब्ध कराई जाती है। यह डाटाबेस भामा ब्यूरो प्रमाणन मुहर का अपने उत्पादों पर उपयोग करने के लिए प्राधिकृत निर्माताओं के नाम और पते, लाइसेंस संख्या तथा निर्माता द्वारा लिये गये लाइसेंस की वैधता के बारे में भी सूचना देता है। "बायर्स गाइड" खरीदकर्ताओं, उपभोक्ता संगठनों और सरकार के विभागों के लिए काफी उपयोगी है। यह सूचना फ्लोपी डिस्केट और हार्ड कापी दोनों पर उपलब्ध है।

उपयोगकर्ताओं को दी जाने वाली ब्यूरो की दूसरी सेवा अपनी कम्प्यूटरीकृत प्राधिकृत सूचना प्रणाली के माध्यम से किसी विशिष्ट विषय पर विश्व भर के मानकों की संदर्भ सूची उपलब्ध कराना है। "मानक संदर्भिका" के रूप में लोकप्रिय डाटाबेस में विश्वभर के मानक निकायों द्वारा प्रकाशित किये गये मानकों के बारे में संदर्भ सूचना उपलब्ध है। इसमें 2 लाख से भी अधिक रिकार्ड है।

पुस्तकालय सेवाएँ

मुख्यालय के पुस्तकालय में 6 लाख राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय और विदेशी मानक, संगिता तकनीकी विनियमों का संग्रह है। इसके अलावा इसमें 60 हजार किताबें, पेम्फलेट, मोनोग्राम इत्यादि भी संग्रहित हैं। भामा ब्यूरो के पुस्तकालयों में इस वर्ष 15000 किताबें, मानक, नियम संबंधी दस्तावेजों

certification); and

vi) Standards Monthly Additions.

Besides, BIS also brought out a number of informative publications, such as the BIS Handbook and sectional lists.

ISONET Activities

BIS actively participates in the International Information Network (ISONET) which functions under the ISO Information Committee (INFCO). It is a decentralized system in which each information centre is responsible for collecting, indexing and retrieving information on standards and standards type documents of the participating country. Rapid progress was made for creation of a database on Indian Standards, in accordance with the ISONET Manual, for providing technical assistance to industry and exporters. The database is nearing completion and has already started providing information to users.

Information Provided Through Electronic Media

A database has been developed comprising all existing Indian Standards on which information can be directly accessed by the user friendly software. It contains bibliographical and subject details of all current Indian Standards and their amendments.

This database provides basic information such as the title, abstract, descriptors, relatedness with other National and International Standards, ICS and HS Code.

Apart from the information on Indian Standards, technical information services also provide information on licensees under BIS Certification through the database "Buyers' Guide". It gives names and addresses of all the manufacturers authorized to use BIS Certification Mark on their product, licence number and validity of licence held by the manufacturer. The Buyers' Guide is quite useful for the purchasers, consumer organizations and Government departments. This information is available both on floppy diskettes as well as on hard copies.

Providing bibliographies of standards worldover on a specific subject through its computerised information system is another service to the user. The database known as 'Manaksandharbhika' contains bibliographic information on standards published by worldover standards bodies. It has more than 200 thousand records.

Library Services

The Library at Headquarters has a collection of over 0.6 million national, international and overseas standards, codes and technical regulations, besides around 60000 books, pamphlets, monographs, etc. BIS libraries added to their collection 15000, books, standards and normative documents

का संकलन जोड़ा गया। इस पुस्तकालय में नियमित आधार पर 530 तकनीकी पत्रिकाएँ और आवधिक पत्रिकाएँ भी आती हैं।

विभिन्न संवर्गों के करीब 1000 से अधिक व्यक्ति और संगठन भामा ब्यूरो के पुस्तकालय के सदस्य हैं। इसके अलावा इस वर्ष 300 सदस्य और बने। व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों और ब्यूरो के अधिकारियों और स्टाफ के लिए लगभग 70 हजार प्रकाशन/मानक उन्हें परामर्श के लिए दिये गये अथवा उनके नाम से जारी किये गये।

7 हजार आगन्तुकों को संदर्भ सूचनाएं उपलब्ध करायी गयी और व्यापक विषय संदर्भ–सूची बनाने में उनकी सहायता करने के लिए उन्हें संदर्भ सेवाएँ दी गयीं। संदर्भ यूनिट का मानक बनाने वाले विभागों को संदर्भ सामग्री, जो स्वंय तैयार की गयी संदर्भ सुचियाँ उपलब्ध कराकर और उनके अध्ययन और उनके उपयोग के लिए अध्ययन पुस्तिका तथा मानक खरीदकर उनकी पूरी तरह से सहायता की गयी। इस यूनिट ने भारतीय व्यापार और उद्योग से प्राप्त 2500 पूछताछों का उत्तर देकर उनकी सहायता की।

during the year. It also received on a regular basis 530 technical journals and periodicals.

BIS has over 1000 individuals and organizations as members of the Library in various categories. Out of this, 300 members have joined during this year. About 70000 publications/ standards were consulted or issued to the representatives of trade and industry and officers and staff of the Bureau.

Reference services were provided to 7000 visitors by helping them select documents for consultation, preparing exhaustive subject bibliographies and making available the reference documents. The reference unit fully supported the standard making departments by providing bibliographies prepared manually and procuring latest books and standards for their study and use. It assisted the Indian Trade and Industry by answering over 2500 enquiries received from them.

प्रशिक्षण सेवाएँ 10 TRAINING SERVICES

अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

विकासशील देशों के लिए मानकीकरण और गुणता पद्धति पर सत्ताइसवाँ अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 अक्तूबर से 2 दिसम्बर 1994 तक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में एशिया, अफ्रीका, लेटिन अमरीका और यूरोप के १६ विकासशील देशों के २१ सहभागियों ने भाग लिया। ये सभी सहभागी भारत सरकार की फेलोशिप योजना, अर्थात, कोलम्बो योजना, एससीएएपी तथा आईटीईसी के अन्तर्गत शामिल थे।

विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम

श्री लंका स्टैण्डर्डस् इन्सट्टीटयूट (एस एल एस आइ) का एक अधिकारी "सांख्यकीय प्रक्रिया नियंत्रण" में प्रशिक्षित किया गया। बंगलादेश स्टैण्डर्ड्स एंड टेस्टिंग इन्स्टीट्यूट (बी एस टी आइ) के 2 अधिकारी "पुस्तकालय प्रलेखन और सूचना सेवाओं की अवधारणा तथा राष्ट्रीय मानक निकाय का संगठन और प्रबन्धन" में प्रशिक्षित किए गए। इन प्रशिक्षणार्थियों को भामा ब्यूरो में अपनायी जा रही प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अनुभव भी कराया गया।

भारतीय रेलवे स्टोर सेवाओं के १६ परिवीक्षार्थियों के लिए मानकीकरण में पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शेड्यूल रेलवे स्टॉफ कालेज से परामर्श करके निर्धारित किया गया।

आई एस ओ 9000 संगोष्ठी

चंडीगढ़, मद्रास तथा नई दिल्ली में आई एस ओ 9000 के पुनरीक्षण पर एक दिवसीय संगोष्ठियों का आयोजन इन्स्टीट्यूट ऑफ स्टैण्डर्ड्स इंजीनियर्स तथा भामा ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों ने इन संगोष्ठियों में भाग लिया।

प्रशिक्षण संस्थान

भामा ब्यूरो ने मानकीकरण, गुणता नियंत्रण, गुणता पद्धति, गुणता आडिटिंग, प्रलोवन इत्यादि में भारतीय उद्योग, सरकारी विभागों व्यापारिक सार्वजनिक क्षेत्र इत्यादि को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापति करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, यह संस्थान उपर्युक्त क्षेत्रों में विकासशील देशों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। यह संस्थान गुड़गाँव में स्थापित किया जाएगा और इसके लिए हरियाणा सरकार (हुडा) से 4 एकड़ (1.6 हैक्टेयर) जमीन के आवंटन के लिए बातचीत भी की गई है। इस परियोजना को आरम्भ करने के लिए उचित प्राधिकरणों के साथ संपर्क रखा जा रहा है। यह आशा है कि उपर्युक्त क्षेत्रों के लिए भामा ब्यूरो के और बाहर के विशेषज्ञों को वक्ता के रूप में लेकर ये कार्यक्रम १1995-96 के दौरान आरम्भ हो जाएंगे।

INTERNATIONAL TRAINING PROGRAMME

Twenty-seventh International Training Programme in Standardization and Quality Systems for Developing Countries was organized from 5 October to 2 December 1994. This programme was attended by 21 participants from 16 developing countries of Asia, Africa, Latin America and Europe. All the participants were under the Government of India Fellowship Schemes, namely, Colombo Plan, SCAAP and ITEC.

SPECIALIZED TRAINING PROGRAMMES

One officer from Sri Lanka Standards Institute (SLSI) was trained in statistical process control. Two officers from Bangladesh Standards and Testing Institute (BSTI) underwent training in concepts of library documentation and information services; and organization and management of National Standards Body. The trainees were also given on-hand experience of the procedures followed in BIS. A five days training programme in standardization was organized for the 19 probationers of Indian Railway Store Services. The programme schedule was designed in consultation with the Railway Staff College.

ISO 9000 SEMINAR

One day Seminars on Revision of ISO 9000 were conducted jointly by the Institute of Standards Engineers and BIS at Chandigarh, Madras and New Delhi. Delegates from different industries participated in the seminars.

TRAINING INSTITUTE

The Bureau of Indian Standards has decided to set up a Training Institute to impart training in the field of standardization, quality control, quality system, quality auditing, Documentation, etc, for the Indian industry, Government departments, trade, public sectors, etc. In addition, it will conduct training programme for Developing countries in the above areas. The Institute is to be established in Gurgaon and Government of Haryana (HUDA) has already been approached for allotment of 4 acres (1.6 hectares) of land. The matter is being persued with appropriate authorities for starting this project. Training Programmes are expected to start with faculty drawn from BIS and outside experts in the above fields during 1995-96.

भारतीय मानक ब्यूरो पुस्तकालय BUREAU OF INDIAN STANDARDS LIBRARY 3480/M.B.C. दिनांक Date 2002-11-15 नई दिल्ली NEW DELHI

कम्प्यूटरीकरण तथा कार्यालय स्वचलन

11 COMPUTERIZATION AND OFFICE AUTOMATION

उद्योग की आवश्यकताओं के साथ गति बनाये रखने के लिए और उद्योग को तीव्रगति से और सही सूचना प्रदान करने के लिए ब्यूरो ने अपने विभिन्न कार्यकलापात्मक क्षेत्रों में कार्यालय स्वचलन की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे।

कम्प्यूटरीकरण तथा कार्यालय स्वचलन सुविधाएँ

12 पीसी/एटी तथा 13 मुद्रक मुख्यालय के विभिन्न विभागों, क्षेत्रीय शाखा कार्यालयों को दिये गये। ये पी सी/एटी वर्तमान सुविधाओं को बढ़ाने तथा भामा ब्यूरो के प्रकाशनों के वितरण, बिक्री तथा इन्वेंटरी के कम्प्यूटरीकरण से संबद्ध नेटवर्क आरंभ करने के लिए है।

प्रलेख तैयार करने की सुविधाएँ

वर्ड प्रोसेसर सोफ्टवेयर डब्ल्यू एस 6 और लेज़र प्रिंटर्स के बढ़ते हुए उपयोग के माध्यम से स्तरीय प्रलेख प्रदान करने की क्षमता बढ़ाई गई।

नेट वर्किंग

विभिन्न क्षेत्रीय कार्यलयों/शाखा कार्यालयों और मुख्यालय के बीच आँकड़ों और सूचना के संप्रेषण में सुधार लाने के लिए इस संगठन के विभिन्न कार्यालयों के नेटवर्किंग के लिए नई सुविधाएँ दी गई। आँकड़ों तथा सूचना के संदर्भ में और तेज गति से विनियम के लिए विभिन्न क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों तथा मुख्यालय के लिए 18 मोडेम्स संस्थापित किए गए।

पेरिफेरल सहित 5 स्थानीय एरिया नेटवर्क, चार क्षेत्रीय तथा शाखाओं तथा मुख्यालय में स्थापित किए गए। इससे नेटवर्क के टर्मिनलों पर कम्प्यूटर संसाधन तथा आँकड़ों का विनियम सुविधाजनक होगा।

पद्धति तथा आँकड़ों का प्रक्रमण

निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए वर्तमान अनुप्रयोग संबंधी सोफ्टवेयर बढ़ाये गए तथा नए अनुप्रयोग सोफ्टवेयर विकसित किए गए :

- ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों–आयोजना, पुनरीक्षण तथा मोनीटरिंग में उपयोग के लिए प्रबंध सूचना रिपोर्टें तैयार करने के लिए,
- प्रचालनात्मक स्तरों के लिए फीडबैक सूचना तैयार करने के लिए,
- मानकों तथा प्रमाणन पर तीव्र और विश्वसनीय सूचना देने सहित देश के उद्योग संबंधी उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं की सेवा के लिए।

The Bureau, in order to keep pace with the needs of the industry and to provide speedier and accurate information to the industry, continued its efforts towards office automation in various functional areas.

COMPUTERIZATION AND OFFICE AUTOMATION FACILITIES

Various departments in Headquarters, Regional Offices and Branch Offices were provided 12 PC/ATs and 13 number of printers. The PC/ATs are meant for augmenting existing facilities and also for starting new work relating to computerisation of Distribution, Sales and Inventory of BIS Publications.

DOCUMENT PREPARATION FACILITIES

Capability for providing quality documents were enhanced through increased use of word processing software 'WS 6' and laser printers.

NET WORKING

To improve communication of data and information between various Regional Offices/Branch Offices and Headquarters, new facilities were procured for networking the various offices of the organization. Eighteen modems were installed in various Regional Offices/Branch Offices and Headquarters for timely and speedier exchange of data and information. Five Local Area Networks along with peripherals were installed in each of the four Regional and Branch Offices and one at Headquarters. This would facilitate sharing of computer resources and data between terminals on the network.

DEVELOPMENT OF SYSTEMS AND DATA PROCESSING

The existing application software packages were augmented and new application softwares were developed to meet the following requirements:

- To generate Management Information Reports for use in planning, review and monitoring of the various activities of the Bureau.
- To generate feedback information reports for operational levels.
- To serve industry users and consumers in the country with quick and reliable information on Standards and Certification.

मानकों पर सूचना सेवाएँ

उद्योग को मानक डाटाबेस पर सूचना के वितरण के लिए भामा ब्यूरो, टेक्नोलोजी इन्फोर्मेशन फोरकास्टिंग तथा असेसमेंट काउंसिल और कम्पयूटर मेंटिनेंस कार्पोरेशन के बीच त्रिपक्षीय करार की संभावनाएँ तलाशी जा रही हैं। इससे केन्द्र आनलाइन में उद्योग तथा व्यापार को विश्व भर के मानकों की संदर्भ सूची संबंधी आँकड़े उपलब्ध होंगे।

भामा ब्यूरो प्रकाशनों का वितरण, बिक्री तथा इन्वेंटरी प्रबंध

ऐसे प्रकाशन जिनकी बिक्री नहीं हो रही है के अपव्यय को रोकने के उपाय के रूप में प्रत्येक प्रकाशन की माँग के प्रति प्रतियों की संख्या के विश्लेषण की प्रणाली विकसित की गई है। इससे ग्राहकों में कम माँग वाले मानकों के मुद्रण की लागत में बचत हुई है।

वितरण विभाग में भामा ब्यूरो प्रकाशनों के भंडार और इन्वेंटरी प्रबंध की प्रणाली विकसित और कार्यान्वित की गई है। इस प्रणाली का उपयोग भामा ब्यूरो प्रकाशनों के स्टॉक की प्रविष्टि और उन्हें जारी करने के लिए किया जा रहा है। यह प्रणाली स्टॉक को उपर्युक्त रीति से अद्यतन रखने और अन्य विभागों को मानक जारी करने में काफी उपयोगी हो रही है। प्रभावी प्रबंध संबंधी निर्णयों में परिवर्तनों की संख्या के विश्लेषण में भी ये तैयार आँकड़े मदद करेंगे।

विश्व बैंक निधि के अंतर्गत परियोजनाएँ

आग से बचाव के लिए विशेषज्ञ प्रणाली

विश्व बैंक निधि के अंतर्गत 1993-94 में आग से बचाव के लिए विशेषज्ञ प्रणाली विकसित करने की परियोजना आरंभ की गई। यह प्रणाली भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, 1983 के भाग 4 "आग से बचाव" की सिफारिशों पर आधारित है। यह विशेषज्ञ प्रणाली आग और विस्फोट से सुरक्षा से संबद्ध है तथा यह प्रणाली अग्नि क्षेत्रों के सीमांकन प्रत्येक अग्नि क्षेत्र में भवन निर्माण पर प्रतिबंध, अधिवासियों के आधार पर भवनों का वर्गीकरण, संरचनात्मक और गैर–संरचनात्मक संघटकों के अग्नि-प्रतिरोधन के लिए भवन निर्माण के प्रकार तथा भवन खाली कराने से पूर्व आग, धुएँ, भाप से जीवन के लिए होने वाले खतरे को कम करने के लिए आवश्यक अन्य प्रतिबंध और अपेक्षाएँ जैसे इनपुटों पर विचार करती है। यह विशेषज्ञ प्रणाली निर्णय संबंधी मानदण्डों की पहचान और उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल अन्योन्य क्रिया संबंधी इंटरफेस प्रदान करने के माध्यम से संहिता के उपयोग को सरल बनाएगी। यह प्रणाली अधिकतम ऊँचाई, खुला क्षेत्र, फ्लोर, एरिया का अनुपात, दीवारों तथा फर्शों में निकास, वैद्युत संस्थापन, विभिन्न अग्निशमन संस्थापन, अवस्थिति और प्रदीपन, वातानुकूलन तथा संवातन, धूम्र निर्गमन, फायर लिफ्ट, निकास सुविधाओं, तलघर संबंधी सुविधाओं, इत्यादि जैसी अपेक्षाओं के बारे में शीघ्र सूचना देने में समर्थ होगी ताकि आग से बचाव के लिए अपेक्षित डिग्री को सुनिश्चित किया जा सके। यह विशेषज्ञ प्रणाली निर्माण की अंतिम अवस्था में है।

कम्प्यूटरीकृत इंटरएक्टिव प्रबंध सूचना प्रणाली

यह परियोजना कार्यान्वित होने पर ब्यूरो में मुख्यालय के विभागों के साथ – साथ क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों, दोनों को लोकल एरिया और वाइड एरिया नेटवर्क

INFORMATION SERVICES ON STANDARDS

To disseminate information on Standards Database to the industry, a Tripartite agreement between BIS, Technology Information Forecasting and Assessment Council and Computer Maintenance Corporation is being explored. This would make available, Bibliographic data on Standards Worldover to the Industry and trade in the country on line.

DISTRIBUTION, SALES AND INVENTORY MANAGEMENT OF BIS PUBLICATIONS

As a measure to curb wastage of publications which are not sold, system has been developed to analyze number of copies against indent for each publication. This has resulted in saving on the cost of printing of standards having little demand from customers.

A system for Stores and Inventory Management of BIS Publications in the Distribution Department has been designed, developed and implemented. The system is being used for entry of stocks and issue of BIS Publications. This system is extremely useful for proper stock updation and issuing of standards to other departments. The data generated would help in the analysis on a number of variables for effective management decision.

PROJECT UNDER WORLD BANK FUNDS

Expert System for Fire Protection

A project was undertaken to develop an Expert System for Fire Protection under world bank funds in 1993-94. The system is based on the recommendations of Part 4 'Fire Protection' of the National Building Code of India, 1983. The Expert System deals with safety from fire and explosion and takes into consideration such inputs as demarcation of fire zones, restrictions on construction of buildings in each fire zone, classification of buildings based on occupancy, type of building construction according to fire resistance of the structural and non-structural components and other restrictions and requirements necessary to minimize danger to life from fire, smoke, fumes of panic before the buildings can be evacuated. The Expert System would simplify usage of the Code by identifying the decision parameters and providing an user friendly interactive interface. The system would be able to provide quicker information on such requirements as maximum height, open spaces, floor areas ratio, openings in walls and floors, electrical installations, various fire fighting installations, location and illumination, air conditioning and ventilation, smoke venting, fire lifts, exit facilities, basement facilities, etc, to ensure desired degree of protection from fire. The Expert System is in advance stage of preparation.

Computerized Interactive Management Information System

The project on implementation would integrate all the departments of BIS, both at Headquarters as well as

के साथ जोड़ कर एकीकृत कर देगी। भामा ब्यूरो की गतिविधियों को प्राथमिकता देने और उन पर नियंत्रण के लिए प्रबंध सूचना लाइन पर उपलब्ध होगी।

मानक के पूरे पाठ के लिए इलैक्ट्रानिक भंडारण और पुनः प्राप्ति की प्रणाली

भामा ब्यूरो द्वारा निर्धारित लगभग 16 500 से भी अधिक भारतीय मानक देशभर में फैले हमारे 17 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से हार्ड कापी के रूप में वितरित किए जाते हैं। भारतीय मानकों के मुद्रण और स्टाक के प्रबंध में काफी प्रयास, समय और स्थान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, नये मानक, उद्योग और उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने में कई माह लग जाते हैं। मानकों के भंडारण के लिए अपेक्षित इन्वेंटरी स्थान तथा नये मानकों के मुद्रण के लिए अपेक्षित दीर्घ समयावधि की समस्या को हल करने के लिए प्रौद्योगिकी की दृष्टि से और मित्तव्ययता की दृष्टि से व्यावहारिक, मानकों के पूरे पाठ की इलैक्ट्रोनिक इमेज बनाने तथा उनकी पुनः प्राप्ति की पद्धति को अभिज्ञात किया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत रू० 150 लाख है।

अक्तूबर 1994 के दौरान उपस्करों की आपूर्ति, सोफ्टवेयर की आपूर्ति सोफ्टवेयर के विकास और अनुप्रयोग व तत्संबंधी सेवाओं के लिए खुली निविदा सूचना जारी की गई। तकनीकी बोली के लिए १७ वेन्डरों से प्राप्त निविदाएँ खोली गई। निविदा संबंधी दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए निविदा मूल्यांकन में विशेषज्ञों की समिति गठित की गई है जिसमें इलैक्ट्रोनिकी विभाग, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डोक्यूमेंटेशन सेन्टर, तथा सीआईआई और फिक्की जैसी औद्योगिक संस्थाओं के प्रतिनिधि लिए गए हैं। परियोजना के सम्पादन के लिए किसी एक पार्टी के बारे में निर्णय लेने से पूर्व शौर्ट लिस्ट की गई नौ पार्टियों को प्रतिवेदन देने और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के बारे में डिमोन्सट्रेशन देने के लिए कहा जाएगा।

Regional and Branch Offices with Local Area and Wide Area Network. The management information would be available on line to prioritize and control the activities of BIS.

Electronic Storage and Retrieval System for Full Text of Standards

Over 16 500 Indian standards formulated by BIS are distributed in hard copy form through its 17 sales outlets spread throughout the country. Printing and stock management of Indian Standards consumes lot of effort, time and space. Also the new standards take several months before they become available to the industry and the consumers. The Electronic Image and Retrieval System for Full Text of Standards has been identified as technologically and economically feasible for solving the problem of inventory space required to store standards and long time frame required in printing of new standards. The project is estimated to cost Rs. 15 million.

An open tender notice was issued for equipment supply, software supply, development of application software and services during October 1994. Tenders received from 17 vendors were opened for technical bid. A committee of Experts for Tender Evaluation has been set up consisting of representatives from the Department of Electronics, National Informatics Centre, Indian National Scientific Documentation Centre and Industry Associations like CII and FICCI to go through the tender documents. Nine shortlisted parties would be asked to make presentation as well as to give the demonstration, on the proposals submitted by them before finalizing the party for executing the project.

पर्यावरण संरक्षण

12 ENVIRONMENT PROTECTION

पर्यावरण संरक्षण के महत्व के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता सहित ब्यूरो ने विभिन्न उत्पाद संवर्गों के लिए इको मुहर के लिए मानदण्ड विकसित करने में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करना जारी रखा। वर्ष के दौरान पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने वनस्पति, खाद्य तेलों, चाय और काफी के लिए अंतिम राजपत्र अधिसूचना जारी की। तदनुसार, ब्यूरो ने विभिन्न खाद्य तेलों, वनस्पति, चाय और काफी को शामिल करने वाले 27 मानकों में इको मुहर की अपेक्षाओं को शामिल करने के लिए आवश्यक संशोधन जारी किए।

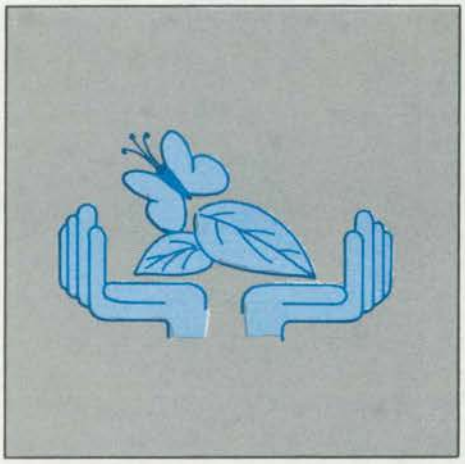

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत आईएसओ/टीसी 207, आईएसओ टेक्निकल कमेटी ऑन एन्वायरमेन्टल मैनेजमेन्ट के सहभागी सदस्य के रूप में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। यह समिति गुणता पद्धति मानकों पर आईएसओ 9000 की श्रृंखला के समान ही पर्यावरण प्रबंध पद्धति पर आईएसओ 14000 श्रृंखला के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के निर्धारण की प्रक्रिया में जुटी है।

With the increasing awareness of the importance of environment protection, the Bureau continues to be actively associated with the Ministry of Environment and Forests in developing ECO Mark Criteria for various product categories. During the year, the Ministry of Environment and Forests has issued final Gazette Notification for ECO mark criteria for vanaspati, edible oils, tea and coffee. Accordingly, the Bureau has initiated action to issue necessary amendment to 27 Indian Standards covering various edible oils, vanaspati, tea and coffee incorporating the requirement for ECO Mark.

At the international level, India is making significant contribution as participating member of ISO/TC 207, ISO Technical Committee on Environmental Management, which is in the process of formulating international standards on environmental management systems as ISO 14000 series on the lines of ISO 9000 series for quality system standards.

ऊर्जा संरक्षण 13 ENERGY CONSERVATION

ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में भारतीय मानक ब्यूरो, जो एक राष्ट्रीय मानक संस्था है, की भूमिका उत्प्रेरक के रूप में है। इस भूमिका के रूप में ब्यूरो सूचनाएँ उपलब्ध करता है। इन सूचनाओं में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठनों द्वारा अपनाई जा रही रीतियों को भारतीय मानकों के माध्यम से देना भी सम्मिलित है।

विभिन्न भारतीय मानक, मिश्रित उपकरण और साधित्रों के निम्नलिखित पहलुओं के बारे में ऊर्जा संरक्षण संबंधी अपेक्षाएँ निर्धारित करता है :

क) ऊर्जा खपत की अधिकतम सीमा,

ख) न्यूनतम दक्षता, और

ग) और ऊर्जा क्षति की अधिकतम सीमाएँ।

भारतीय मानकों में ऊर्जा संबंधी मापदण्ड निर्धारित करते समय निम्नलिखित की ओर ध्यान दिया जाता है :

- मापदण्ड आसानी से मापने योग्य और मात्रा में दर्शाए जा सकने योग्य हो।
- ऊर्जा दक्षता संबंधी निर्धारण कार्यकारिता और सुरक्षा की कीमत पर न हो, और
- सामग्री की बचत और प्रदूषण इत्यादि की दृष्टि से उचित उपकरण।

उपभोक्ताओं को ऊर्जा दक्ष उपकरण के चयन में सहायता करने के लिए बिजली की मोटरों, बिजली के घरेलू साधित्रों, बिजली के बल्बों, प्रशीतन उपकरणों और एयर कंडीशनरों संबंधी भारतीय मानकों के अनुसार ऊर्जा खपत संबंधी विवरण तथा घूर्नी मशीनों की रेटिंग प्लेट पर दक्षता से संबंधित विवरण देने अनिवार्य हैं।

ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपायों को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा संरक्षण संबंधी मानदण्डों की वर्तमान सीमाओं को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। बिजली के साधित्रों से संबंधित जिन मानकों में ऊर्जा से संबंधी मापदण्ड और उनकी मापन पद्धतियाँ शामिल नहीं हैं, उनमें इन्हें शामिल करने का कदम उठाया गया है।

प्रदीपन इंजीनियरी के क्षेत्र राष्ट्रीय प्रदीपन संहिता तैयार करने के लिए कार्यवाई की गई है। इस संहिता में प्रदीपन इंजीनियरी से संबंधित उन सभी पहलुओं को शामिल किया जायेगा, जिनपर प्रदीपन प्रणालियों के डिजाइन के समय विचार की आवश्यकता है। विभिन्न साधित्रों और क्षेत्रों में उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था के और स्थापन पर विशेष बल दिया गया है, जिससे बिजली का अनुकूलतम उपयोग हो और न्यूनतम लागत पर दक्ष प्रकाश व्यवस्था की जा सके।

वर्ष के दौरान किए गए कार्यों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :

1. आई एस 1460 : 1995 डीजल इंधन (तीसरा पुनरीक्षण)

मध्यम आसुत सामग्रियों अर्थात् मिट्टी का तेल और डीजल इंधन की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए अक्तूबर 1985 में डीजल इंजन के फ्लेश प्वाइंट में 38 से 32 संशोधन किया गया था। इससे डीजल इंजन के वार्षिक उत्पादन में 5

In the field of energy conservation, the role of Bureau of Indian Standards, the National Standards Body is basically catalytic. The role basically includes dissemination of information which also takes into accounts the practices followed in national and international standards organizations through Indian Standards.Various Indian Standards stipulate energy conservation requirements for machinery, equipment and appliances on the following aspects :

a) Maximum limit on power consumption;

b) Minimum efficiency; and

c) Maximum limits of losses.

While specifying the energy parameters in Indian Standards, it is ensured that :

- The parameters are easily measurable and quantified;
- Energy efficiency stipulation not at the cost of performance and safety; and
- Proper weightage against material conservation, pollution, etc.

Indian Standards on electric motors, household electrical appliances, electric lamps, refrigeration equipment and air conditioners stipulate the marking of power consumption, and marking of efficiency of rotating machineries on rating plate to assist in selection of energy efficient equipment for the consumer.

Existing limits on energy consumption parameters are being updated regularly with a view to promote energy conservation measures. Action has been initiated to incorporate the energy efficiency parameters and their methods of measurements in the case of electrical appliances where such requirements are not so far covered in the standards.

In the area of illumination engineering, action was initiated to prepare National Lighting Code. The Code will cover all aspects of illumination engineering which require consideration while designing lighting system. Special emphasis has been given in layout and location of proper light source in different applications and areas so as to have optimum utilization of electricity resulting in efficient lighting system at minimum cost.

Among the work done during the year, following may be worth mentioning :

1. IS 1460 : 1995 Diesel Fuels (third revision)

In order to meet the increasing demand of middle distillates, namely, kerosene and diesel fuel, the flash point of diesel fuel had been modified in October 1985 from 38°C to 32°C which resulted in the increased production of diesel fuel to

लाख टन अधिक का उत्पादन हुआ। तीसरे पुनरीक्षण में सिटोन की संख्या 40 से न्यूनतम 45 की गई। इससे इंधन की बचत में और अधिक सुधार हुआ।

2. आई एस 2796 : 1995 मोटर गैसोलीन (दूसरा पुनरीक्षण)

विभिन्न इंजन निर्माताओं से परामर्श करके और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून द्वारा इक्ट्ठे किए गए आँकड़ों के आधार पर, इंधन की प्रति लिटर माइलेज बढ़ाने के लिए मोटर गेसोलिन की ऑक्टेन संख्या नियमित ग्रेड के लिए 83 से बढ़ाकर 87 तथा प्रीमियम ग्रेड के लिए 93 कर दी गई। इससे देश में मोटर गैसोलीन की खपत में 4 से 5% तक बचत हुई है। ऑक्टेन विशेषकर सीसारहित गैसोलीन में, जिससे इस मानक के दूसरे पुनरीक्षण में शामिल किया गया है, पर अधिक ध्यान देने के लिए गैसोलीन में अकार्बनिक आक्सीजनरों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। इससे इंधन की और बचत होगी।

3. आई एस 7490 : 1974 रिकलेम्ड रबड़

रिकलेम्ड रबड़ की महत्ता को महसूस करते हुए इस विशिष्ट के पुनरीक्षण के लिए पहचान दी गई है। पुनरीक्षित संरक्षण एक रिकलेम्ड रबड़ की ३ टाइपों अर्थात होलटाइप, प्राकृतिक रबड़ टयूब और आइसोब्यूटीलीन, आइसोप्रीन टयूब सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

4. आई एस 14155 : 1994 कपड़े धोने की बिजली की घरेलू मशीन

इस मानक को ऊर्जा संरक्षण संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षित किया गया है। इसमें ऊर्जा संरक्षण संबंधी अपेक्षाओं और मापन पद्धतियों, जिन्हें पहले सम्मिलित नहीं किया गया था, निर्दिष्ट की गई है।

5. आई एस 14220 : 1994 खुले कुए मे निमज्जनय पम्पसेट

यह मानक खुले कुए जहाँ पम्पो और मोटरों की आयामों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता, को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस मानक में कृषि और घरेलू जलपूर्ति प्रयोजन के लिए साफ और ताजा पानी की निमज्जनय पम्पसेटों की अपेक्षाएँ शामिल की गई हैं। इस मानक में पम्पसेटों की न्यूनतम समग्रदक्षता निर्धारित की गई है। इसके साथ ही इसमें न्यूनतम समग्रदक्षता के आकलन के लिए उठाव और निकास के साथ इसके संसम्बन्ध भी निर्धारित किए गए हैं।

the tune of 0.5 million tonnes per year. In the third revision, cetone number has been increased from minimum 40 to 45, which would result in further improvement in fuel economy.

2. IS 2796 : 1995 Motor Gasolines (second revision)

In consultation with various engine manufacturers and based on data collected by Indian Institute of Petroleum, Dehradun for increasing the mileage per litre of fuel, the Octane number of motor gasoline had been upgraded from 83 to 87 for regular grade 93 for premium grade. This has resulted in 4 to 5 percent saving of motor gasoline in the country. Further to get octane boost, particularly for unleaded gasoline which has been covered in the second revision of this standard, use of organic oxygenates in gasoline has been permitted. This would result in improved fuel economy.

3. IS 7490 : 1974 Reclaimed Rubber

Realizing the importance of reclaimed rubber, the specification has been identified for revision. Three classes of reclaimed rubber namely whole type, natural rubber tube and isobutylene isoprene tube are proposed to be included in the revised version.

4. IS 14155 : 1994 Domestic Electric Clothes Washing Machine

This standard was revised to take into account the energy conservation aspects. It specifies the requirements and method of measurement for energy consumpti[illegible] earlier not covered.

5. IS 14220 : 1994 Open Well Submersible Pumpsets

This standard has been developed to operate in open wells where there is no restriction of dimensions of pumps and motors. This Standards covers the requirements of open well submersible pumpsets for clear and cold water for agricultural and water supply purposes. The Standard specifies the overall minimum efficiency of pumpsets and also its relationship with head and discharge for the calculation of overall minimum efficiency.

क्षेत्रीय, शाखा और निरीक्षण कार्यालय

14 REGIONAL, BRANCH AND INSPECTION OFFICES

भामा ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना के प्रचालन पर प्रभावी निगरानी रखने और विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ताओं, उद्योग तथा शिक्षण संस्थाओं को मानक कार्यान्वयन और गुणता नियन्त्रण पर स्थानिक सेवा प्रदान करने के लिए ब्यूरो के क्षेत्रीय, शाखा और निरीक्षण कार्यालयों का देश भर में जाल फैला हुआ है।

To effectively supervise the operation of BIS Certification Marks Scheme and to provide on-the-spot service in standards implementation and quality control to various sections of consumers, industry and educational institutions, BIS has a network of regional, branch and inspection offices spread all over the country.

विभिन्न निर्माता ईकाईयों, उद्योग द्वारा आईएसआई मुहर के दुरूपयोग के बारे में सूचना इक्ठ्ठी करने के लिए प्रमुख बाजारों में सर्वेक्षण किया गया। ऐसे सर्वेक्षणों के दौरान नकली मुहर लगी सामग्रियों के नमूने आगे की कार्रवाई के लिए लिए गए।

Market surveys were made covering important markets for collecting information regarding misuse of ISI Mark by various manufacturing units/ industries. During such market surveys samples of spurious marked materials were collected for further action. On receiving information on misuse of ISI mark, search and seizure operations were conducted at number of places by the inspecting officers. Prosecution and legal actions were initiated against those units found to have misused ISI Mark.

मुहर के दुरूपयोग के बारे में सूचना प्राप्त होने पर निरीक्षण अधिकारियों द्वारा कई स्थानों की तलाशी ली गई और उत्पाद जब्त किए गए। आई एस आई मुहर का दुरूपयोग करती पाई गई इकाईयों के विरूद्ध मुकदमें चलाये गए और कानूनी कार्रवाई की गईं।

उपभोक्ता साक्षरता और व्यापार विचार–विमर्श कार्यक्रम तथा विद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यक्रमों के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियाँ की गई।

Consumer protection activities through consumer education and traders interaction programme and through programmes in schools and colleges were stepped up.

लाइसेंसधारियों की बैठकें, उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम, गुणता पद्धति कार्यक्रम, मानकों के शैक्षिक उपयोग कार्यक्रम और मानकीकरण एवं गुणता पद्धति संबंधी राज्य स्तरीय समितियों की बैठकें की गईं।

A number of licensee meetings, consumer awareness programmes, quality systems programmes, programmes on educational utilization of standards and meetings of State Level Committees for Standardization and Quality Systems were also conducted.

उपभोक्ता संबंधी गतिविधियाँ 15 CONSUMER RELATED ACTIVITIES

भामा ब्यूरो ने उपभोक्ता संगठनों और आम उपभोक्ता से घनिष्ठ संपर्क बनाये रखना जारी रखा। उपभोक्ता आवाज के लिए उपयुक्त स्थल अर्थात भामा ब्यूरो की नीतियों का निर्धारण करने वाले मंच पर उपभोक्ताओं को प्रतिनिधित्व देने की अपनी बचनबद्धता को निभाने के लिए इस वर्ष उपभोक्ता नीति सलाहकार समिति गठित की गई। यह समिति उन सभी नीतिगत मामलों पर सलाह देगी जो भामा ब्यूरो की गतिविधियों के माध्यम से आम उपभोक्ता की सेवा करने से संबंधित हैं;

BIS continued to promote consumer welfare through its activities and by interacting intensively with consumer associations as well as common consumers. As a mark of its commitment to giving consumer a voice to rightful place in the Policy Making fora of BIS, a consumer policy Advisory Committee was constituted during the year. The Committee shall advise on all such policy matters that relate to providing service to common consumers through BIS activities.

मानकीकरण

मानक निर्धारण गतिविधि की समीक्षा माँग संचालित गतिविधि के रूप में किये जाने के बावजूद भी, उपभोक्ता से सरोकार रखने वाले मानकों पर बल देना जारी रहा। 1994 में केबल टीवी अध्यादेश के प्रवर्तन के बाद भामा ब्यूरो को केबल टीवी उपकरणों पर मानक तैयार करने का कार्य सौंपा गया, ताकि केबल टीवी नेटवर्क के अंशदाताओं को गुणतायुक्त ट्रांसमिशन का आश्वासन मिल सके। इस क्षेत्र में इस वर्ष लगभग 12 मानकों को अंतिम रूप दिया गया।

वाहनचालकों के लिए ब्यूरो ने आईएस 14224 :1995 "स्वचल वाहन रजिस्ट्रेशन प्लेट–अपेक्षाऐं" प्रकाशित किया। इस मानक में सवारी कारों, व्यावसायिक वाहनों और उनके ट्रेलरों, मोटर सवारों, स्कूटरों, तिपहिया वाहनों आदि विभिन्न प्रकार के मोटर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन प्लेटों के लगाने की स्थिति, उनकी आकृति और वर्गों तथा अंकों के आयामों की अपेक्षाऐं निर्धारित की गयीं हैं। अन्य अपेक्षाओं के साथ-साथ इस मानक में मोटर गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन प्लेटों के साफ नजर आने के बारे में विशेष रूप से सिफारिश की गयी है। इस मानक के प्रावधानों का केन्द्रीय मोटरगाड़ी (सीएमवीआर) में भी हवाला दिया गया है।

इस वर्ष तैयार किए गए तथा पुनरीक्षित मानकों में उपभोक्ता से सरोकार रखने वाले मानकों में डेजर्ट कूलर, अस्पताल (30 बिस्तर वाले अस्पताल) सेवाओं का गुणता प्रबंध, बिजली के थर्मामीटर, हाइपोडर्मिक सिरिंज, डीज़ल ईंधन तथा ऑटोगोटिव ब्रेक लाइनिंग पर मानक शामिल थे।

उत्पाद प्रमाणन

उत्पाद प्रमाणन योजना में पहले ही दैनिक उपयोग की लगभग 305 वस्तुएँ, जैसे – एल पी जी सिलेन्डर, एल पी जी स्टोव, तेल दाब स्टोव, प्रेशर कुकर, निरापद माचिस, सेफ्टी रेजर ब्लेड, जी एल एस लैम्प, प्रतिदीप्ति ट्यूब, शुष्क सैल बैटरियाँ, बिजली की इस्तरी, बिजली के पानी गर्म करने वाले डुबाऊ हीटर, सूती बनियानें, बाल रंगने का पाउडर, डेजर्ट कूलर, नमक, कॉफी पाउडर, वनस्पति, बिस्कुट, दूध के उत्पाद, शिशु आहार, मच्छरदानी तथा कोको पाउडर शामिल हैं। इस वर्ष 10 नयी उपभोक्ता वस्तुएँ शामिल हुई हैं, इनमें से कुछ हैं – चॉकलेट, सिलाई का धागा हैं मस्क्टिो रेपीलेंट मैट।

विशेष निगरानी

देश भर के बाजारों से बिजली की इस्तरी, जो उपभोक्ता द्वारा सामान्य रूप से प्रयोग की जाती है, के नमूने प्राप्त करके इसकी गुणता की जाँच की गई और

STANDARDIZATION

Even as standards development was reviewed as demand-driven activity, emphasis continued to be given to standards on consumer interest. With the promulgation of Cable TV Ordinance in 1994, BIS was called upon to undertake preparation of standards for Cable TV equipments which would assure quality of transmission to the subscribers of Cable TV Networks. As many as 12 standards were finalized during the year in this area.

In the interest of vehicle users, BIS has brought out IS 14224:1995 'Automotive vehicles registration plate - Requirements'. This standard specifies the requirements with respect to location, shape and dimension of letters and numerals for registration plate on various types of motor vehicles, such as, passenger cars, commercial vehicles and their trailers, motorcycles, scooters and three wheelers. In addition to other requirements, this standard particularly recommends the clear visibility of number plates on motor vehicles. The provisions of the standard have also been referred in the Central Motor Vehicle Rules (CMVR).

Some other standards of consumer interest prepared or revised during the year include those for desert coolers, quality management for hospital services (up to 30 bedded hospitals), electrical thermometers, hypodermic syringes, diesel fuels and automotive brake lining.

PRODUCT CERTIFICATION

The Product Certification Scheme already covers as many as 305 items of daily use such as LPG cylinders, LPG stoves, oil pressure stoves, pressure cookers, safety matches, safety razor blades, GLS lamps, fluorescent tubes, dry cell batteries, electric irons, electric immersion water heaters, cotton vests, power hair dyes, desert coolers, salt, coffee powder, vanaspati, biscuits, milk products, infant foods, mosquito nets and cocoa powder. During the year, 10 new consumer items were covered under the scheme among them some of the items are namely, Chocolates, sewing threads, mosquito repellant mats.

Special Surveillance

A special drive was conducted to check and improve the quality of electric iron, a very commonly used consumer item, by drawing

इसमें सुधार करने के लिए एक विशेष सर्वेक्षण किया गया।

उपभोक्ता शिकायतें

ब्यूरो द्वारा प्रमाणित वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों पर ब्यूरो ने वर्ष के दौरान लोक शिकायत निपटान मशीनरी और अधिक दक्ष बनाने तथा इसे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के लिए जवाबदेह बनाने के लिए इसका पुनर्गठन किया तथा इसे सशक्त बनाया गया। शिकायतों की केन्द्रीकृत रिकॉर्डिंग के लिए सॉफ्टवेयर का विकास किया गया तथा सभी शिकायतों का रिकॉर्ड भी केन्द्रीकृत आधार पर रखा जाता है। इस योजना से लंबित शिकायतों की कुल संख्या तथा उनके निपटान में लगने वाले समय में तेजी से कमी आई है (देखें आकृति 15.1)। वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की 144 शिकायतों के मुकाबले 406 शिकायतें बंद की गयीं। 31 मार्च 1994 की 300 शिकायतों की तुलना में 31 मार्च 1995 को 59 शिकायतें लंबित थी।

प्रयोगशाला

इंडो – ई ई सी सहयोग कार्यक्रम के साथ ही विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत भामा ब्यूरो प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में उपभोक्ता मदों, जैसे खाद्य सामग्री और बिजली के साधित्रों के लिए परीक्षण सुविधाओं का उन्नयन इसका मुख्य संघटक है। वर्ष के दौरान "ऑटो सेक्टर" में सेफ्टी हेलमेटों के लिए परीक्षण उपस्करों, खाद्य क्षेत्र में परमाणिवक अवशोषी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उच्च कार्यकारिता वाले लिक्विड क्रोमेटोग्रॉफ, गैस क्रोमेटोग्राफ, तथा इन्डक्टिवली युग्मित प्लाज्मा स्पेक्ट्रोमीटर जैसे उपस्करों तथा विद्युत क्षेत्र में विविध बिजली के घरेलू साधित्रों के लिए परीक्षण सुविधाओं हेतु आदेश दिए गए।

इसके अतिरिक्त हमारी उत्पाद प्रमाणन योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमेंट और जी एल एस लैम्प जैसी वस्तुओं के लिए क्षमता बढ़ाने की योजनाएं बनाई गईं।

number of market samples of the product from all over the country. During the year, about 36 such samples were drawn.

Public Grievances

Complaints regarding Bureau certified products received from consumers during the year continued to draw close attention. The Public Grievance Redressal Machinery has also been reorganized and strengthened to make it more efficient and responsive to consumer's needs. Software for centralized recording of complaints has also been developed and all complaints are now being centrally recorded. With the renewed thrust, there has been a sharp decline in the total number of pending complaints *(see Fig. 15.1)* and time taken in complaint redressal. During the year, 406 complaints were closed against 144 in the previous year. As on 31 March 1995, only 59 complaints were pending against 300 complaints on 31 March 1994.

LABORATORY

Upgradation of testing facilities for consumer items like food items and electrical appliances is a key element of the Modernisation programme for BIS Laboratories under Indo-EEC cooperation programme as well as World Bank assistance. During the year, orders were placed for testing equipment for safety helmets in 'Auto Sector', equipment such as atomic absorption spectrophotometer, high performance liquid chromatograph, gas chromatograph and inductively coupled plasma spectrometer in the Food Sector & testing facilities for miscellaneous domestic electrical appliances in the Electrical Sector.

In addition, plans for augmentation of capacity for items like cement and GLS Lamps were drawn up to meet the needs of our Product Certification Scheme.

आकृति 15.1 31 मार्च को लम्बित शिकायतों की संख्या
Fig. 15.1 Number of Complaints Pending as on 31st March

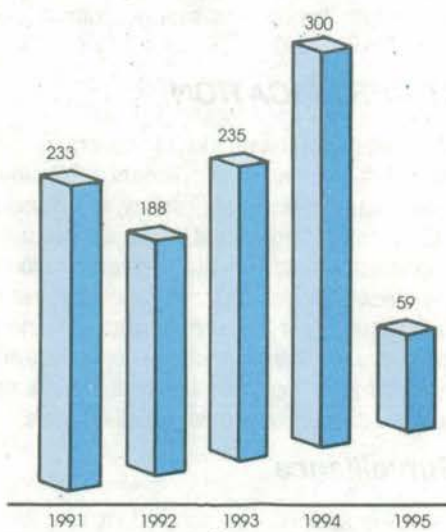

आकृति 15.2 आयोजित उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या
Fig. 15.2 Number of Consumer Awareness Programmes Organised

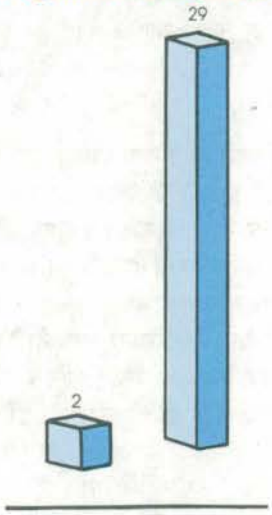

उपभोक्ता शिक्षा

जागरूकता कार्यक्रम

भामा ब्यूरो के क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के माध्यम से वर्ष के दौरान उपभोक्ता संगठनों के अधिकारियों के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम (देखें आकृति 15.2) भी आयोजित किये गये। इन जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान ब्यूरो के अधिकारियों क्षरा "मानकीकरण में उपभोक्ता की आवाज", "प्रमाणन के माध्यम से उपभोक्ता कल्याण", "उपभोक्ता मामलों और लोक शिकायातों के निपटान से संबंधित भामा ब्यूरो की गतिविधियां", "आईएसआई मुहर का दरूपयोग" और "भामा ब्यूरो की गुणता पद्धति प्रमाणन योजना और उपभोक्ता के लिए इसकी उपयोगिता" विषय पर 5 प्रलेख भी प्रस्तुत किये।

विद्यालयों और आम विद्यालयों के विद्यार्थियों को मानकीकरण की अवधारणा, मानकों और उपभोक्ता कलयाण में भामा ब्यूरो की भूमिका से परिचित कराने के उद्देश्य से "गुणता और उपभोक्ता कल्याण" विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन जागरूकता कार्यक्रम में प्रयोग के लिए "मानकीकरण अवधारणा, उद्देश्य और लाभ" और "परामर्श के माध्यम से उपभोकता कल्याण" विषय पर दो आधार प्रलेख तैयार किये गये और सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को वितरित किये गये। वर्ष के दौरान आरंभ में क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा कुछ कार्यक्रम आयोजित किये गये।

साहित्य

उपभोक्ता शिक्षण के लिए ब्यूरो के अभियान के रूप में "अपने उत्पाद के बारे में जानिये" श्रृंखला के अंतर्गत "बिजली की इस्तरी" विषय पर एक ब्रोशर प्रकाशित किया। इस ब्रोशर का मोचन माननीय मंत्री द्वारा कार्यक्रम के दौरान किया गया। इसी श्रृंखला के अंतर्गत "बिजली के बल्ब" विषय पर एक और ब्रोशर प्रकाशित किया गया।

उपभोक्ता दिवस

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 1995 मनाने के लिए भामा ब्यूरो के ऑडिटोरियम में "गुणता पद्धतियों से संबंधित आईएस/आईएसओ 9000 मानकों के माध्यम से उपभोक्ता कलयाण" विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भागीदारों के साथ-साथ उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों, जिनमें सेवा और उपयोगिता क्षेत्रों के कार्मिक भी सम्मिलित थे, आईएस/आईएसओ 9000 मानकों, उनसे उपभोक्ताओं को होने वाले लाभों से परिचित कराने तथा यह बताने के लिए किया गया था कि सेवा और उपयोगिता के क्षेत्र में उन्हें लागू करने से उपभोक्ता का कल्याण किस प्रकार हो सकता है। श्री बूटा सिंह, माननीय, नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। डॉ. जी. सुन्दरम, सचिव, नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आरंभिक अभिभाषण दिया। इस समारोह में भाग लेने वाले विशिष्ट प्रतिनिधियो मे मत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के सदस्य सम्मिलित थे। श्री एन. एस. चौधरी, महा निदेशक, भामा ब्यूरो ने स्वागत भाषण दिया।

विश्व मानक दिवस

विश्व मानक दिवस 14 अक्तूबर 1994 का विषय "मानक और उपभोक्ता बेहतर विश्व के भागीदार" था। इस विषय से संबंधित एक विज्ञापन भामा ब्यूरो ने टाइम्स ऑफ इंडिया के सप्लीमेंट में प्रकाशित कराया। "मानकीकरण – उपभोक्ताओं को लाभ" विषय पर एक ब्रोशर भी तैयार किया गया और समारोह के दौरान वितरित किया गया। भामा ब्यूरो के क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के माध्यम से प्रमुख

CONSUMER EDUCATION

Awareness Programmes

A large number of Awareness Programmes for office bearers of consumer organizations were also conducted during the year through the network of BIS Regional and Branch Offices *(see Fig. 15.2).* During these awareness programmes, five papers were presented by BIS officers on the themes 'Consumer Voice in Standardization', 'Consumer Welfare through Certification', 'Consumer Affairs and Public Grievance Redressal Activities of BIS', 'Misuse of ISI Mark and Enforcement', and 'BIS Quality System Certification Scheme and its Relevance to Consumers.

A module of awareness programme on 'Quality and Consumer Welfare' was developed, with a view to make students and teachers of schools and colleges aware of the concepts of standardization, standards and the role of BIS in consumer welfare. Two base papers on the themes, 'Standardization - Concepts, Aims and Benefits' and 'Consumer Welfare through Certification' were prepared and circulated to all Regional Offices/Branch Offices for use as reference material in the awareness programmes. Regional Branch Offices also organized few programmes during the year to begin with.

Literature

As part of the Bureau's drive in consumer education, a brochure titled 'Electric iron' in the 'Know Your Product Series' was brought out, which was released by the Hon'ble Minister during the programme. Another brochure titled 'Electric Lamp' in the same series was also brought out.

CONSUMERS DAY

To celebrate the occasion of World Consumer Rights Day 15 March 1995, an awareness programme was organized at BIS Auditorium on the theme 'Consumer Welfare through IS/ ISO 9000 Standards on Quality Systems'. The programme was organized with the objective of apprising the participants *inter-alia* representatives of consumer organizations comprising officials of the service and utility sectors about IS/ ISO 9000 standards, their benefits to consumers and how their implementation in the service and utility sectors would take care of consumer welfare. Shri Buta Singh, Hon'ble Minister for Civil Supplies, Consumer Affairs & Public Distribution, was the chief guest. Dr G. Sundaram, Secretary, Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs & Public Distribution delivered the Opening Address. Senior officials of the ministry and members of the Consumer Disputes Redressal Commissions were the distinguished delegates participated in the function. Shri N. S. Choudhary, DG, BIS delivered the Welcome Address.

WORLD STANDARDS DAY

The theme of World Standards Day, 14 October 1994 was 'Standards and Consumers - Partners for a Better World'. BIS theme Paper on the occasion, was brought out in Newspaper supplement of Times of India. A brochure titled 'Standardization - Benefits to Consumers' was also brought out and distributed during the function. A one week consumer education drive, was organized at prominent market outlets, through the network of

बाजारों में एक सप्ताह का उपभोक्ता शिक्षण का अभियान चलाया गया।

उपभोक्ता संगठनों को मान्यता

भारतीय मानक ब्यूरो (उपभोक्ता संघों को मान्यता) नियम 1991 के अंतर्गत 5 उपभोक्ता संगठनों को मान्यता प्रदान की गयी। ब्यूरो ने ऐसे सभी नीति संबंधी मामलों पर परमार्श देने के लिए एक उपभोक्ता नीति सलाहकार समिति का गठन किया है, जो भामा ब्यूरो की गतिविधियों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने से संबंधित है।

उपभोक्ताओं से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ

ब्यूरो कोपोल को आईएसओ/आईईसी परिषद् की उपभोक्ता नीति समिति से संपर्क रखता है। "उपभोक्ताओं के लाभ के लिए भामा ब्यूरो की हाल की गतिविधियाँ" शीर्षक से "कंज्यूमर कम्यूनिकी" में एक लेखा छपा था। मानकीकरण कार्य की प्राथमिकताओं के बारे में कोपोलको सचिवालय को सम्मितियाँ भी भेजी हैं।

अन्य उपभोक्ता संबंधी गतिविधियों में सहभागिता

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, जो देश में उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक शिखर प्राधिकरण है, तथा उपभोक्ता कल्याण निधि हेतु स्थायी समिति की बैठकों में भामा ब्यूरो के अधिकारियों ने भाग लिया, जो अन्य कार्य के लिए आयोजित की गईं। उपभोक्ता कल्याण निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए उद्योगों का निर्णय लेने से प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गयी।

उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए उपभोक्ता कल्याण को बढ़ावा देने हेतु भामा ब्यूरो की भूमिका के रूप में ब्यूरो के अधिकारियों ने उपभोक्ता संगठनों द्वारा आयोजित सम्मेलनों, कार्यशालाओं और प्रदर्शीनियों में भाग लिया तथा उनके द्वारा आयोजित सेमीनारों में व्याख्यान दिये। उपभोक्ताओं को भामा ब्यूरो की गतिविधियों से परिचित कराने के लिए ब्यूरो के अधिकारियों ने पैनल चर्चाओं और दूरदर्शन द्वारा प्रसारित साक्षात्कारों में भी भाग लिया।

BIS Regional and Branch Offices.

RECOGNITION OF CONSUMER ORGANIZATIONS

Five consumer organizations were also granted recognition under the Bureau of Indian Standards (Recognition of Consumers' Association) Rules, 1991 notified by the Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs & Public Distribution.

INTERNATIONAL CONSUMER RELATED ACTIVITIES

BIS interacts with COPOLCO, ISO/IEC Council Committee on Consumer Policy. A write-up on 'Current Activities of BIS of Interest to Consumers' was published in 'Consumer Communique'. Comments were also sent to COPOLCO Secretariat on Priorities for Standardization Work.

PARTICIPATION IN OTHER CONSUMER RELATED ACTIVITIES

BIS officials attended meetings of the Central Consumer Protection Council, the apex authority providing protection to common consumers in the country, and meetings of the Standing Committee for Consumer Welfare Fund, held to decide grants from the fund and other modalities. Procedures were laid down for processing of applications received from industries for grant of financial assistance from the consumer welfare fund.

For creating awareness amongst consumers, of the role of BIS in promoting consumer welfare, BIS officers participated in conferences, workshops and exhibitions and also delivered talks in seminars organized by consumer organizations. To educate consumers about BIS activities, BIS officers also participated in panel discussions and interviews televised on Doordarshan.

उपभोक्ता
दिवस समारोह
Consumer Day
Celebrations
in progress

भामा ब्यूरो में अपने दौरे के दौरान जर्मनी के प्रो. एच. रल्हन, निदेशक, डी आई एन, जर्मनी, श्री एन एस चौधरी, महानिदेशक भामा ब्यूरो के साथ
Prof. H. Reihlen, Director, DIN, Germany with Shri N.S. Chaudhary, DG, BIS during his visit to BIS

मानकीकरण और गुणता पद्धति पर 27वें अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए एक सहभागी
A participant of 27th International Training Programme in Standardization and Quality Systems, receiving certificate from the Chief Guest

भामा ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मानक भवन के द्वार पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के सहभागी
Participants of International Training Programme with BIS senior officers at the gate of Manak Bhavan

अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ

16 INTERNATIONAL ACTIVITIES

ब्यूरो ने अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ), अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आईईसी) की विभिन्न तकनीकी एवं नीति निर्माता समितियों की बैठकों में भाग लेना जारी रखा। ब्यूरो ने अन्य देशों के राष्ट्रीय मानक निकायों एवं यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय सम्पर्क को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में भी प्रयास किये।

अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ)

आईएसओ की नीति निर्माता समितियों में से भारतीय प्रतिनिधि मण्डलों ने आईएसओ परिषद और डेवको की बैठकों में भाग लिया।

जेनेवा में 20 से 21 अप्रैल 1994 तक आयोजित आईएसओ परिषद् की ४८वीं बैठक में भामा ब्यूरो के एक सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल, जिसमें श्री ए.आर. बैनर्जी, निदेशक शामिल थे, ने भाग लिया।

नाइस, फ्रांस में 3 से 5 सितम्बर तक आयोजित दक्षिण एशिया एवं ईरान क्षेत्र (एसएआईआर) से संबंधित आईएसओ के क्षेत्रीय सम्पर्क अधिकारियों की 17 वीं बैठक और डेवको की 28 वीं बैठक में, श्री एन.एस. चौधरी, महानिदेशक, भामा ब्यूरो ने भाग लिया। उन्होंने इन बैठकों के साथ 6 से 7 सितम्बर 1994 तक आयोजित आईएसओ परिषद की 49 वीं बैठक में भी भाग लिया। उन्होंने श्री राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, नागरिक पूर्ति विभाग, नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने नाईस, फ्रांस में 8 से 9 सितम्बर 1994 तक आयोजित आईएसओ महामभा की 17 वीं बैठक में भी भाग लिया।

श्री एन. एस. चौधरी, महानिदेशक, भामा ब्यूरो ने जेनेवा में 23 से 24 जनवरी 1995 तक आयोजित आईएसओ परिषद की 50 वीं बैठक में भाग लिया। इस परिषद् ने इस तथ्य की पुर्नपुष्टि की कि गुणता पद्धति मूल्यांकन स्वीकरण (क्यूएसएआर) प्रमाणन संस्थाओं द्वारा ही किया जा सकेगा तथा क्यूएसएआर के सदस्य बनने के लिए प्रमाणन संस्थाएँ स्वंय पंजीकरण सेवाएँ देनी आरम्भ न करें। परिषद् ने आई एस ओ केन्द्रीय राचिवालय के कोपीराइटर नेगोशिऐशन प्रोसीज़र ग्रुप की प्रगति रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कोपीराइट का प्रयोग दो वर्ष तक की जाँच अवधि तक करने की प्रक्रिया का अनुमोदन किया।

अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आईईसी)

श्री जे.एस. राजू, महानिदेशक, मानकीकरण, परीक्षण और गुणता (एसटीक्यूसी) निदेशालय, इलैक्ट्रॉनिकी विभाग, श्री ए.एस. सूद, संयुक्त निदेशक, एसटीक्यूसी और श्री टी.सी. कपूर, निदेशक, भामा ब्यूरो के प्रतिनिधिमण्डल ने टोरोनटो, कनाडा में 14 से 17 जून 1994 तक आयोजित आईईसीईई – सीसीबी और प्रबन्ध समिति (एमसी) की बैठकों में भाग लिया। इन बैठकों के दौरान स्विच और अल्पवोल्टता फ्यूजों के क्षेत्र में निर्गम निकाय के रूप में स्वीकरण के लिए भारत के आवदेन को मंजूर किया गया। एसटीक्यूसी के अन्तर्गत 3 भारतीय प्रयोगशालाओं को आईईसीईई – सीबी स्कीम के अन्तर्गत अनुमोदित परीक्षण प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता को मंजूरी प्रदान की गई।

BIS continued to participate in the various technical and policy making committees of International Organization for Standardization (ISO) and Intenational Electrotechnical Commission (IEC). It also made efforts for further strengthening the bilateral relations with other national standards bodies and the European Union.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO)

Amongst the policy making committees of ISO, the ISO Council and DEVCO meetings were attended by Indian delegations.

A one-member Indian delegation comprising Shri A.R. Banerjee, Director, BIS, attended the 48th ISO Council meeting held during 20-21 April 1994 at Geneva.

The 17th meeting of Regional Liaison Officers of ISO for South Asia and Iran Region (SAIR) and the 28th meeting of DEVCO was held at Nice, France during 3-5 September 1994 and was attended by Shri N.S. Choudhary, Director General, BIS. He also attended the 49th ISO Council meeting held along with these meetings during 6-7 September 1994. He along with Shri Rajiv Srivastava, Joint Secretary, Deptt. of Civil Supplies, Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs & Public Distribution constituting a two-member Indian delegation attended the 17th ISO General Assembly held at Nice, France during 8-9 September 1994.

Shri N.S. Choudhary, Director General, BIS attended the 50th ISO Council meeting held during 23-24 January 1995 at Geneva. The Council reaffirmed that Quality System Assessment Recognition (QSAR) would be open to accreditation bodies only, and that to be members of QSAR, accreditation bodies may not themselves be engaged in providing certification/registration services. The Council, upon discussions on the progress report on ISO Central Secretariat copyright negotiation procedure's group approved the procedures for multinational copyright exploitation for a two-year trial period.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC)

An Indian delegation comprising Shri J.S. Raju, Director General, Standardization, Testing & Quality Control (STQC) Directorate, Deptt of Electronics; Shri A.S. Sood, Joint Director, STQC and Shri T.C. Kapoor, Director, BIS, participated in the meeting of IECEE-CCB and Management Committee (MC) meetings during 14-17 June 1994 at Toronto, Canada. During the meeting, India's application for extension of scope for acceptance as an issuing body in the area of switches, and low voltage fuses was accepted. The recognition of three Indian laboratories under STQC, as approved testing laboratories under IECEE-CB Scheme, was accepted.

कुछ तकनीकी समितियों और उपसमितियों की बैठकों के साथ नाइस, फ्रांस में 12 से 16 सितम्बर 1994 तक आयोजित आईईसी की महापरिषद् की 58 वीं बैठक हुई। इन बैठकों में श्री एन.एस. चौधरी, महानिदेशक ने भाग लिया।

जेनेवा में 16 से 20 मई 1994 तक आयोजित आईईसीक्यू की विभिन्न बैठकों में श्री जे. एस. राजू, महानिदेशक, एसटीक्यूसी निदेशालय; श्री हरचरण सिंह, निदेशक, इलैक्ट्रॉनी एवं दूरसंचार, भामा ब्यूरो, श्री चन्द्रशेखर, अतिरिक्त निदेशक, एसटीक्यूसी निदेशलय; और डॉ० वी.के. खण्डेलवाल, संयुक्त निदेशक, एस.टी.क्यू.सी निदेशालय के 5 सदस्यीय प्रतिनिधमण्डल ने भाग लिया।

इस प्रतिनिधिमण्डल ने प्रमाणन प्रबन्ध समिति (सीएमसी); निरीक्षण समन्वय समिति (आईसीसी), पद्धति विकास कार्यकारिता समूह (डब्ल्यू०जी.11) और राष्ट्रीय प्रर्यवेक्षी निरीक्षणालय (एनएसआईएम) की बैठकों में भाग लिया। बैठकों के दौरान कार्यकारिता अपेक्षाओं और सुरक्षा अपेक्षाओं के दुहरे प्रमाणन से बचने के लिए संघटकों की विशिष्टि में सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएँ शामिल करने पर विचार किया गया। भारत से सुरक्षा अपेक्षाओं को शामिल करने के लिए तैयार करने का अनुरोध किया गया।

इलैक्ट्रॉनी संघटकों के लिए आईईसी गुणता मूल्यांकन पद्धति (आईईसीक्यू)

आईईसीक्यू, जो इलैक्ट्रॉनी संघटकों के लिए एक प्रमाणन पद्धति है, भारत में सन 1989 से लागू है। भारत में इस पद्धति के प्रचालन के लिए भामा ब्यूरो को राष्ट्रीय प्राधिकृत संस्था (एनएआई) के रूप में नामित किया गया है। इस रूप में यह प्रबंध एवं राष्ट्रीय मानक संगठन (एनएसओ) की भूमिका निभाता है। भामा ब्यूरो का इलैक्ट्रॉनी एवं विद्युत तकनीकी विभाग एनएआई और एनएसओ के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

इस पद्धति के अन्तर्गत पद्धति की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाले निर्माताओं, परीक्षण प्रयोगशालाओं और वितरकों को अनुमोदन प्रदान किया जाता है। उत्पाद प्रमाणन के साथ गुणता पद्धति प्रमाणन को सम्मिलत करने वाली पद्धति आईईसीक्यू एक अनुपम पद्धति है। भारत, आईईसीक्यू समितियों, प्रमाणन प्रबन्ध समिति (सीएमसी) और निरीक्षालय समन्वय समिति (आईसीसी) का सक्रिय सदस्य है और इनकी बैठकों में नियमित रूप से भाग लेता है। भारत ने 1989 में अपने आरम्भ के समय से ही भारत ने सतत् प्रगति की है तथा अनेक संगठनों को अनुमोदन प्रदान किया है। 31 मार्च 1995 तक प्रदान किए गए अनुमोदनों की वर्तमान स्थिति सूची इस प्रकार है :

निर्माताओं का अनुमोदन	24
स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशालाओं का अनुमोदन	4
वितरकों का अनुमोदन	1

भारत में इस पद्धति के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन ने भारत के इलैक्ट्रॉनी संघटक निर्माताओं को अन्तर्राष्ट्रीय निर्माताओं की श्रेणी में ला दिया है।

आईईसीईई - सीबी स्कीम

विद्युत उपकरणों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने में भारतीय उद्योगों की सहायता करने और निर्माताओं तथा अन्य उपयोगकर्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आईईसी) द्वारा मानकों के प्रति अनुरूपता के मूल्यांकन की अन्तर्राष्ट्रीय योजना चलाई जा रही है। राष्ट्रीय मानक संस्था के रूप में भामा ब्यूरो को भारत में राष्ट्रीय प्रमाणन कार्य संस्था (एनसीबी) के रूप में मान्यता प्रदान की गई है तथा इसे विद्युत उपकरणें की सुरक्षा से संबंधित अनुरूपता परीक्षण मानकों के लिए आईईसी सिस्टम (आईईसीईई) जिसे सीबी स्कीम के रूप में भी जाना जाता है का प्रचालन करने का प्राधिकार दिया गया है।

The 58th IEC General Meetings along with the meetings of a few technical committees and Subcommittees were held during 12-16 September 1994 at Nice, France. The meetings were attended by Shri N.S. Choudhary, Director General, BIS.

A four-member delegation consisting of Shri J.S. Raju, DG, STQC Directorate; Shri Harcharan Singh, Director (Electronics & Telecommunication), BIS; Shri Chandrasekhar, Addl. Director, STQC Directorate; and Dr V. K. Khandelwal, Joint Director, STQC Directorate, attended various IECQ meetings held in Geneva during 16 to 20 May 1994.

The delegation attended the meetings of Certification Management Committee (CMC); Inspectorate Coordination Committee (ICC); System Growth Working Group (WG 11) and National Supervising Inspectorate Meeting (NSIM). During the meeting, incorporation of safety requirements in the components specification to avoid double certification for performance requirements and safety requirements was discussed. India was requested to prepare modalities for inclusion of safety requirements.

IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ)

IECQ, an international Certification System, for electronic components has been in force in India since 1989. For operation of the system in India, BIS has been designated as National Authorized Institution (NAI) with the key role of management and National Standards Organization (NSO) the role of standards formulation. Electronics and Telecommunications Department of BIS acts as the Secretariat of NAI and NSO. Under the system, approvals are granted to manufacturers, test laboratories and distributors who conform to the requirements of the system. IECQ is a unique system encompassing both Product Certification as well as Quality System Certification. India is an active member of IECQ Committees: Certification Management Committee (CMC) and Inspectorate Coordination Committee (ICC) and regularly participates in their meetings. Since its inception in India in 1989, India has made a steady progress and number of organizations have been granted approvals. The present position of approvals as on 31 March 1995 is as follows :

Manufacturers Approvals	24
Independent Test Labs Approvals	4
Distributors Approvals	1

The successful implementation of the system in India has placed Indian electronics components manufacturers at par with the manufacturers in the International market.

IECEE-CB Scheme

To help the Indian industry in increasing international trade in electrical equipment and to provide convenience for manufacturers and other users, an international scheme for conformity assessment to standards is being operated by the International Electrotechnical Commission (IEC). BIS, as a National Standards Body, has been recognized as National Certifying Body (NCB) in India and has been accorded the authority to operate IEC system for conformity testing standards for safety of electrical equipment (IECEE) also known as CB scheme.

आईईसीईई – सीबी स्कीम के प्रचालन के लिए आईईसी के प्रकाशनों को लागू मानक माना जाता है।

एनसीबी, सीबी स्कीम को चलनो वाली ईकाईयाँ है। आईईसीईई अपने नियमों के अनुसार इन्हें मान्यता प्रदान करती है। एनसीबी देश की परीक्षण प्रयोगशालाओं जिन्हें नियमों के अनुसार मान्यता प्रदान की जाती है, और जो सीबी परीक्षण प्रयोगशालाओं के रूप में जानी जाती है, का उपयोग करती है।

भारत में सीबी स्कीम के प्रचालन के लिए बंगलौर और भोपाल स्थित केन्द्रीय पावर अनुसंधान प्रयोगशाला तथा विद्युत अनुसंधान एवं विकास संघ, बड़ोदरा का सीबी परीक्षण प्रयोगशालाओं के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया है। 1994-95 के दौरान आईईसीईई ने 3 अन्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को ईआरटीएल (पूर्व), ईआरटीएल (पश्चिम) और ईआरटीएल (उत्तर) को निम्नलिखित क्षेत्रों में सीबी परीक्षण प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता प्रदान की है:

- संधारित्र
- उपकरणों के लिए स्विच और बिजली के घरेलू उपकरणों के स्वचालित नियंत्रण
- सूचना प्रौद्योगिकी तथा कार्यालय संबंधी उपकरण
- संस्थापन संरक्षी उपकरण
- इलैक्ट्रॉनी मनोरंजन

उपयुर्क्त अवधि के दौरान केबल और डोरियों के क्षेत्र में मैसर्ज फिनोलेक्स केबल लिमिटेड, पुणे को सीबी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

आईएसओ/आईईसी तकनीकी समितियां/उपसमितियां

भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने आईएसओ और आईईसी की तकनीकी समितियों/उपसमितियों की चुनिंदा बैठकों में भाग लिया, इनके बारे में विवरण सारणी 16(1) में दिया गया है।

भारत – ईईसी (इयू) सहयोग कार्यक्रम

भारत–ईईसी सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना प्रस्ताव के सिलसिले में स्वचल संघटक, संसाधित्र खाद्य सामग्रियों एवं बिजली के घरेलू साधित्रों से संबंधित भारतीय प्रयोगशालाओं के उन्नयन और आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंग के रूप में वर्ष के दौरान भामा ब्यूरो के 30 कार्मिक प्रशिक्षित किए गए।

भारत ईईसी(ईयू) सहयोग कार्यक्रम के परामर्शदाता ने आधुनिकीकरण और उन्नयन कार्यक्रम में सम्मिलित विभिन्न प्रयोगशालाओं का मार्च 1995 में दौरा किया तथा इन प्रयोगशालाओं और भामा ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की प्रगति के बारे में चर्चा की।

द्विपक्षीय सहयोग

चीन, जापान, कोरिया

भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के रूप में भामा ब्यूरो के महानिदेशक ने 20 से 21 जून 94 के दौरान स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्नीकल सुपरवीजन (एसबीटीएस), बिजिंग, चीन का दौरा किया। उन्होंने 23 से 24 जून 1994 तक टोकियो, जापान में राष्ट्रीय स्तर के मानकीकरण, गुणता आश्वासन और प्रमाणन पद्धति से संबंधित कई महत्वपूर्ण/अग्रणी संगठनों और 27 से 28 जून 1994 के दौरान कोरिया गणतन्त्र की राष्ट्रीय मानक निकायों खाद्य, इलैक्ट्रॉनी, रासायनिक सामग्रियों का परीक्षण करने वाले अग्रणी परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा स्टैण्डर्डस

The applicable standards for the operation of the IECEE-CB scheme are IEC Publications.

The operating units of the CB scheme are the NCBs which are accepted by IECEE according to its rules. The NCBs utilize the testing laboratories within the country which are also accepted according to the rules and are known as CB test laboratories.

For operation of CB scheme in India the use of Central Power Research Laboratory at Bangalore and Bhopal, Electrical Research and Development Association, Vadodara as CB testing Laboratory had been approved. During 1994-95, three more testing laboratories ERTL (East), ERTL (West) and ERTL (North) have been given recognition by IECEE in the following areas as CB testing laboratory.

- Capacitors
- Switches for appliances and automatic controls for household electrical appliances
- Information Technology and office equipment
- Installation protective equipment
- Electronic entertainment

During the above period CB certificate was granted to M/s Finolex Cable Ltd, Pune in the area of cable and cords.

ISO /IEC TECHNICAL COMMITTEES/ SUBCOMMITTEES

Indian delegations participated in selected ISO and IEC technical committees/subcommittee meetings. Details of these are given in Table 16.1.

INDO-EEC (EU) COOPERATION PROGRAMME

In continuation of the project proposals under the Indo-EEC(EU) Cooperation Programme, thirty BIS personnel were trained during the year as a part of the programme for upgradation and modernization of Indian laboratories in automotive components, processed food products and domestic electrical appliances sectors.

The Consultant, Indo-EEC(EU) Cooperation Programme, also visited the various laboratories involved in the modernization and upgradation programme in March 1995, and held discussions over the progress of the programme with the senior executives of these laboratories and BIS officials.

BILATERAL COOPERATION

China, Japan, Korea

Indian delegation comprising Director General, BIS visited the State Bureau of Technical Supervision (SBTS), Beijing, China during 20-21 June 1994. He also visited several important/leading organizations dealing with national level standardization, quality assurance and accreditation system in Tokyo, Japan during 23-24 June 1994; and National Standards Bodies and leading testing laboratories dealing with the testing of food, electronic, chemical items and the standards association of the Republic of Korea during 27-28

एसोसिएशनों का दौरा भी किया। इन संगठनों में उन्होंने पारस्परिक हित के मामलों में आयोजित बैठकों में भाग लिया और उपयुर्क्त मामले पर चर्चा की।

समझौता ज्ञापन (एमओयू)

रूस

जून 1994 में रूस संघ की मानकीकरण, माप विज्ञान और प्रमाणन के क्षेत्र में स्टेट कमेटी ऑफ स्टैण्डर्डाइजेशन, मेट्रोलोजी एंड सर्टिफिकेशन (गोस्टान्डार्ट) के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इजराइल

स्टैण्ड्र्डस इंस्टीट्यूशन ऑफ इजरायल (एसआईआई) के महानिदेशक, श्री ई. हैदर के साथ दिसम्बर 1994 में उनकी दिल्ली यात्रा के दौरान परीक्षण रिपोर्टों और कारखाने की निरीक्षण रिपोर्टों को परस्पर मान्यता देने के लिए द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार का उद्देश्य परीक्षण और निरीक्षणों की दुहरी प्रक्रिया को टालना और इस प्रकार भारत और इजराइल के बीच व्यापार को सुविधाजनक व सरल बनाना था।

मौरीशस

मानकीकरण और इससे संबंधित मामलों के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए भामा ब्यूरो ने मौरीशस स्टैण्डर्डस ब्यूरो (एमएसबी) के साथ फरवरी 1995 में समझौता किया। इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन पर कार्रवाई की जा रही है।

क्यूबा

भामा ब्यूरो ने मानकीकरण और इससे संबंधित मामलों के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए स्टेट कमेटी फॉर स्टैण्डर्डाइजेशन ऑफ रिपब्लिक क्यूबा (नया नाम ऑफिसाना, नेशनल डी. नोर्मलाइजेशन) के साथ समझौता फरवरी 95 में किया। इस समझौते ज्ञापन के कार्यान्वयन पर कार्रवाई की जा रही है।

भामा ब्यूरो ने अब तक कमेटी ऑफ दी रशियन फैडरेशन फॉर स्टैण्डर्डाइजेशन, मैटरोलॉजी एण्ड सर्टिफिकेशन (गोस्ट – आर), कमेटी एस्टाटेल डी नोरमलाइजेशन [(एनसी) (क्यूबा)], ड्यूटसे इंस्टीट्यूट फॉर नॉरमंग, जर्मनी (डीआईएन), तुर्क स्टैण्डर्डलारी, इंस्टीटीट्यूट, टर्की (टीएसई), चाईना स्टेट ब्यूरो ऑफ टैक्नीकल सुपरवीजन (सीएसबीटीएस), स्टैण्डर्डस इंस्टीट्यूशन ऑफ ईजराइल (एसआईआई), मौरीशस स्टैण्डर्डर्स ब्यूरो (एमएसबी), के साथ समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और ब्रिटिश स्टैण्डर्डर्स इंस्टीटयूशन (बीएसआई–क्यूए) के साथ संकल्प किया।

समझौते ज्ञापन के अन्तर्गत प्रमाणन

अण्डराइटर्स लेबोरेटरी (यूएल) ऑफ यूएसए और कनाडियन स्टैण्डर्डर्स एसोसियेशन (सी.एस.ए) ऑफ कनाड़ा, के साथ हुए समझौतों के अन्तर्गत भामा ब्यूरो भारत में उनकी प्रमाणन सेवाओं के प्रचालन के लिए एक एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहा है। यूएल सर्टीफिकेशन योजना के अन्तर्गत 154 उत्पादों के लिए 112 निर्माताओं को सूचीबद्ध किया गया है तथा सीएसए योजना के अन्तर्गत 15 निर्माताओं को सूचीबद्ध किया गया है। इन योजनओं के अन्तर्गत सम्मिलित उत्पादों में स्वचल फुहारक, सेफ और चेस्ट, अंतरदहन ज्वलन इंजन, प्रेशर कुकर, कमर्शियल ऑडियो और रेडियो उपकरण एवं सहायकांग, औद्योगिक लैमिनेट, वायरिंग के लिए मुद्रित संघटक, आदि शामिल हैं।

एक–दूसरे की उत्पाद और गुणता पद्धति प्रमाणन योजनाएँ चलाने के लिए समझौता ज्ञापन करने की दृष्टि से भामा ब्यूरो और एसएबीएस के मध्य पारस्परिक सहयोग समझौते के प्रारूप, निबन्धों एवं शर्तों के रूप में एसएबीएस और भामा ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों ने विस्तृत रूप से चर्चा की।

June 1994. He held discussions and attended meetings on matters of mutual interest at these organizations.

Memorandum of Understanding (MOU)

Russia

A Memorandum of Understanding (MOU) on Science & Technology Cooperation in the field of standardization, metrology and certification was signed with the State Committee of Standardization, Metrology and Certification (GOSSTANDART) of Russian Federation in June 1994.

Israel

A bilateral cooperation agreement for mutual recognition of test reports and factory inspection reports was signed with the Standards Institution of Israel (SII) in December 1994 in New Delhi during the visit of Mr E. Hadar, DG, SII to India. This agreement aimed at avoiding duplication of test and inspections and thereby facilitating trade between India and Israel.

Mauritius

BIS signed agreement with the Mauritius Standards Bureau (MSB) in February 1995 to facilitate technical cooperation in the field of standardization and related matters. The implementation of the MOU is under progress.

Cuba

BIS signed agreement with State Committee for Standardization of the Republic of Cuba (renamed as Oficina Nacional de Normalizacion) in February 1995 to facilitate technical cooperation in the field of standardization and related matters. The implementation of the MOU is under progress.

BIS has so far signed MOUs with Committee of the Russian Federation for Standardization, Metrology and Certification (GOST-R), Comite Estatal de Normalizacion [NC (Cuba)], Deutsches Institut fur Normung, Germany (DIN), Turk Standardlari Enstitusu Turkey (TSE), China State Bureau of Technical Supervision (CSBTS), , Standards Institution of Israel (SII), Mauritius Standards Bureau (MSB), and British Standards Institution (BSI-QA) (MOU of intent).

Certification Under MOUs

Under an agreement with Underwriters' Laboratories (UL) of USA and Canadian Standards Association (CSA) of Canada, BIS is acting as an agent for operation of their certification services in India. 112 manufacturers have been listed under the UL Certification Scheme covering 154 products whereas 15 manufacturers are covered under CSA Scheme. The products covered include automatic sprinklers; safes and chest; internal combustion engines; pressure cookers; commercial audio and radio equipment system and accessories; industrial laminates, printed wiring components, etc.Senior officials of SABS and BIS had detailed discussions regarding nature, terms and conditions of agreement for mutual cooperation between BIS and SABS with a view to sign MOU for operation of each other's Product and Quality Systems Certification Schemes.

विदेशी आगन्तुक

वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रमुख व्यक्ति भामा ब्यूरो में आये :

I. श्री ई हैदर, महानिदेशक, स्टैण्डर्ड्स इन्सटीट्यूट ऑफ इजराइल

II. श्री ए. एम. रेबर्न, महासचिव : आईईसी

III डॉ० पीटर, एल.एम. हदेमान, निदेशक टेक्नोलॉजी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इन्सटीट्यूट ऑफ स्टैण्डर्डस एंड टेक्नालॉजी (एनआईएसटी), यूएसऐ एवं श्री जॉन डोनेडसन, चीफ स्टैंडर्डस कोड एंड इन्फोरमेशन प्रोग्राम ऑफ दी ऑफिस ऑफ दी स्टैंडर्डस सर्विस ऑफ एनआईएसटी;

IV श्री जी.वी. कोझलोव, माननीय उप मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति मंत्रालय, रूसी संघ की अध्यक्षता में चार सदस्यीय रूसी शिष्टमंडल

V श्री ए. डब्ल्यू. जे. चन्द्रसेन, सांख्यिकी अधिकारी, श्रीलंका स्टैंडर्डस इन्स्टीट्यूशन;

VI डॉ० जे.डी. हेनसल, कैम्डेन फूड ड्रिंक रिसर्च एसोसिएशन, यू.के;

VII श्री मोहम्मद तैय्यूब अली सरकार, संपादक एवं जनसम्पर्क अधिकारी, बंगलादेश स्टैंडर्डस इंस्टीट्यूशन एवं श्री ऐ. एफ. एम. शम्सुल आबेदीन, उप निदेशक;

VIII प्रो. एच. रेहलन, निदेशक, डीआईएन;

IX श्री जॉन वोल, सचिव, आईएसओ/टीसी 207 "पर्यावरणीय प्रबंध",

X श्री ई. कैपरीस, परामर्शी, ईईसी (इयू) – भारत सहयोग कार्यक्रम; तथा

XI श्री बी.ए. (बेन) जैनसन, प्रबन्धक, नेशनल इलेक्ट्रिकल टैस्ट फेसिलिटी (एनईटीएफए), डिवीजन ऑफ साउथ अफ्रीकन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्डस।

OVERSEAS VISITORS

The following eminent persons from abroad visited BIS during the year:

I Mr E. Hadar, Director General of Standard Institution of Israel;

II Mr A.M. Raeburn, General Secretary: IEC

III Dr Peter L. M. Heydemann, Director, Technology Services Organization,National Institute of Standards and Technology (NIST), USA and Mr John Donaidson, Chief Standards Code and Information Programme of the Office of the Standards Service of NIST;

IV Four member Russian Delegation headed by Prof G.V. Kozlov, Hon'ble Deputy Minister, Ministry of Science and Technology Policy, Russian Federation;

V Mr A.W.J. Chandrasena, Statistical Officer, Sri Lanka Standards Institution;

VI Dr J.D. Henshall of Campden Food and Drink Research Association, U.K.;

VII Mr Mohammad Taiyub Ali Sarkar, Editor and PRO, Bangladesh Standards Institution and Mr A.F.M. Shamsul Abedin, Dy Director;

VIII Prof. H. Reihlen, Director, DIN;

IX Mr John Woll, Secretary, ISO/TC 207 'Environmental Management';

X Mr E. Caparis, Consultant, EEC(EU) Indian Cooperation Programme; and

XI Mr B.A. (Ben) Jansen, Manager, National Electrical Test Facility (NETFA), Division of South African Bureau of Standards

मानव संसाधन विकास 17 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

भामा ब्यूरो में 31 मार्च 1995 को कुल 2216 व्यक्ति नियोजित थे। वर्ष के दौरान ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों में नियोजित व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार थी :

गतिविधि	31 मार्च 1995 को नियोजित कार्मिक
कार्पोरेट	39
मानक निर्धारण	321
प्रमाणन	1119
प्रयोगशालाएँ	174
तकनीकी सहायी सेवा	242
प्रशासन एवं वित्त	321
योग	2216

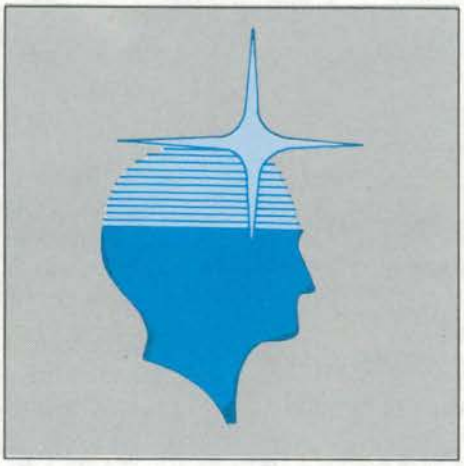

As on 31 March 1995, a total of 2 216 persons were employed in BIS. The manpower deployment in the various activities of the Bureau during the year is given below:

Activity	Deployment of Personnel as on 31 March 1995
Corporate	39
Standards Formulation	321
Certification	1 119
Laboratories	174
Technical Support Services	242
Administration & Finance	321
Total	*2 216*

अनुसूचित जाति/जन जाति का प्रतिनिधित्व

समूह	31 मार्च 1995 को नियोजित अनुसूचित जाति/जन जाति के अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	31 मार्च 1994 को नियोजित अनुसूचित जाति/जन जाति के अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या
क	63	62
ख	25	25
ग	168	154
घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	130	120
सफाई कर्मचारी	41	44
	427	405

मानव शक्ति को युक्तिसंगत बनाने और उसका नियोजन अनुकूलतम रूप से करने के लिए अनुप्रयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान संस्था से कार्य–अध्ययन कराया गया है। 31 मार्च 1995 को यह कार्य प्रगति पर था और इसकी रिपोर्ट आनी शीघ्र संभावित थी।

SC/ST Representation

Group	No. of SC/STs as on 31 March 1995	No. of SC/STs as on 31 March 1994
A	63	62
B	25	25
C	168	154
D (Excluding Safai Karamchari)	130	120
Safai Karamchari	41	44
	427	405

In order to rationalize and optimize deployment of manpower, work study was got conducted from Institute of Applied Manpower Research. As on 31 March 1995, the work was still in progress and the report is expected shortly.

स्टाफ कल्याण

भामा ब्यूरो द्वारा अपनाए गए कल्याणकारी कार्य वर्ष के दौरान भी जारी रहे। कर्मचारियों के अमोद के लिए होलीडे होम उपलब्ध कराए गए। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध कल्याण सुविधाएँ, यथासमूह बीमा योजना, ब्यूरो के कर्मचारियों को भी उपलब्ध कराई गयी। वर्ष के दौरान चण्डीगढ़ और अहमदाबाद में क्रमशः 10 और 12 फ्लैट खरीदकर इन स्थानों पर तैनात तथा स्थानान्तरित होने वाले अधिकारियों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराई गई। भोपाल में 12 फ्लैट खरीदने पर भी कार्रवाई की गई।

STAFF WELFARE

Welfare measures adopted by BIS for its employees were continued. Holiday Homes for recreation of the employees were made available. Welfare measures applicable to Central Government employees were also made available to BIS employees such as Group Insurance Scheme. During the year, the facility of Staff Housing was extended to transferable officers placed at Chandigarh and Ahmedabad by acquiring 10 and 12 flats respectively. Steps were also initiated to acquire 12 flats at Bhopal.

संस्थागत प्रशिक्षण

भामा ब्यूरो अपने कार्मिकों को संस्थागत प्रशिक्षण देने पर बहुत बल देता है। 1994-95 के दौरान 33 संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विभिन्न स्तरों के 626 कार्मिकों को 2651 मानवदिवसों का प्रशिक्षण दिया गया। इन

IN-HOUSE TRAINING

BIS lays lot of emphasis on in-house training programmes for its personnel. During 1994-95, 33 in-house training programmes were organized for 626 personnel involving 2 651 man-days of training, drawn from all levels of employees. Some of the

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जिन कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिए गए, उनमें पीसी, परिक्षण उपकरणों का अंशाकन, सूक्ष्म जैव–वैज्ञानिक परीक्षण, हिन्दी का प्रयोग इत्यादि सम्मिलित थे।

बाहर की एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षण

भामा ब्यूरो के अधिकारियों और कर्मचारियों को संस्था के अन्दर ही प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त बाहर की एजेंसियों द्वारा विभिन्न विशेषज्ञीकृत कार्यक्रमों में ब्यूरों के अधिकारियों और कर्मचारियों को नामित करके इन एजेंसियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाना भी जारी रखा गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जिन कुछ महत्त्पूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया, उनमें प्रबन्धकीय प्रभावकारिता, लीड एसेसर कोर्स, आदि शामिल थे। यह गतिविधि ब्यूरो के लिए काफी लाभदायक रही। वर्ष के दौरान 61 विभिन्न कार्यक्रमों में 129 अधिकारियों को 530 मानवदिवसों का प्रशिक्षण प्रदान कराया गया। आने वाले वर्षों में इस गतिविधि में और अधिक तेजी आने की संभावना है।

विदेशों में प्रशिक्षण

गहरे कुओं के हथबरमों की गुणता से संबंधित 8 अधिकारियों को यूनीसेफ की परियोजना के अन्तर्गत गुणता पद्धति के लिए लीड एसेसर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। भारत ईईसी (ईयू) सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष के दौरान स्वचल संघटक संसाधित खाद्य सामग्री और बिजली के घरेलू उपकरणों के क्षेत्रों में भारतीय प्रयोगशालाओं के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए ब्यूरो के 30 कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

सुझाव योजना

भामा ब्यूरो के कर्मचारियों को इसकी गतिविधियों में घनिष्ठ रूप से शामिल करने और उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए ब्यूरो एक सुझाव योजना चला रहा है। इस योजना के अन्तर्गत अच्छे सुझावों को मान्यता प्रदान करने के लिए पुरस्कार दिए गए। इंडियन नैशनल सजेशन स्कीमस एशोसिएशन (इन्सान), बम्बई द्वारा आयोजित भारतीय नारा प्रतियोगता में ब्यूरो द्वारा भेजी गई 6 प्रविष्टियों, जिनमें से 3 हिन्दी और 3 अंग्रेजी में थीं, में से एक प्रविष्टि को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। भामा ब्यूरो ने जमशेदपुर में आयोजित इंडियन नैशनल सजेशन स्कीम्स एशोसिएशन के 5 वें सम्मेलन में भी भाग लिया।

more important areas covered in these programmes were use of personal computers, calibration of test equipment, microbiological testing and use of Hindi.

TRAINING BY OUTSIDE AGENCIES

Besides the in-house training programmes for officers and staff of the BIS, advantage is continuously being taken of the various training programmes organized by different outside agencies by deputing officers and staff of BIS in these specialized programmes. Some of the important areas covered in these programmes were managerial effectiveness and Lead Assessor course. This activity continued to be of great relevance to the work of the Bureau as could be evidenced from the figure of 129 officers deputed to attend 61 different programmes covering 530 man-days. This activity is likely to pick up further in the coming years.

OVERSEAS TRAINING

Eight officers were imparted training for Lead Assessor for Quality System under the UNICEF Project for Quality of Deepwell Hand Pump. Under the Indo-EEC(EU) Cooperation Programme, 30 BIS personnel were trained during the year for upgradation and modernization of Indian laboratories in sectors of automotive components, processed food products and domestic electrical appliances.

SUGGESTION SCHEME

BIS is operating a Suggesstion Scheme with a view to foster close involvement and participation of all BIS employees in its activities and also to draw upon their experience of actual working. Awards were given as token of recognition of good suggestions received. In an All India Slogan Contest organized by the Indian National Suggesstion Schemes Association (INSAAN), Bombay, of the six entries sent by BIS (three each in Hindi and in English) one entry in Hindi got the First Prize. BIS also participated in the Fifth National Convention of Indian National Suggesstion Schemes Association at Jamshedpur.

वित्त, ऑडिट और लेखा 18 FINANCE, AUDIT AND ACCOUNTS

ब्यूरो लगातार छठे वर्ष भी अपने गैर योजना व्यय को वहन करने के लिए आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा।

राजस्व (गैर-योजना)

वर्ष 1994-95 के दौरान कुल आय 3819 लाख रूपये रही, जबकि वर्ष 1993-94 में यह 3334 लाख रूपये थी। इस प्रकार इस वर्ष आय में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस आय में सबसे अधिक योगदान प्रमाणन शुल्क का रहा, यह शुल्क वर्ष 1993-94 के 2970 लाख रूपये की तुलना में इस वर्ष 3231 लाख रूपये था (देखें आकृति 18.1)। इस वर्ष 2689 लाख रूपये खर्च हुए, जबकि 1993-94 के दौरान खर्च 2421 लाख रूपये था। इस प्रकार इस वर्ष खर्च में 11 प्रतिशत की वृद्धि देखने में आई। कुल परिचालन अधिशेष बढ़कर 1130 लाख रूपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 912 लाख थी। विश्व बैंक ग्रहण प्रतिदान निधि खाते में 35 लाख रूपये के विनियोजन के बाद निवल अधिशेष 1095 लाख रूपये रहा।

पूँजी (योजनागत)

सरकार ने 1994-95 के दौरान (पिछले वर्ष के बिना खर्च किए 60.8 लाख रूपये के अतिरिक्त) 230 लाख रूपये योजना अनुदान के रूप में दिए। योजनागत परियोजना भुगतान (अग्रिम सहित) 253 लाख रूपये का किया गया।

विश्व बैंक परियोजनाएँ

31 मार्च 1995 तक प्राप्त कुल ऋण 290 लाख रूपये था। 1994-95 के दौरान 39 लाख रूपये की राशि राजस्व संबंधी मदों और 27 लाख रूपये की राशि पूँजीगत मदों पर खर्च की गई।

विश्व बैंक ऋण से हुआ संचयी व्यय 31 मार्च 1995 तक 189 लाख रूपये (51 लाख रूपये के अग्रिम को छोड़कर) रहा। 189 लाख रूपयों में राजस्व संबंधी मदो पर 118 लाख रूपये तथा पूँजीगत मदो पर 71 लाख रूपये खर्च किए गए।

ग्रहण

वर्ष के दौरान ब्यूरो ने अपने स्वयं के संसाधनों में से कर्मचारियों को 43 लाख रूपये वाहन ऋण के रूप में दिए। वर्ष के दौरान इस सुविधा का लाभ 120 कर्मचारियों ने उठाया। गृह निर्माण ऋण (ब्याज से छूट) योजना के अन्तर्गत दी जा रही सुविधा का लाभ, वर्ष के दौरान 31 कर्मचारियों ने लिया। इस योजना के आरम्भ होने से लेकर अब तक 221 कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा चुके हैं।

आकृति 18.1 आय (मिलियन रूपयों में)

Fig. 18.1 Income (Million Rupees)

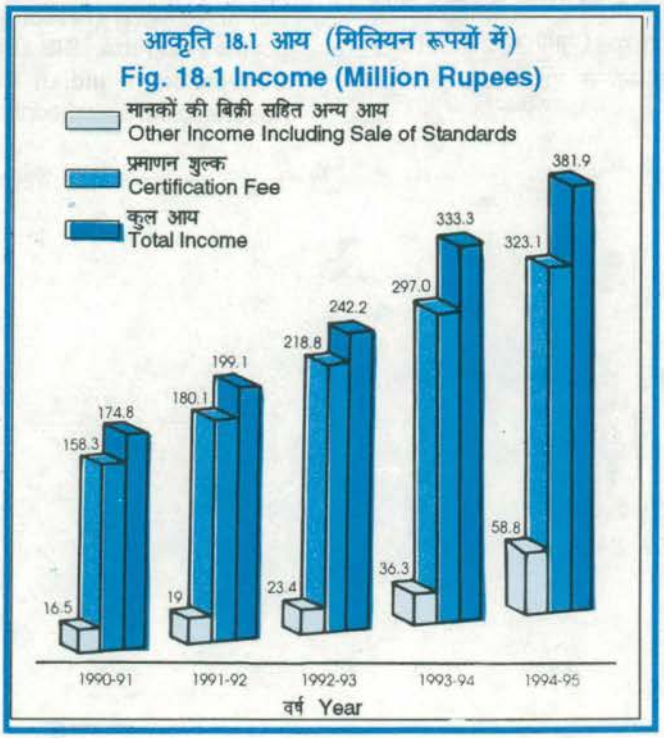

For the sixth consecutive year, BIS achieved the goal of self reliance in meeting its non-plan expenditure without any budgetary support from the Government of India.

REVENUE (NON-PLAN)

Income has risen to Rs 381.9 million during 1994-95 from Rs. 333.4 million in 1993-94, resulting a growth of 15 percent. The largest contribution to the income was certification marking fee which stood at Rs 323.1 million against Rs 297.0 million in 1993-94 *(see Fig 18.1)*. Expenditure during the year has risen to Rs 268.9 million from Rs 242.1 million during 1993-94 depicting an increase of 11 percent. The operative surplus has increased to Rs 113.0 million compared to the corresponding figure of the previous year of Rs 91.2 million. After appropriating Rs 3.5 million towards World Bank Loan Redumption Fund Account, net surplus stood at Rs 109.5 million.

CAPITAL (PLAN)

The Government released Rs 23.0 million as plan grant during 1994-95 (in addition to unspent balance of Rs 6.08 million from the previous year). Plan projects payments (including advances) stood at Rs 25.3 million.

WORLD BANK PROJECTS

The total loan received up to 31 March 1995 stood at Rs 29.0 million. During 1994-95 a sum of Rs 3.9 million was spent on revenue items and Rs 2.7 million on capital items. Cumulative expenditure up to 31 March 1995 out of World Bank Loan stood at Rs 18.9 million (excluding advances of Rs 5.1 million). Out of Rs 18.9 million. expenditure on revenue items stood at Rs 11.8 million and capital items stood at Rs 7.1 million.

LOAN

Conveyance loan of Rs 4.3 million was provided to employees out of Bureau's own resources during the year. This facility was availed of by 120 employees. Facility under the House Building Loan (Interest Subsidy) Scheme was availed of by 31 employees during the year. Since the introduction of this scheme, 221 employees availed of this facility

31 मार्च 1995 का पक्का चिट्ठा
BALANCE SHEET AS ON 31 MARCH 1995

			अनुसूची SCHEDULE	चालू वर्ष CURRENT YEAR 1994-95	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 1993-94
1.	**निधि के स्रोत SOURCES OF FUNDS**				
1.1	पूंजी निधि	Capital Fund	एन N	384 610 357	265 930 330
1.2	रिजर्व और निधियाँ	Reserves & Funds	ओ O	248 615 641	214 011 760
1.3	ऋण	Loans	पी P	29 275 000	16 250 000
	योग TOTAL			**662 500 998**	**496 192 090**
2.	**निधियों का उपयोग APPLICATION OF FUNDS**				
2.1	अचल परिसम्पत्ति	Fixed Assets	क्यू Q	102 195 536	100 684 087
2.2	निवेश	Investments	आर R	438 644 306	316 304 600
3.	**कार्यकारी पूंजी WORKING CAPITAL**				
3.1	चल परिसम्पत्ति, ऋण और अग्रिम	Current Assets, Loans & Advances	एस S	142 054 147	98 974 431
3.2	नामे : चालू देयता	Less:Current Liabilites	टी T	20 392 991	19 771 028
				121 661 156	79 203 403
	योग TOTAL			**662 500 998**	**496 192 090**

टिप्पणी : NOTES:

1) अनुसूची ए से टी तक लेखे का भाग हैं।
2) भारतीय मानकों के क्लोजिंग स्टाक का मूल्य नहीं आंका गया है और लेखे में शामिल नहीं किया गया है।

1) Schedules A to T form part of Accounts
2) The closing stock of Indian Standards has not been valued and included in the accounts.

हस्ता./- Sd/-	हस्ता./- Sd/-	हस्ता./- Sd/-
(नरेन्द्र सिंह चौधरी) (N.S. CHOUDHARY)	(अरूणा भाटिया) (ARUNA BHATIA)	(एस.के. दत्ता) (S.K. DUTTA)
महानिदेशक, भा.मा.ब्यूरो DIRECTOR GENERAL, BIS	उपमहानिदेशक, वित्त, भा.मा.ब्यूरो DY DIRECTOR GENERAL FINANCE, BIS	निदेशक, (वित्त), भा.मा.ब्यूरो DIRECTOR (FINANCE), BIS

31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय लेखा
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 1995

आय INCOME

	अनुसूची SCHEDULE	चालू वर्ष CURRENT YEAR 1994-95	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 1993-94
1. प्रमाणन शुल्क Certification Fees		323 140 400	297 049 885
2. मानकों की बिक्री Sale of Standards	ए A	28 145 529	244 323 45
3. अन्य आय Other Income	बी B	30 577 996	118 774 14
4. सरकारी अनुदान Govt. Grant		—	—
योग TOTAL		**381 863 925**	**333 359 644**

व्यय EXPENDITURE

1. वेतन और भत्ते Pay and Allowances	सी C	141 481 825	132 143 554
2. सेवा निवृत्ति लाभ Retirement Benefits	डी D	10 153 058	9 887 505
3. अन्य स्टाफ लाभ Other Staff Benefits	ई E	10 826 641	8 756 279
4. यात्रा व्यय Travelling Expenses	एफ F	11 081 440	9 599 515
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को चंदे Subscription to International Organizations	जी G	12 990 558	10 136 047
6. उत्पादन Production	एच H	4 899 215	6 033 983
7. परीक्षण Testing	आई I	19 781 193	15 981 508
8. प्रचार Publicity	जे J	2 488 274	1 369 471
9. कार्यालय व्यय Office Expenses	के K	23 605 205	22 213 092
10. मरम्मत व रखरखाव Repairs & Maintenance	एल L	9 011 107	6 162 514
11. अन्य व्यय Other Expenses	एम M	5 885 370	5 847 329
12. विश्व बैंक परियोजना राजस्व व्यय World Bank Project Revenue Expenses	एम 1 M1	3 851 545	2 152 396
13. मूल्यह्रास Depreciation	क्यू Q	12 829 218	11 831 289
योग TOTAL		**268 884 649**	**242 114 482**
अधिशेष/(घाटा) Surplus/(Deficit)		112 979 276	91 245 162

विनियोजन APPROPRIATIONS

निम्न को अंतरण : Transfer to:		
क) विश्व बैंक ऋण प्रतिदान निधि A. World Bank Loan Redemption Fund	3 474 500	5 000 000
ख) पूँजीगत निधि B. Capital Fund	109 504 776	86 245 162
योग TOTAL	**112 979 276**	**912 451 62**

अनुसूची ए – मानकों की बिक्री SCHEDULE A – SALE OF STANDARDS

	चालू वर्ष CURRENT YEAR 1994-95	पिछला वर्ष PREV. YEAR 1993-94
1. भारतीय मानक Indian Standards	25 665 672	23433 855
2. परिकलन सहायकांग और बाइंडर Calculation Aids and Binders	31 590	31 045
3. विदेशी प्रकाशन (कमीशन) Overseas Publications(Commission)	2 448 267	967 445
योग TOTAL	**28 145 529**	**24 432 345**

अनुसूची बी – अन्य आय SCHEDULE B — OTHER INCOME

1. गुणता पद्धति शुल्क Quality System Fee	14 057 103	3 610 188
2. जमा पर ब्याज Interest on Deposits	13 187 059	4 543 136
3. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा अंशदान CGHS Contribution	158 908	34 468
4. सम्मेलन, परामर्श और प्रशिक्षण शुल्क Confrences,Consultancy & Training Fees	258 349	125 031
5. आवास निर्माण ऋण से ब्याज Interest from House Bldg. Loan	675 079	662 720
6. विविध Miscellaneous		
क) अन्य स्रोत (खंड 18(i) सी देखें) a) Other Sources (Refer Section 18(i)(c)		
ख) अन्य b) Others	2 241 498	2 901 871
योग TOTAL	**30 577 996**	**11 877 414**

अनुसूची सी – वेतन और भत्ते SCHEDULE C — PAY AND ALLOWANCES

1. योग PAY		
ब्यूरो के सदस्य (महानिदेशक को छोड़ कर)		
Members of the Bureau (Other than Director General)	—	—
महानिदेशक Director General	51 329	38 498
अधिकारी Officers	29 111 581	28 991 391
स्टाफ Staff	31 608 282	31 917 043
2. भत्ते ALLOWANCES		
ब्यूरो के सदस्य (महानिदेशक को छोड़कर)		
Members of the Bureau (Other than Director General)	—	—
महानिदेशक Director General	39 726	96 358
अधिकारी Officers	34 280 805	29 953 913
स्टाफ Staff	46 390 102	41 146 351
योग TOTAL	**141 481 825**	**132 143 554**

अनुसूची डी – सेवानिवृत्ति लाभ SCHEDULE D — RETIREMENT BENEFITS

अंशदान Contributions to:		
1. भविष्य निधि Provident Fund	1 020 009	778 985
2. पेंशन निधि Pension Fund	9 133 049	9 108 520
3. ग्रेचयुटी निधि Gratuity Fund	—	—
योग TOTAL	**10 153 058**	**9 887 505**

अनुसूची ई — अन्य स्टाफ लाभ SCHEDULE E — OTHER STAFF BENEFITS

	चालू वर्ष CURRENT YEAR 1994-95	पिछला वर्ष PREV. YEAR 1993-94
1. के. सरकार स्वा. से. और अन्य चि. लाभ CGHS and Other Medical Benefits	4 848 884	4 476 768
2. कर्मचारी कल्याण Staff Welfare	3 140 865	2 797 473
3. छुट्टी यात्रा रियायत Leave Travel Concession	2 836 892	1 482 038
योग TOTAL	**10 826 641**	**8 756 279**

अनुसूची एफ — यात्रा व्यय SCHEDULE F — TRAVELLING EXPENSES

1. विदेश Overseas	858 678	1 070 009
2. अधिकारी और स्टाफ Officers and Staff	10 110 011	8 415 423
3. समिति सदस्य Committee Members	112 751	114 083
योग TOTAL	**11 081 440**	**9 599 515**

अनुसूची जी — अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को चंदे SCHEDULE G — SUBS. TO INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

1. अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन International Standards Organization	7 775 919	6 026 809
2. अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तक. आयोग International Electrotechnical Commission	5 214 639	4 109 238
योग TOTAL	**12 990 558**	**10 136 047**

अनुसूची एच — उत्पादन SCHEDULE H — PRODUCTION

1. मानक Standards	2 978 087	4 192 987
2. बुलेटिन Bulletin	717 120	632 074
3. परिकलन सहायकांग और बाइंडर Calculation Aids and Binders	0	0
4. अन्य प्रकाशन Other Publications	1 204 008	1208 922
योग TOTAL	**4 899 215**	**6 033 983**

अनुसूची आई — परीक्षण SCHEDULE I — TESTING

1. बाहरी प्रयोगशालाओं को परीक्षण शुल्क का भुगतान Testing Fees Paid to Outside Labs.	15 022 268	12 210 619
2. प्रयोगशाला उपकरण और स्टोर का सामान Laboratory Apparatus and Stores	3 746 644	2 905 923
3. बाजार से खरीदे गए नमूने Market Samples	1 012 281	864 966
योग TOTAL	**19 781 193**	**15 981 508**

अनुसूची जे — प्रचार SCHEDULE J — PUBLICITY

1. प्रदर्शनी Exhibition	368 752	306 935
2. विज्ञापन Advertising	1 740 022	938 897
3. श्रव्य दृश्य और अन्य Audio Visuals and Others	379 499	123 639
योग TOTAL	**2 488 273**	**1 369 471**

अनुसूची के — कार्यालय व्यय SCHEDULE K — OFFICE EXPENSES

	चालू वर्ष CURRENT YEAR 1994-95	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 1993-94
1. स्टेशनरी Stationery	2 869 380	3114 297
2. डाक व्यय Postage	1 824 315	2 031 336
3. टेलीफोन और टेलेक्स Telephone and Telex	4 410 728	3 722 567
4. भर्ती Recruitment	440 763	154 145
5. जलपान और मनोरंजन Refreshment and Entertainment	530 616	522 530
6. वर्दी Liveries	290 375	357 536
7. भाड़ा और ढुलाई Freight and Cartage	551 725	333 579
8. बीमा और बैंक प्रभार Insurance and Bank Charges	727 193	623 987
9. विविध Miscellaneous	944 311	1 109 932
10. किराया और कर Rent and Taxes	3 982 678	4 026 095
11. बिजली और पानी Electricity and Water	7 033 122	6 217 088
योग TOTAL	**23 605 206**	**22 213 092**

अनुसूची एल — मरम्मत और रखरखाव SCHEDULE L — REPAIRS AND MAINTENANCE

1. फर्नीचर Furniture and Equipment	1 172 383	790 479
2. भवन Building	6 853 253	4 614 208
3. वाहन Vehicles	985 471	757 827
योग TOTAL	**9 011 107**	**6 162 514**

अनुसूची एम — अन्य व्यय SCHEDULE M — OTHER EXPENSES

1. अनुसंधान और परामर्श Research and Consultation	—	5 000
2. सम्मेलन, परामर्श एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम Conferences, Consultancy and Training Programme	1 091 466	907 369
3. इलैक्ट्रानिकी आँकड़ा संसाधन Electronic Data Processing	1 336 750	1 466 242
4. पुस्तकालय चंदा और अन्य व्यय Library Subscription and Other Expenses	352 856	316 013
5. लेखा परीक्षा शुल्क और कानूनी कार्यवाही प्रभार Audit Fees and Legal Charges	467 887	395 108
6. स्टाफ प्रशिक्षण Staff Training	818 487	931 553
7. आवास निर्माण ऋण पर ब्याज/ब्याज पर छूट Interest/Interest Subsidy on House Building Loan	1 722 354	1 686 749
8. अन्य ऋणों पर ब्याज Interest on Other Loans from		
क) केन्द्र सरकार – वाहन ऋण से a)Central Government - Towards Conveyance Loan	85 000	132 500
ख) अन्य स्रोतों से b)Other Sources	—	—
9. डूबते ऋण बट्टे खाते में डाला Bad Debts Written Off	10 570	6 795
योग TOTAL	**5 885 370**	**5 847 329**

अनुसूची एम 1 — विश्व बैंक परियोजना राजस्व व्यय SCHEDULE M 1 — WORLD BANK PROJECT REVENUE EXPENSES

		चालू वर्ष CURRENT YEAR 1994-95	पिछला वर्ष PREV. YEAR 1993-94
1.	परियोजना 1 – मानकीकरण प्रबन्ध एवं मानक विकास Project 1 – Standardization Management & Standards Devlopment	167 175	861 099
2.	परियोजना 2 – उत्पादों की गुणता का उन्नयन Project 2 – Upgrading Quality of Products	474 563	155 154
3.	परियोजना 3 – भा.मा.ब्यूरो प्रयोगशाला नेटवर्क का उन्नयन Project 3 – Upgrading BIS Lab network	– 12 093	665 061
4.	परियोजना 4 – भा.मा.ब्यूरो प्रशिक्षण गतिविधि को बढ़ाना Project 4 – Strengthening BIS Training Activity	1 905 687	148 614
5.	परियोजना 5 – भा.मा. ब्यूरो के संवर्धनात्मक प्रयासों को बढ़ाना Project 5 – Strengthening BIS Promotional Efforts	550 784	19 261
6.	परियोजना 6 – निर्यात के लिए तकनीकी सहायता Project 6 – Technical Assistance to Exports	213 000	165 000
7.	परियोजना 7 – मानक सूचना केन्द्र Project 7 – Standards Information Centres	552 429	138 007
	योग TOTAL	**3851 545**	**2152 386**

अनुसूची एन — पूँजीनिधि SCHEDULE N — CAPITAL FUND

	चालू वर्ष CURRENT YEAR 1994-95	पिछला वर्ष PREV. YEAR 1993-94
पिछले पक्के चिट्ठे के अनुसार As per last Balance Sheet	265 930 330	155 146 738
जमा: Add:		
i) पूँजीकृत परिसंपत्तियों की लागत (अनुसूची 'ओ' की क्रम सं. I देखें) Cost of assets capitalized (Refer Schedule 'O'Sl No.1)	9 084 289	24 413 361
iii) क्वासम निधि से पूँजीगत परिसम्पत्तियों की लागत (अनुसूची 'ओ' का क्रम सं. ३ ए देखें) Cost of assets capitalized from QAWSM funds (Refer Schedule 'O' Sl No.3a)	108 478	168 640
iv) व्यय से आय की अधिकता (आय तथा व्यय लेखे अग्रानीत से अधिशेष) Excess of income over expenditure (Surplus Carried over from Income and Expenditure Account)	109 504 776	86 245 162
योग TOTAL	**384 627 873**	**265 973 901**
नामे: Less:		
ii) बट्टे खाते में डाला पूँजीगत निवेश Capital investment written off	17 516	43 571
योग TOTAL	**384 610 357**	**265 930 330**

अनुसूची ओ - रिजर्व और निधियाँ SCHEDULE O - RESERVES AND FUNDS

क्रम सं. Sl No.	विवरण Particulars	अनुदान का स्रोत Source of Grant	1 अप्रैल 94 को स्थिति As on 1April 94	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ/समायोजन Receipts/Adjustments during the year	वर्ष के दौरान उपयोग Utilisation during the year			31 मार्च 95 को स्थिति As on 31 March 95
					पूँजी Capital	राजस्व Revenue	योग Total	
1.	**पूंजीकरण की प्रक्रिया में निधियां Funds in the process of Capitalization (परियोजना के नाम) (Name of the Projects)**							
क)	प्रयोगशाला उपस्कर, कंप्यूटर तथा संबद्ध उपकरण निधियां a) Laboratory equipment, computer and associated equipment fund	नागरिक पूर्ति, उ,मा. व. सा. वितरण मंत्रालय Ministry of Civil Supplies,CA&PD	14 178 421	11 022 055	711 4131	—	7 114 131	18 086 345
बी)	कलकत्ता प्रयोगशाला-सह-कार्यालय भवन निधि b) Calcutta Lab-cum-Office building fund	वही -do-	807 418	35 910	35 910	—	35 910	807 418
सी)	एस एण्ड टी परियोजना निधि c) S & T Project fund	वही -do-	594 407	289 141	224	822 479	822 703	60 845
डी)	हैंडबुक परियोजना निधि का विकास d) Development of hand book project fund		56	—	—	—	—	56
ई)	स्टाफ आवास परियोजना e) Staff Housing Project	वही -do-	314	11 000 000	204 000	—	204 000	10 796 314
एफ)	मद्रास भवन निधि f) Madras building fund		622 036	244 518	578 876	—	578 876	287 678
जी)	गैट परियोजना निधि g) GATT project fund	वही -do-	724 515	500 000	955 730	82 940	1 038 670	185 845
एच)	मुख्यालय भवन का विस्तार h) Extention of HQ building		654 711	—	195 418	—	195 418	459 293
आई)	प्रयोगशाला भवन, लखनऊ i) Lab. building, Lucknow		1 900 000	—	—	—	—	1 900 000
जे)	प्रशिक्षण इन्स्टीट्यूट निधि j) Training Institute fund	वही -do-	—	500 000	—	—	—	500 000
	योग TOTAL		**19 481 878**	**23 591 624**	**9 084 289**	**905 419**	**9 989 708**	**33 083 794**

(क्रमश..... Contd....)

क्रम सं. Sl No.	विवरण Particulars	अनुदान का स्रोत Source of Grant	1 अप्रैल 94 को स्थिति As on 1April 94	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ/समायोजन Receipts/Adjustments during the year	वर्ष के दौरान उपयोग Utilisation during the year			31 मार्च 95 को स्थिति As on 31 March 95
					पूँजी Capital	राजस्व Revenue	योग Total	
2.	**कर्मचारी निधियां Employee Funds**							
	ए) ग्रच्युटी निधि							
	a) Gratuity fund	—	361 789	—	—	190 585	190 585	171 204
	बी) हितकारी निधि							
	b) Benevolent fund	—	333 282	188 870	—	229 525	229 525	292 627
	सी) पेंशन निधि							
	c) Pension fund	—	18 341 768	10 659 049	—	16 765 181	16 765 181	12 235 636
	डी) सा. भ. निधि							
	d) G.P. Fund	—	147 896 790	42 554 728	—	21 901 993	21 901 993	168 549 525
	ई) अंश भ. निधि							
	e) C.P. Fund	—	4 092 541	810 209	—	727 908	727 908	4 174 842
	योग TOTAL		**171 026 170**	**54 212 856**	**0**	**39 815 192**	**39 815 192**	**185 423 834**
3.	**अन्य विशेष परियोजनाएं**							
	Other Specific Projects							
	ए) क्वासम	कृषि मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग)						
	a) QAWSM	Ministry of Agriculture (Deptt. of Rural Development)	33 521	1 850 000	108 478	617 947	726 425	1 090 054
	बी) ऊर्जा संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम (विद्युत विभाग)	ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग)						
	b) Energy Conservation Awareness Programme (Deptt. of Power)	Ministry of Energy (Deptt. of Power)	11 769	—	—	—	—	11 769
	सी) उपभोक्ता संरक्षण प्रदर्शनी	नागरिक पूर्ति, उ,मा. व. सा, वितरण मंत्रालय						
	c) Consumer Protection Exibition	Ministry of Food & Civil Supplies CA & PD	789	112 000	—	106 599	106 599	6190
	डी) विश्व बैंक प्रतिदान निधि							
	d) World Bank Loan Redemption Fund	—	23 524 675	5 475 325	—	—	—	29 000 000
	योग TOTAL		**23 503 712**	**7 437 325**	**108 478**	**724 546**	**833 024**	**30 108 013**
	महायोग GRAND TOTAL		**214 011 760**	**85 241 805**	**9 192 767**	**41 445 157**	**50 637 924**	**248 615 641**

अनुसूची पी — ऋण SCHEDULE P — LOANS

ऋण की प्रकृति Nature of Loan	31 मार्च 94 को स्थिति As on 31 March 94	1994-95 के दौरान During 1994-95		31 मार्च 95 को शेष Balance on 31 March 95
		प्राप्तियाँ Receipts	पुनर्भुगतान Repayment	
i) भारत सरकार से प्राप्त ऋण **Loans from Govt. of India**				
1. वाहन ऋण Conveyance loan	850 000	—	675 000	175 000
2. आवास निर्माण ऋण House Building Loan	1 400 000	—	1 300 000	100 000
योग Total	**2 250 000**	—	**1 975 000**	**275 000**
ii) अन्य स्रोतों से प्राप्त ऋण **Loans from other sources**				
1. विश्व बैंक World Bank	14 000 000	15 000 000	—	29 000 000
योग Total	**14 000 000**	**15 000 000**	—	**29 000 000**
महायोग Grand Total	**16 250 000**	**15 000 000**	**1 975 000**	**29 275 000**

अनुसूची क्यू – स्थिर परिसंपत्तियाँ SCHEDULE Q — FIXED ASSESTS

क्रम सं विवरण Sl No. Description	सकल ब्लॉक मूल्य के अनुसार Gross Block at Cost				मूल्य ह्रास Depriciation				नेट ब्लॉक Net Block	
	31 मार्च 94 को स्थिति As at 31 March 94	जमा Addition	घटा बिक्री/ बट्टे खाते Deduction Sale / written off	31 मार्च 95 को स्थिति As at 31 March 95	31 मार्च 94 तक Upto 31 March 94	जमा Addition	घटा/बिक्री बट्टे खाते Deduction Sale / Written off	31 मार्च 95 तक Upto 31 March 95	31 मार्च 95 को स्थिति As at 31 March 95	31 मार्च 94 की स्थिति As at 31 March 94
1. भवन–मुख्यालय Building-Headquarters	4 921 703	—	—	4 921 703	3 387 661	74 427	—	3 462 038	1 459 615	1 534 042
2. भवन– I मद्रास Building - I Madras	1 133 556	—	—	1 133 556	591 497	27 224	—	618 721	514 835	542 059
3. भवन– II मद्रास Building - II Madras	8 177 945	578 875	—	8 756 820	1 279 308	406 810	—	1 686 118	7 070 702	6 898 637
4. साहिबाबाद में केन्द्रीय प्रयोगशाला Building - Central Laboratory at Sahibabad	14 365 960	—	—	14 365 960	4943 383	531 863	—	5 475 246	8 890 714	9 422 577
5. भवन बंबई Building - Bombay	5 274 900	—	—	5 274 900	2 497 182	147 879	—	2 645 061	2 629 839	2 777 718
6. भवन– I कलकत्ता Building - I Calcutta	3 112 635	—	—	3 112 635	1 530 283	8 3270	—	1 613 553	1 499 082	1 582 352
7. भवन– II कलकत्ता (डब्लयू आई पी पूँजी) Building - II Calcutta (Capital WIP)	8 606 676	35 910	—	8 642 586	467 186	439 236	—	906 422	7 736 164	8 139 490
8. रिहायेशी फ्लैट Residential Flats	24 658 267	204 000	—	24 862 267	1 756 299	1 032 385	—	2 788 684	22 073 583	22 901 968
9. जीरॉक्स कापी उपस्कर Zerox Copying Equipment	130 541	—	—	130 541	128 818	471		129 289	1 252	1 723
10. प्रयोगशाला उपस्कर Laboratory Equipment	103 547 591	7 222 609	—	110 770 200	78 317 208	7 009 892	—	85 327 100	25 443 100	25 230 383
11. फर्नीचर और उपस्कर Furniture and Equipment	23 753 974	2 401 698	7416	26 148 256	15 693 299	1 758 096	7 175	17 444 220	8 704 036	8060 675
12. वाहन Vehicles	1 898 903	244 560	154696	1 988 767	1 263 947	172 547	13 7421	1 299 073	689 694	634 956

(क्रमशः..... Contd..)

क्रम सं विवरण Sl No. Description	सकल ब्लॉक मूल्य के अनुसार Gross Block at Cost 31 मार्च 94 को स्थिति As at 31March 94	जमा Addition	घटा बिक्री/ बट्टे खाते Deduction Sale / written off	31 मार्च 95 को स्थिति As at 31 March 95	मूल्य ह्रास Depriciation 31 मार्च 94 तक Upto 31 March 94	जमा Addition	घटा/बिक्री बट्टे खाते Deduction Sale / Written off	31 मार्च 95 तक Upto 31 March 95	नेट ब्लॉक Net Block 31 मार्च 95 को स्थिति As at 31 March 95	31 मार्च 94 की स्थिति As at 31 March 94
13. रिप्रोग्राफी उपस्कर Reprographic Equipment	1 128 929	—	—	1 128 929	989 553	34 844	—	1 024 397	104 532	139 376
14. पुस्तकालय में पुस्तकें Library Books	6 932 847	803 932	10 785	7 725 994	—	—	—	—	7 725 994	6 932 847
15. मुख्यालय भवन मानक भवन में सभागार का विस्तार Ext.of HQ Building -Auditorium in Manak Bhawan	1 442 902	—	—	1 442 902	636 955	83 609	—	720 564	722 338	805 947
16. मुख्य भवन में अग्नि शमन परियोजना का विस्तार (डब्लयू आई पी पूँजी) Ext.of HQ Building -Fire Fighting Project (Capital WIP)	2 741 915	195 418	—	2 937 333	—	—	—	—	2 937 333	2 741 915
17. लखनऊ में प्रयोगशाला एवं कार्यालय भवन (डब्लयू आई पी पूँजी) Lab cum Office Building -Lucknow (Capital WIP)	119 472	—	—	119 472	—	—	—	—	119 472	119 472
18. विश्व बैंक परियोजना उपस्कर World Bank Project Equipment	4 412 443	2 681 966	—	7 094 409	2 194 493	1026665	—	3 221 158	3 873 251	2 217 950
योग TOTAL	**216 361 159**	**14 368 968**	**172 897**	**230 557 230**	**115 677 072**	**12 829 218**	**144 596**	**128 361 694**	**102 195 536**	**100 684 087**

अनुसूची आर – निवेश (लागत पर) SCHEDULE R – INVESTMENTS (AT COST)

क्रम संख्या Sl. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 94 को स्थिति As on 31 March 94	जमा Additions	कटौतियाँ (बिक्री/परिपक्वता) Deductions (Sale/Maturity)	31 मार्च 95 को स्थिति As on 31 March 95
1.	बैंक में जमा Deposits with Banks				
	क) ग्रेच्युटी निधि खाता				
	a) Account Gratuity Fund	350 000	—	—	350 000
	ख) अन्य				
	b) Others	125 596 621	106 955 000	—	232 551 621
2.	पेंशन निधि Pension Fund	16 832 852	—	7 175 102	9 657 750
3.	सा. भ. निधि G.P. Fund	146 284 792	16 756 388	—	163 041 180
4.	अंश भ. निधि C.P. Fund	4 035 335	8 420	—	4 043 755
5.	विश्व बैंक ऋण प्रतिदान निधि निवेश खाता World Bank Loan Redmp.Fund Investment Account	23 205 000	5 795 000	—	29 000 000
	योग TOTAL	**316 304 600**	**129 514 808**	**7 175 102**	**438 644 306**

अनुसूची एस — चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम SCHEDULE S — CURRENT ASSETS,LOANS & ADVANCES

क्रम संख्या SINo.	विवरण Particulars	चालू वर्ष CURRENT YEAR 1994-95	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 1993-94
1.	स्टॉक (लागत पर) Stock (at cost)		
	क) छपाई का कागज a) Printing Paper	1 030 113	1 392 792
	ख) प्रयोगशाला में उपकरण और स्टोर का सामान b) Laboratory apparatus and stores	1 612 383	1 500 876
	ग) स्टेशनरी तथा कंप्यूटर की खपत योग्य सामग्री व्यय c) Stationery & Computer Consumables	1 186 361	805 791
	घ) मरम्मत और रखरखाव की खपत योग्य सामग्री व्यय d) Repair & Maintenance Consumables	123 200	119 649
2.	फुटकर लेनदारियां Sundry Debtors		
	क) प्रकाशनों की बिक्री a) Sale of Publications	2 351 265	1 635 195
	ख) प्रमाण b) Certification		
	i) लाइसेंस शुल्क i) Licence fee	17 501	49 651
	ii) निरीक्षण प्रभार ii) Inspection charges	293 919	848 536
	iii) मुहराँकन शुल्क iii) Marking fee	5 876 092	5 876 264
3.	ऋण, अग्रिम और जमा Loans, Advances and Deposits		
	क) कर्मचारियों को निम्नलिखित के लिए ऋण		
	a) Loans to employees for:		
	i) वाहन की खरीद के लिए i) Purchase of conveyance	8 234 806	5 621 322
	ii) आवास निर्माण के लिए ii) House construction	803 317	1 333 803
	ख) कर्मचारियों को निम्नलिखित के लिए ऋण		
	b) Advances to employees for:		
	i) त्यौहार i) Festival	350 805	391 245
	ii) प्राकृतिक आपदाएं ii) Natural calamities	1 400	1 600
	iii) यात्रा व्यय iii) Travelling Expenses	3 603 968	2 195 263
	iv) छुट्टी यात्रा iv) Leave Travel	730 155	601 963
	v) स्टोर से खरीद v) Store Purchase	2 434 730	1 876 809
	vi) समायोज्य अग्रिम vi) Adjustable advances	768 001	1 336 513
	vii) वसूली योग्य लेखे vii) Accounts recoverable (जीआईएस लेखे में अंतर सहित) (Including Diff.in GIS Account)	1 156 226	1 092 942
	viii) पंखा अग्रिम viii) Fan advance	3 120	2 280
	ग) निम्नलिखित को अग्रिम : c) Advances to:		
	i) प्राइवेट पार्टियां : (परियोजना) i) Private parties (Projects)	33 909 221	16 188 532
	घ) सरकारी पार्टियां : कोलम्बो योजना/आईपीएसएस से वसूली योग्य d) Recoverables form Govt. parties : Colombo Plan/IPSS	193 046	186 932
4.	प्रतिभूति जमा Security Deposits	1 145 446	1 111 536
5.	पूर्वप्रदत्त व्यय Prepaid Expenses	426 900	585 046
6.	स्रोत पर काटा गया कर Tax Deducted at Source	630 579	538 601
7.	कैश तथा बैंक शेष Cash and Bank Balances		
	क) बैंक में a) With banks	74 084 470	51 900 320
	ख) हाथ में (इम्प्रेस्ट सहित) b) In hand (including imprest)	370 032	278 978
	ग) फ्रेंकिंग मशीन c) Franking machine	82 091	41 992
	घ) पारवहन में चैक d) Cheques in transit	635 000	1 460 000
	योग TOTAL	**142 054 147**	**98 974 431**

अनुसूची टी — चालू देयताएँ SCHEDULE T — CURRENT LIABILITES

क्रम संख्या Sl No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष CURRENT YEAR 1994-95	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 1993-94
1.	फुटकर देनदारियाँ Sundry creditors		
	क) देश में a) Inland	3 042 299	2 234 358
	ख) विदेश में b) Abroad	6 254 782	5 550 773
	ग) बयाना राशि c) Earnest Money	3 782 574	3 146 992
	घ) ग्राहक बकाया (बिक्री) d) Customer Balances (sales)	1 924 378	1 464 358
	ड़े) ग्राहक बकाया (प्रमाणन) e) Customer Balances (certification)	2 516 837	3 408 251
2.	भुगतान योग्य लेखे (कर्मचारियों के) (Accounts Payable (employees)	532 057	404 709
3.	अप्रदत्त वेतन और मजदूरी Unpaid Salaries and Wages	24 296	30 191
4.	बिहार सरकार (प्रयोगशाला उपस्कर खाता) Govt. of Bihar (a/c Lab. Equipment)	395 526	395 526
5.	गुजरात सरकार (अ.शा.का. भवन खाता) Govt. of Gujarat (ABO Building a/c)	1 388 069	3 103 886
6.	आईटीईसी और एससीएपीपी — विदेश मंत्रालय ITEC & SCAPP — Ministry of External Affairs	532 173	31 984
	योग TOTAL	**20 392 991**	**19 771 028**

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने भारतीय मानक ब्यूरो के 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष के आय और व्यय लेखा तथा दिनांक 31 मार्च, 1995 के तुलन पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं और संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों में अध्याधीन अपनी लेखा परीक्षा के परिणाम स्वरूप में प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों और संगठन की बहियों में दिए गए उल्लेख के अनुसार ये लेखों और तुलन पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं और भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यकलाप का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

हस्ता०

(एस.पी. सिंह)

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 13.12.1995

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the Income and Expenditure Account for the year ended 31st March 1995 and the Balance Sheet as on 31st March 1995 of the Bureau of Indian Standards. I have obtained all the information and explanations that I have required, and subject to observations in the appended Audit Report. I certify, as a result of my audit that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bureau of Indian Standards according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

Sd/-

(S.P. SINGH)

Principal Director of Audit

Place : New Delhi

Dated : 13.12.1995

भारतीय मानक ब्यूरो की वर्ष 1994-95 के आय-व्यय की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. परिचय

भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के अन्तर्गत एक सांविधिक निकाय के रूप में दिनांक 1 अप्रैल 1987 को हुई। इसने उत्पाद प्रमाणन, गुणता आश्वासन, परामर्श देना, परीक्षण आदि सम्बन्धी तत्कालीन भारतीय मानक संस्था के सभी कार्य संभाले।

ब्यूरो के क्रियाकलापों का वित्त पोषण प्रमाणन मुहर शुल्क की प्राप्ति और प्रकाशनों की बिक्री एवं केन्द्र सरकार के अनुदान से होता है।

ब्यूरो के लेखे–जोखों की लेखा–परीक्षा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अनुच्छेद 22 (2) और नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुच्छेद 19 (2) के अन्तर्गत की गई।

2. लेखा पर टिप्पणी

2.1 बैलेन्स शीट

2.1.1. स्टोर सामग्री की खरीद के लिए बकाया अग्रिम रू. 371.12 लाख

विभिन्न सरकारी और प्राइवेट पार्टियों को स्टोर का सामान खरीदने के लिए रू० 371.12 लाख अग्रिम रूप में दिये गए। यह राशि वसूली/समायोजन के लिए बाकी है। इसका विवरण/ब्यौरा निम्नानुसार है :–

AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF THE BUREAU OF INDIAN STANDARDS FOR THE YEAR 1994-95

1. INTRODUCTION

The Bureau of Indian Standards was established as a statutory body with effect from 1st April 1987 with the enactment of Bureau of Indian Standards Act, 1986. It took over all the activities, *viz* product certification, quality assurance, consultancy services, testing, etc. of the erstwhile Indian Standards Institution.

The activities of the Bureau are financed from receipt of fees for certification mark and sale of Publications and grant from the Central Government.

The audit of the accounts of the Bureau was conducted under Section 22(2) of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 and Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

2. COMMENTS ON ACCOUNTS

2.1 Balance Sheet

2.1.1. Outstanding advances for store purchase - Rs 371.12 lakhs

Rs 371.12 lakhs representing advances for the purchase of stores were pending for recovery/adjustment from various officials and private parties as per break up given below :-

(लाख रूपयों में Rupees in lakhs)

वर्ष Year	बकाया अग्रिम निम्नलिखित के प्रति Advances outstanding against					
	सरकारी Official		प्राईवेट पार्टी Private Parties		कुल Total	
	वस्तु संख्या No. of Items	राशि Amount	वस्तु संख्या No. of Items	राशि Amount	वस्तु संख्या No. of Items	राशि Amount
तक Up to						
1991-92	22	0.32	54	44.90	76	45.22
1992-93	19	4.92	14	8.91	33	13.83
1993-94	58	11.33	28	32.80	86	44.13
1994-95	205	15.46	62	252.48	267	267.94
योग Total	**304**	**32.03**	**158**	**339.09**	**462**	**371.12**

कुल बकाया राशि रू० 371.12 लाख में से रू० 153.10 लाख प्रयोगशाला उपस्करों के संबंध में तथा रू० 185.99 लाख बिल्डिंग और अन्य परियोजना के बारे में ठेकेदारों पर बकाया हैं। रू० 32.03 लाख की शेष राशि ब्यूरो के कर्मचारियों से बकाया है।

Out of the total outstanding of Rs. 371.12 lakhs, Rs. 153.10 lakhs pertained to laboratory equipment, Rs. 185.99 lakhs outstanding against contractors/housing development authorities for building and other projects and the balance of Rs. 32.03 lakhs was outstanding against the employees of the Bureau.

2.1.2. अचल परिसम्पत्ति के मूल्य में अंतर

ब्यूरो द्वारा 1994-95 के दौरान अर्जित निम्नलिखित अचल परिसम्पत्ति का मूल्य

2.1.2 Difference in the value of fixed assets

The value of the following fixed assets acquired by the

नियंत्रण स्टॉक रजिस्टर में दर्शाये गये मूल्य से भिन्न है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

Bureau during the year 1994-95 varies from that shown in the Control Stock Registers as indicated against each.

(लाख रूपयों में Rupees in lakhs)

परिसम्पत्ति का प्रकार Type of Assets	अचल परिसम्पत्ति अनुसूची के अनुसार आँकड़े Figures as per Fixed Assets	नियंत्रण स्टॉक रजिस्टर के अनुसार आँकड़े Figures as per control Register	अंतर Difference
प्रयोगशाला उपस्कर Laboratory Equipment	72.33	62.58	(+) 9.65
पुस्तकालय पुस्तकें Library Books	8.04	8.73	(-) 0.69
फर्नीचर और उपस्कर Furniture & Equipment	24.02	47.32	(-) 23.30

2.1.3 फुटकर लेनदारियां

नीचे दिये हुए नियोजन के अनुसार 85.39 लाख रू० की राशि विभिन्न पार्टियों से मानकों की बिक्री और प्रमाणन संबंधी वसूली के रूप में दिखायी गयी है :

2.1.3 Sundry Debtors

Rs. 85.39 lakhs representing amount recoverable on account of sale of publications and certification fees were pending from various parties as per break up given below :

(लाख रूपयों में Rupees in lakhs)

	प्रमाणन Certification fee		प्रकाशनों की बिक्री Sale of Publication		योग Total	
वर्ष Year	मदों की संख्या No. of Items	राशि Amount	मदों की संख्या No. of Items	राशि Amount	मदों की संख्या No. of Items	राशि Amount
तक upto						
1992-93	643	20.72	428	3.03	1 071	23.75
1993-94	449	11.48	157	3.65	606	15.13
1994-95	444	29.68	968	16.83	1 412	46.51
योग Total	**1 536**	**61.88**	**1 553**	**23.51**	**3 089**	**85.39**

प्रत्येक देनदार के प्रति उपर्युक्त शेष की पुष्टि किसी भी वर्ष में नहीं हुई है। इसलिए तुलन पत्र में दिखायी गयी यह राशि असमशोधित है।

The above balances have not been got confirmed in any of the year. In reply B.I.S. Stated that an amount of Rs. 37.66 lakhs has been recovered leaving a balance of Rs. 47.73 lakhs (Nov. 95)

2.1.4 वसूली योग्य राशि

6.20 लाख रू० की राशि लेखा परीक्षक में वर्ष 1989-90 और उसके बाद समय–समय पर विभिन्न पार्टियों/व्यक्तियों से वसूली के योग्य राशि के रूप में दर्शायी गयी थी, किंतु ब्यूरो ने इसे अपनी लेखा पुस्तिकाओं में वसूली योग्य राशि के रूप में दिखाया, और न ही इस राशि की वसूली की गई।

2.1.4. Amount Recoverable

A sum of Rs. 6.20 lakhs was pointed out by audit from time to time since 1989-90 onwards as amount recoverable from parties/individuals but the same was neither recovered nor shown by Bureau as amount recoverable in the books of accounts resulting understatement of recoverables as shown in sundry debtors.

2.1.5 वर्तमान परिसम्पत्तियों/ऋणों/अग्रिमों के प्रति 1.19 लाख रू० की राशि का अधि विवरण

यात्रा भत्ते और वाहनों को खरीद पर वर्तमान परिसम्पत्तियों/ऋणों और अग्रिमों के अनुसार में 1.19 लाख रू० की राशि अधिविवरण के रूप में दी गयी है, क्योंकि इनके लिए रखे गए पृथक् पृथक् रजिस्टरों में दिखाई गई राशि वार्षिक लेखों में दी गई राशि के अनुरूप नहीं है।

2.1.5. Overstatement of Current Assets, Loans and Advances by Rs. 1.19 lakhs.

The current assets, loans and advances had been overstated to the extent of Rs. 1.19 lakhs under the travelling allowance and purchase of conveyance as the figures shown in annual accounts did not tally with those shown in respective control register.

2.1.6 वर्तमान परिसम्पत्तियों, ऋणों तथा अग्रिमों के अंतर्गत असमाशोधित अधिशेष

सामूहिक बीमा के रूप में (00.21 लाख रू०) तथा कोलम्बो योजना (1.74 लाख रू०) के लेखों के अंतर्गत दिखाये गये अधिशेष को न तो समाशोधित किया गया है और न ही सम्बद्ध विभागों द्वारा इसकी पुष्टि की गयी।

2.1.7 ब्यूरो के कानपुर, भोपाल, गाजियाबाद तथा पटना शाखा कार्यालयों के असमाशोधित बैंक बैलेंस

कानपुर, भोपाल, गाजियाबाद तथा पटना शाखा कार्यालयों के वार्षिक लेखों में 31.03.95 को दिये गये बैंक बैलेंस वर्तमान बैंकों के साथ समाशोधित नहीं किये गये। अपने उत्तर में भा मा ब्यूरो ने (नवम्बर 95) में बताया कि 8 बैंकों के खातों में से पटना शाखा कार्यालय के शाते को छोड़कर शेष 7 खातों का समाशोधन कर लिया गया है।

2.1.8 चालू देयताओं के अंतर्गत असमाशोधित अधिशेष

क) इण्डो टेक्नीकल इकोनोमिक कारपोरेशन (आईआईईसी 2.99 लाख रू०), स्पेशल कॉमन वैल्थ अफ्रीकन असिस्टेंस प्लान (एससीएएपी 2.06 लाख रू०) के अंतर्गत चालू देयताओं के लेखे में दिखाये। अधिशेष न तो समाशोधित किया गया और न ही इसके समयवार विवरण तैयार किये गये।

ख) फुटकर लेनदारी (देयी) के अंतर्गत एल.आई.सी. को देय 00.16 लाख रू० की राशि समाशोधित नहीं की गयी।

ग) 31 मार्च 1995 को भामा ब्यूरो क्लब कैंटीन में 00.82 लाख रू० की राशि देय थी, लेकिन ये असमाशोधित देयताएँ लेखों में नहीं प्रदर्शित की गयीं।

2.1.9 मानकों के स्टॉक का उल्लेख/रख-रखाव न होना

ब्यूरो द्वारा प्रकाशित मानकों को 15 वर्गों में बाँटा गया है। इन प्रकाशनों की कीमत 10 रू० से 100 रू० प्रति मानक तक के बीच है। वर्ष 1994-95 के दौरान मानकों के मुद्रण पर रू० 29.78 लाख का व्यय हुआ और उन की बिक्री से रू० 256.66 लाख की आमदनी हुई। ब्यूरो ने वर्ग 10 से 15 तक के मानकों के स्टॉक का लेखा रखा है। लेकिन वर्ग 1 से 9 तक के मानकों, जिनकी कीमत रू० 10 से 60 प्रति मानक के बीच है, का स्टॉक लेखा नहीं रखा।

भामा ब्यूरो ने 31 मार्च, 1995 को मानकों के स्टॉक का मूल्यांकन नहीं किया तथा उसे अपने वार्षिक लेखे में शामिल नहीं किया। इस प्रकार वार्षिक लेखे मे स्टॉक–स्थिति कम दर्शाई गई है।

2.1.10. जमाओं पर ब्याज की राशि के रूप में 131.87 लाख रू० वास्तविक रसीदों और उपार्जित राशि के आधार पर दिखाये गये।

2.1.11. "एकाउंट पेयेबल शीर्ष के अंतर्गत वार्षिक लेखों के अनुसार 532 057 रू० की राशि ली गई थी, जबकि अनुसूची के अनुसार यह राशि 556 579 रू० थी। इस प्रकार 24 522 रू० का अंतर असमशोधित रहा।

हस्ता/–
(एस. पी. सिंह)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.12.95

2.1.6 Unreconciled balances under current Assets, Loans and Advances

Balance under Group Insurance Scheme (Rs. 00.21 lakhs) and Colombo Plan (Rs.1.74 lakhs) shown in the accounts were neither reconciled nor confirmed from the concerned departments.

2.1.7 Unreconciled bank balances under Kanpur, Bhopal, Ghaziabad and Patna branch offices of the Bureau

The bank balances taken in the annual accounts as on 31.3.95 relating to Kanpur, Bhopal, Ghaziabad and Patna branch offices were not reconciled with the concerned Banks. In reply BIS stated (Nov. 95) that out of 8 bank accounts 7 banks accounts leaving Patna Branch office has been reconciled.

2.1.8. Unreconciled balances under current liabilities

a) Balance under Indo Technical Economic Cooperation (ITEC Rs. 2.99 lakhs), Special Commonwealth African Assistance Plan (SCAP 2.06 lakhs) shown in the accounts under current liabilities were neither reconciled nor age wise details were worked out.

b) An amount of Rs 00.16 lakhs payable to LIC shown under Sundry Creditors (inland) was not reconciled.

c) A sum of Rs. 00.82 lakhs was payable to BIS Club canteen as on 31st March 1995, but this was not depicted in the accounts.

2.1.9 Non-Depiciation/Non-Maintenance of Stock of standards

The publication of standards brought out by the Bureau have been classified into 15 groups. These publications are priced ranging from Rs. 10 to Rs. 100 per standard. The expenditure on printing of standards and receipt from the sale of standards during the year 1994-95 was Rs. 29.78 lakhs and Rs. 256.66 lakhs respectively. Though the stock of standards under group 10 to 15 have been maintained by the Bureau but the stock accounts in respect of publications falling under group 1 to 9 priced between Rs. 10 to 60 per standard were not maintained.

The valuation of the stock of standards as on 31st March 1995 was not done by the BIS and shown in their annual accounts. Thus the position of stock was understated in the annual accounts.

2.1.10 Interest on deposits amounting to Rs. 131.87 lakhs was taken on actual receipt basis and not on accrual basis.

2.1.11 As per annual accounts the amount under the head 'account payable' was taken as Rs 53 2057 whereas as per ledger schedule it was taken as Rs 556 579. Thus a difference of Rs 24 522 was unreconciled.

Sd/-
(S.P. SINGH)
PR. DIRECTOR OF AUDIT

Place : New Delhi
Dated : 13.12.95